



RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528 ₹:20

केशव संवाद

कार्तिक-मार्गशीर्ष, विक्रम सम्वत् 2079 (नवम्बर-2022)





सरस्वती शिशु मन्दिर

सी-41, सेक्टर-12, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)

दूरभाष: 0120-4545608

ई-मेल: ssm.noida@gmail.com

वेबसाइट: www.ssmnoida.in

विद्यालय की विशेषताएँ

- * भारतीय संस्कृति पर आधारित व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की शिक्षा।
- * नवीन तकनीकी शिक्षा प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी., कैमरा आदि की सुविधा।
- * आर.ओ. का शुद्ध पेय जल, सौर ऊर्जा, विशाल क्रीड़ा स्थल व हरियाली का समुचित प्रबन्ध।
- * प्रखर देशभक्ति के संस्कारों से युक्त उत्तम मानवीय व चारित्रिक गुणों के विकास पर बल।
- * सामाजिक चेतना एवं समरसता विकास के लिए विविध क्रियाकलाप।
- * विद्यालय को श्रेष्ठतम बनाने की दृष्टि से आपके सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

दिनेश गोयल
(अध्यक्ष)

प्रदीप भारद्वाज
(व्यवस्थापक)

असित त्यागी
(कोषाध्यक्ष)

प्रकाश वीर
(प्रधानाचार्य)

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

नवम्बर, 2022

वर्ष : 22 अंक : 11

अर्णज कुमार त्यागी

अध्यक्ष

प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक

कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक

डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल

डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र,
डॉ. नीलम कुमारी, प्रो. अनिल निगम,
डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी,
अनुपमा अग्रवाल, अमित शर्मा

पृष्ठ संयोजन

वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय

प्रेरणा शोध संस्थान न्यास

सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301

फोन नं. 0120 4565851, 2400335

ईमेल : keshavsamvad@gmail.com

वेबसाइट : www.premasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से
मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा
चद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि.
नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन
105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड
मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त
विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक
का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा
में आने वाली सड़म अदालतों/फोरम में
मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

विजयादशमी उत्सव : डा. मोहन भागवत जी का उद्बोधन.....	05
डार्क वेब पर चल रहा जेहादी एजेंडा	- प्रो. अनिल निगम09
वैश्विक परिवेश में भारत का भविष्य : आर्थिक ...	- डॉ. गौरव अग्रवाल..... 10
भविष्य का भारत : चुनौतियां एवं संभावनाएं	- प्रो. अखिलेश मिश्र.....12
भविष्य का भारत (पुस्तक समीक्षा)	- डॉ. मनमोहन सिंह..... 14
विकसित देशों की तुलना में भारत में	- प्रहलाद सबनानी..... 16
भविष्य के भारत की गंभीर चुनौती है...	- डॉ. प्रदीप कुमार..... 18
पुरातन विरासत हस्तिनापुर	- प्रो. हरेन्द्र सिंह.....20
नवाचार में ऊंची उड़ान	- प्रमोद भार्गव.....22
भारत : सांस्कृतिक संदर्भ	- उर्विजा शर्मा.....24
डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत	- अनुपमा अग्रवाल.....25
नारी शक्ति : समर्पण से सम्मान तक	- डॉ. प्रियंका सिंह.....26
भारत की ज्ञान परम्परा : विश्वगुरु के रूप में	- आशीष कुमार.....27
मीडिया में तकनीक की चुनौतियां	- अमित शर्मा.....28
मीडिया, प्रोपेगंडा और वैश्विक फलक ...	- अक्षय के. सिंह.....29
युवाओं के लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित ...	- प्रशांत त्रिपाठी.....30
फिल्म मीडिया और समाज	- प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव.....32
नए भारत की नई पत्रकारिता	- डॉ. राम शंकर.....33
सामाजिक समरसता के निर्माण में मीडिया...	- प्रो. पूनम कुमारी.....34
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती आदिवासी...	- मोनिका चौहान.....35
पत्रकारिता में लगे खाज को कोढ़ में बदलने से ...	- आशीष कुमार 'अंशु'.....36
मीडिया की लक्ष्मण रेखा	- डॉ. अरविन्द कुमार पाल.....38
भारतीयता की मूल भावना का संवर्धन और मीडिया	- मोहित कुमार.....40
उत्सव मंथन	- नीलम भागी42

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं
प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल
(keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से
भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में
प्रकाशित किया जायेगा।

संपादकीय.....

'एकम् सत् विप्रः बहुधा वदन्ति' भारतीय सनातन संस्कृति में यह वाक्य चिरकाल से कहा जा रहा है जिसका तात्पर्य है- सत्य एक है, अस्तित्व का मूल एक है और वह ईश्वर है परन्तु लोग इसे अनेक प्रकार से समझते हैं। यह सत्य है कि भारतीय परम्परा एवं उसमें निहित संस्कारों ने सदैव विभिन्न विचारों की स्वीकार्यता के द्वार खोले हैं। जहां सभी को स्वतंत्र रूप से सोचने व अपने बातों को रखने का अधिकार है। तभी तो अनेकता में एकता एवं वसुधैव कुटुंबकम् की भावना भारतीय संस्कृति में निहित है। भारतीय संस्कृति की यह विविधता इसमें अनेक रंग भरती है ये भले ही अलग-अलग हों, किन्तु तस्वीर एक ही बनती है।

भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को आध्यात्मिकता, एकात्म व समग्रता का मूलमंत्र दिया है। साथ ही अपनी विविधता को विशिष्टता के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा भी दी है। उन सभी विचारों को आत्मसात भी किया जो मूल्य पर आधारित रहे लेकिन कभी-कभी विविधता विघटन का कारण बनती है और साथ ही वहा आक्रांताओं के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। कालान्तर में भी वाह्य आक्रांताओं की दृष्टि हमारी एकता पर रही और इसको खंडित करने की पर्याप्त कोशिश भी समय-समय पर होती रही। आज भी यह प्रयास निरन्तर बना हुआ है। इन्हीं बातों को अपने वक्तव्य में मोहन भागवत जी ने कहा कि विविधताओं से डरने की आवश्यकता नहीं, उसे स्वीकार करो। विविधताओं का उत्सव मनाओं, विविधता में एकता, समन्वय, त्याग, संयम, कृतज्ञता जैसे 'मूल्य समुच्चय' का नाम हिंदुत्व है। जिसका आधार सत्य है और उसका अन्वेषण हमारे यहां किया गया।

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका अतीत जितना प्राचीन, समृद्धशाली व वैभव से परिपूर्ण है वही भविष्य में वह एक मार्गदर्शक की भूमिका में अग्रसरित है। भारतीयता का मूलमंत्र समन्वय है और हमारी संस्कृति मूल्याधारित है जो समाज को संगठित करने के लिए कृतसंकल्पित है साथ ही राष्ट्र के एकीकरण की भावना को आत्मसात करती है। निश्चित रूप से यह युग भारतीय परंपरा, संस्कृति व गरिमा के पुनरुत्थान का युग है जहां भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत की अभूतपूर्व छटा के साथ पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। और अपने गौरवशाली अतीत का सांस्कृतिक संवर्धन कर वर्तमान पीढ़ी को संदेश भी दे रहा है।

धर्म, ज्ञान और विज्ञान की मेधाशक्ति का लोहा आज सम्पूर्ण विश्व मान रहा है। विश्व बैंक के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और साथ ही भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) कार्यक्रम की प्रशंसा की। अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंक मार्गन स्टैनली रिपोर्ट में भी भारत की उन्नति एवं अर्थव्यवस्था की प्रगति को सकारात्मक बताया। जहां एक तरफ भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है वही भारतवंशी भी उसे प्रतिष्ठित कर रहे। यह सत्य है कि भारतीयों में संस्कृति एवं संस्कार इस प्रकार निहित होते हैं कि वह बहुसांस्कृतिक विचार एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी सही अर्थों में अंगीकार कर लेते हैं। निश्चित रूप से भारत उज्ज्वल भविष्य के साथ आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक एवं नवाचार में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा।

भारत के भविष्य की कल्पना एवं उसमें मीडिया की भूमिका को समाहित करते हुए विचारों को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। आशा करते हैं कि यह अंक आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।

संपादक

विजयादशमी उत्सव

(बुधवार दि. 05 अक्तूबर 2022) के अवसर पर प. पू. सरसंघचालक
डा. मोहन भागवत जी का उद्बोधन

आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीया श्रीमती संतोष यादव जी, मंच पर उपस्थित विदर्भ प्रांत के मा. संघचालक, नागपुर महानगर के मा. संघचालक, नागपुर महानगर के मा. सह संघचालक, अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु।

नौरात्रि की शक्ति पूजा के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम प्रतिवर्षानुसार विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। शक्तिस्वरूपा जगदजननी ही शिवसंकल्पों के सफल होने का आधार है। सर्वत्र पवित्रता व शान्ति स्थापन करने के लिए भी शक्ति का आधार अनिवार्य है। संयोग से आज प्रमुख अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें लाभान्वित व हर्षित करने वाली श्रीमती संतोष यादव उसी शक्ति का व वैतन्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने गौरी शंकर की ऊँचाई को दो बार पादाक्रांत किया है।

संघ के कार्यक्रमों में अतिथि के नाते समाज की प्रबुद्ध व कृतित्व संपन्न महिलाओं की उपस्थिति की परम्परा पुरानी है। व्यक्ति निर्माण की शाखा पद्धति पुरुष व महिला के लिए संघ तथा समिति की पृथक् चलती हैं। बाकी सभी कार्यों में महिला पुरुष साथ में मिलकर ही कार्य संपन्न करते हैं। भारतीय परम्परा में इसी पूरकता की दृष्टि से विचार किया गया है। हमने उस दृष्टि को भुला दिया, मातृशक्ति को सीमित कर दिया। सतत आक्रमणों की परिस्थिति ने इस मिथ्याचार को तात्कालिक वैधता प्रदान की तथा उसको एक आदत के रूप में ढाल दिया। भारत के नवोत्थान के उषःकाल की पहली आहट से हमारे सभी महापुरुषों ने इस रूढ़ि को त्यागकर; मातृशक्ति को एकदम देवता स्वरूप मानकर पूजाघर में बंद करना अथवा द्वितीय श्रेणी की मानकर रसोईघर में मर्यादित कर देना, इन दोनों अतियों से बचते हुए उनके प्रबोधन, सशक्तिकरण तथा समाज के सभी क्रियाकलापों में, निर्णय प्रक्रिया सहित सर्वत्र



बराबरी की सहभागिता पर ही जोर दिया है। तरह – तरह के अनुभवों की ठोकरीं खा कर विश्व में प्रचलित व्यक्तिवादी तथा स्त्रीवादी दृष्टिकोण भी अब इस तरफ ही अपना विचार मोड़ रहा है। २०१७ में विभिन्न संगठनों में काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारत की महिलाओं का बहुत व्यापक व सर्वांगीण सर्वेक्षण किया। वह शासन को भी पहुंचाया गया। उस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से भी मातृशक्ति के प्रबोधन, सशक्तिकरण तथा उनकी समान सहभागिता की आवश्यकता अघोरेखित होती है। यह कार्य कुटुम्ब स्तर से प्रारम्भ होकर संगठनों तक स्वीकृत व प्रचलित होना पड़ेगा, तब और तभी मातृशक्ति सहित सम्पूर्ण समाज की संहति राष्ट्रीय नवोत्थान में अपनी भूमिका का सफल निर्वाह कर सकेगी।

इस राष्ट्रीय नवोत्थान की प्रक्रिया को अब सामान्य व्यक्ति भी अनुभव कर रहा है। अपने प्रिय भारत के बल में, शील में तथा जागतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का निरन्तर क्रम देखकर हम सभी आनन्दित हैं। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली नीतियों का अनुसरण का पुरस्कार शासन के द्वारा हो रहा है। विश्व

के राष्ट्रों में अब भारत का महत्व तथा विश्वसनीयता बढ़ गयी है। सुरक्षा क्षेत्र में हम अधिकाधिक स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से निकल कर गति से संभलकर हमारी अर्थव्यवस्था पूर्व स्थिति प्राप्त कर रही है। आधुनिक भारत के इस आगेकूच के आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे का वर्णन नयी दिल्ली में कर्तव्य – पथ के उद्घाटन समारोह के समय प्रधानमंत्री जी से आपने सुना ही है। शासन के द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित यह दिशा अभिनन्दन योग्य है। परन्तु इस दिशा में हम सब मन वचन कर्म से एक होकर चलें, इसकी आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के पथपर बढ़ने के लिए अपने राष्ट्र के आत्मस्वरूप को, शासन, प्रशासन व समाज स्पष्ट तथा समान रूप से समझता हो यह अनिवार्य पूर्वशर्त है। अपने अपने स्थान व परिस्थिति में उसके आधार पर बढ़ते समय आवश्यकता पड़ने पर कुछ लचीलापन धारण करना पड़ता है। तब आपसी समझदारी तथा विश्वास मिलकर आगेकूच को कायम रखते हैं। विचार की स्पष्टता, समान दृष्टि तथा दृढ़ता, लचीलेपन की मर्यादा का

मान प्रदान कर गलतियों से व भटकाव से बचाते हैं। शासन, प्रशासन, विभिन्न प्रकार के नेतागण तथा समाज इस प्रकार स्वार्थ व भेदभावों से परे होकर सहचित्त हो कर्तव्यपथ पर बढ़ते हैं, तब राष्ट्र प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। शासन प्रशासन तथा नेता-गण अपने कर्तव्यों को करेंगे ही, समाज को भी अपने कर्तव्यों का विचारपूर्वक निर्वहन करना चाहिए।

इस नवोत्थान की प्रक्रिया में अभी भी बाधाओं को पार करने का काम करना पड़ेगा। पहली बाधा है गतानुगतिकता! समय के साथ मनुष्यों का ज्ञाननिधि बढ़ते रहता है। समय के चलते कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ विलुप्त हो जाती हैं। कुछ नयी बातें व परिस्थितियाँ जन्म भी लेती हैं। इसलिए नयी रचना बनाते समय हमें परम्परा व सामयिकता का समन्वय करना पड़ता है। कालबाह्य हुई बातों का त्याग कर नयी युगानुकूल व देशानुकूल परम्पराएं बनानी पड़ती हैं, उसी समय हमारी पहचान, संस्कृति, जीवन दृष्टि आदि को अधोरेखित करने वाले शाश्वत मूल्यों का क्षरण न हो, उनके प्रति श्रद्धा व उनका आचरण, पूर्ववत् बना रहे इसकी सावधानी बरतनी पड़ती है।

दूसरे प्रकार की बाधाएं भारत की एकता व उन्नति को न चाहने वाली शक्तियाँ निर्माण करती हैं। गलत अथवा असत्य विमर्श को प्रसारित कर भ्रम फैलाना, आततायी कृत्य करना अथवा उसको प्रोत्साहन देना और समाज में आतंक, कलह व अराजकता को बढ़ाते रहना यह उनकी कार्य पद्धति का अनुभव हम ले ही रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ व द्वेष के आधार पर दूरियों और दुश्मनी बनाने का काम स्वतन्त्र भारत में भी उनके द्वारा चल रहा है। उनके बहकावे में न फरसते हुए, उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही हो कर निर्भयतापूर्वक उनका निषेध व प्रतिकार करना चाहिए। शासन व प्रशासन के इन शक्तियों के नियंत्रण व निर्मूलन के प्रयासों में हमको सहायक बनना चाहिए। समाज का सबल व सफल सहयोग ही देश की सुरक्षा व एकात्मता को पूर्णतः निश्चित कर सकता है।

समाज की सशक्त भूमिका के बिना कोई भला काम अथवा कोई परिवर्तन यशस्वी व स्थायी नहीं हो सकता। यह सर्वत्र अनुभव है। अच्छी व्यवस्था भी लोगों का मन बनाए बिना अथवा लोगों ने मन से स्वीकार नहीं की तो चल नहीं पाती।

विश्व में आये अथवा लाये गये सभी बड़े व

स्थायी परिवर्तनों में समाज की जागृति के बाद ही व्यवस्थाओं तथा तंत्र में परिवर्तन आया है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीति बननी चाहिए यह अत्यंत उचित विचार है, और नयी शिक्षा नीति के तहत उस ओर शासन/प्रशासन पर्याप्त ध्यान भी दे रहा है। परन्तु अपने पाल्यों को मातृभाषा में पढ़ाना अभिभावक चाहते हैं क्या? अथवा तथाकथित आर्थिक लाभ अथवा Career (जिसके लिए शिक्षा से भी अधिक आवश्यकता उद्यम, साहस व सूझबूझ की होती है) की मृग मरीचिका के पीछे चली अंधी दौड़ में अपने पाल्यों को दौड़ाना चाहते हैं? मातृभाषा की प्रतिष्ठा की अपेक्षा शासन से करते समय हमें यह भी देखना होगा कि हम हमारे हस्ताक्षर मातृभाषा में करते हैं या नहीं? हमारे घर पर नामफलक मातृभाषा में लगा है कि नहीं? घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण पत्र मातृभाषा में भेजे जाते हैं या नहीं?

नयी शिक्षा नीति के कारण छात्र एक अक्छा मनुष्य बने, उसमें देशभक्ति की भावना जगे, वह सुसंस्कृत नागरिक बने यह सभी चाहते हैं। परन्तु क्या सुशिक्षित, संपन्न व प्रबुद्ध अभिभावक भी शिक्षा के इस समग्र उद्देश्य को ध्यान में रख कर अपने पाल्यों को विद्यालय महाविद्यालयों में भेजते हैं? फिर शिक्षा केवल कक्षाओं में नहीं होती। घर में संस्कारों का वातावरण रखने में अभिभावकों की, समाज में भद्रता, सामाजिक अनुशासन इत्यादि का वातावरण ठीक रखने वाले माध्यमों की, जननेताओं की तथा पर्व, त्यौहार, उत्सव, मेले आदि सामाजिक आयोजनों की भूमिका का भी बराबरी का महत्व होता है। उस पक्ष पर हमारा ध्यान कितना है? बिना उसके केवल विद्यालयीन शिक्षा कदापि प्रभावी नहीं हो सकती है।

विविध प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ समन्वित कर स्वास्थ्य की सरती, उत्तम गुणवत्ता की, सर्वत्र सुलभ तथा व्यापारिक मानसिकता से मुक्त व्यवस्था देने वाला स्वास्थ्य तंत्र शासन के द्वारा खड़ा हो यह संघ का भी प्रस्ताव है। शासन की प्रेरणा व समर्थन से भी व्यक्तिगत व सामाजिक स्वच्छता के, योग तथा व्यायाम के उपक्रम चलते हैं। समाज में भी ऐसा आग्रह रखने वाले, इन बातों का महत्व बताने वाले बहुत हैं। लेकिन इन सबकी उपेक्षा कर समाज अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहा तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो सबके स्वास्थ्य को ठीक रख सकेगी?

संविधान के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक समता का पथ प्रशस्त हो गया, परन्तु

सामाजिक समता को लाये बिना वास्तविक व टिकाऊ परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसी चेतावनी पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने हम सबको दी थी। बाद में कथित रूप से इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कई नियम आदि बने। परन्तु विषमता का मूल तो मन में ही तथा आचरण की आदत में है। व्यक्तिगत तथा कौटुंबिक स्तर पर आपस में मित्रता के, सहज अनौपचारिक आनेजाने, उठने बैठने के संबंध बनते नहीं; तथा सामाजिक स्तर पर मंदिर, पानी, शमशान सब हिन्दुओं के लिए खुले नहीं होते, तब तक समता की बातें केवल स्वप्नों की बातें रह जाएंगी।

जो परिवर्तन तंत्र के द्वारा लाया जाए ऐसी हमारी अपेक्षा है, वह बातें हमारे आचरण में होने से परिवर्तन की प्रक्रिया को गति व बल मिलता है, वह स्थायी हो जाता है। ऐसा न होने से परिवर्तन प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है और परिवर्तन स्थायित्व की ओर नहीं बढ़ता। परिवर्तन के लिए समाज की विशिष्ट मानसिकता को बनाना अनिवार्य पूर्व शर्त है। अपनी विचार परम्परा पर आधारित उपभोगवाद व शोषण से रहित विकास को साधने के लिए समाज से तथा स्वयं के जीवन से भोग वृत्ति व शोषक प्रवृत्ति को जड़ मूल से हटाना पड़ेगा।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक तथा विकास नीति रोजगार-उन्मुख हो यह अपेक्षा स्वाभाविक ही कही जाएगी। परन्तु रोजगार यानि केवल नौकरी नहीं यह समझदारी समाज में भी बढ़ानी पड़ेगी। कोई काम प्रतिष्ठा में छोटा या हल्का नहीं है, परिश्रम, पूंजी तथा बौद्धिक श्रम सभी का महत्व समान है, यह मान्यता व तदनु रूप आचरण हम सबका होना पड़ेगा। उद्यमिता की ओर जाने वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना होगा। प्रत्येक जिले में रोजगार प्रशिक्षण की विकेंद्रित योजना बने तथा अपने जिले में ही रोजगार प्राप्त हो सके, गाँवों में विकास के कार्यक्रम से शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सुविधाएँ सुलभ हो जाएँ, यह अपेक्षा सरकार से तो रहती ही है। परन्तु कोरोना की आपत्ति के समय कार्यरत रहने वाले कार्यकर्ताओं ने यह भी अनुभव किया है कि समाज का संगठित बल भी बहुत कुछ कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, लघु उद्यमी, कुछ सम्पन्न सज्जन, कला कौशल के जानकार, प्रशिक्षक तथा स्थानीय स्वयंसेवकों ने लगभग २७५ जिलों में स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर यह प्रयोग प्रारम्भ किया है। इस प्रारम्भिक अवस्था में ही रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान देने में सफल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही

है।

राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के सहभाग का यह विचार व आग्रह शासन को उनके दायित्व से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के उत्थान में समाज के सहभाग को साथ लेने की आवश्यकता तथा उसके लिए अनुकूल नीति निर्धारण की ओर इंगित करता है। अपने देश की जनसंख्या विशाल है, यह एक वास्तविकता है। जनसंख्या का विचार आजकल दोनों प्रकार से होता है। इस जनसंख्या के लिए उतनी मात्रा में साधन आवश्यक होंगे, वह बढ़ती चली जाए तो भारी बोझ—कदाचित असह्य बोझ बनेगी। इसलिए उसे नियंत्रित रखने का ही पहलू विचारणीय मानकर योजना बनाई जाती है। विचार का दूसरा प्रकार भी सामने आता है, उस में जनसंख्या को एक निधि — **Asset**— भी माना जाता है। उसके उचित प्रशिक्षण व अधिकतम उपयोग की बात सोची जाती है। पूरे विश्व की जनसंख्या को देखते हैं तो एक बात ध्यान में आती है। केवल अपने देश को देखते हैं तो विचार बदल भी सकता है। चीन ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने की नीति बदलकर अब उसकी वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है। अपने देश का हित भी जनसंख्या के विचार को प्रभावित करता है। आज हम सबसे युवा देश हैं। आगे ५० वर्षों के पश्चात आज के तरुण प्रौढ़ बनेंगे, तब उनकी सम्हाल के लिए कितने तरुण आवश्यक होंगे यह गणित हमें भी करना होगा। देश का जन अपने पुरुषार्थ से देश को वैभवशाली बनाता है, साथ ही स्वयं का व समाज का जीवन निर्वाह भी सुरक्षित करता है। जनता के योगक्षेम के तथा राष्ट्रीय पहचान व सुरक्षा के अतिरिक्त और भी कुछ पहलुओं को यह विषय छूता है।

संतान संख्या का विषय माताओं के स्वास्थ्य, आर्थिक क्षमता, शिक्षा, इच्छा से जुड़ा है। प्रत्येक परिवार की आवश्यकता से भी जुड़ा है। जनसंख्या पर्यावरण को भी प्रभावित करती है।

सारांश में जनसंख्या नीति इतनी सारी बातों का समग्र व एकात्म विचार करके बने, सभी पर समान रूप से लागू हो, लोक प्रबोधन द्वारा इस के पूर्ण पालन की मानसिकता बनानी होगी। तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम परिणाम ला सकेंगे।

सन् 2000 में भारत सरकार ने समग्रता से विचार कर एक जनसंख्या नीति का निर्धारण किया था। उसमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य 2.1 के प्रजनन दर (TFR) को प्राप्त करना था। अभी 2022 में हर पाँच वर्ष में प्रकाशित NFHS की रिपोर्ट आई है। जहाँ समाज की जागरूकता

और सकारात्मक सहभागिता तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के सतत समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 2.1 से भी कम लगभग 2.0 के प्रजनन दर पर आ गई है। जहाँ जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम निरंतर अग्रसर हैं, वहीं दो प्रश्न और भी विचार के लिए खड़े हो रहे हैं। समाज विज्ञानी और मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार बहुत छोटे परिवारों के कारण बालक—बालिकाओं के स्वस्थ समग्र विकास, परिवारों में असुरक्षा का भाव, सामाजिक तनाव, एकाकी जीवन आदि अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है और हमारे समाज की संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र परिवार व्यवस्था पर भी एक प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। वहीं एक दूसरा महत्व का प्रश्न जनसांख्यिकी असंतुलन का भी है। 75 वर्ष पूर्व हमने अपने देश में इस का अनुभव किया ही है और इक्कीसवीं सदी में जिन तीन नये स्वतंत्र देशों का अस्तित्व विश्व में हुआ, ईस्ट तिमोर, दक्षिणी सुडान और कोसोवा, वे इंडोनेशिया, सुडान और सर्बिया के एक भूभाग में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने का ही परिणाम है। जब—जब किसी देश में जनसांख्यिकी असंतुलन होता है, तब—तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन आता है। जन्मदर में असमानता के साथ साथ लोभ, लालच, जबरदस्ती से चलने वाला मतांतरण व देश में हुई घुसपैठ भी बड़े कारण हैं। इन सबका विचार करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पाथिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

प्रजातंत्र में प्रजा के मनोयोग से सहयोग का महत्व सर्वश्रुत है ही। नियमों का बनना, स्वीकार होना तथा अपेक्षा परिणाम तक पहुँचना उसी से होता है। जिन नियमों से त्वरित लाभ होते हैं, अथवा कालांतर में कोई लाभ अथवा स्वार्थसिद्धि दिखाई देती हो उन्हें समझाना नहीं पड़ता। परन्तु जब देश के हित में या दुर्बलों के हित में अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़े, वहाँ इस त्याग के लिए जनता सदैव तैयार रहे, इस लिए समाज में स्व का बोध व गौरव जगाए रखने की आवश्यकता होती है।

यह स्व हम सबको जोड़ता है। क्योंकि वह हमारे प्राचीन पूर्वजों ने प्राप्त किये सत्य की प्रत्यक्षानुभूति का सीधा परिणाम है। "सर्व यद्भूतं यच्च भव्यं" उसी एक शाश्वत अव्यय मूल की अभिव्यक्ति मात्र है, इसीलिए अपनी विशिष्टता पर श्रद्धापूर्वक दृढ़ रहते हुए सभी की विविधता, विशिष्टता का सम्मान व स्वीकार

करना चाहिए, यह बात सबको सिखाने वाला केवल भारत है। सब एक हैं, इसलिए सबको मिलजुल कर चलना चाहिए, मान्यताओं की विविधता हमको अलग नहीं करती। सत्य, करुणा, अंतर्बाह्य शुचिता, तथा तपस् का तत्वचतुष्टय सभी मान्यताओं को साथ चलाता है। सभी विविधताओं को सुरक्षित व विकासमान रखते हुए जोड़ता है। उसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया। इन्हीं चार तत्वों के आधार पर सम्पूर्ण विश्व के जीवन को समन्वय, संवाद, सौहार्द तथा शान्ति पूर्वक चला सकने वाले संस्कार देने वाली संस्कृति हम सबको जोड़ती है, विश्व को कुटुम्ब के नाते जोड़ने की प्रेरणा देती है। सृष्टि से लेकर हम सभी जीते हैं, फलते फूलते हैं। जीवने यावदादानं स्यात्प्रदानं ततोऽधिकम् की भावना हमें उसी से मिलती है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की यह भावना तथा "विश्वं भवत्येकं नीडम्", यह भव्य लक्ष्य हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन का यह सनातन प्रवाह प्राचीन समय से इसी उद्देश्य से इसी रीति से चलता आया है। समय व परिस्थिति के अनुसार रूप, पथ तथा शैली बदलती गयी। परन्तु मूल विचार, गन्तव्य तथा उद्देश्य निरन्तर वही रहे हैं। इस पथ पर यह निरन्तर गति हमें अगणित वीरों के शौर्य और समर्पण से, असंख्य कर्मयोगियों के भीम परिश्रम से तथा ज्ञानियों की दुर्धर तपस्या से प्राप्त हुई है। उनको हम सब अपने जीवन में अनुकरणीय आदर्शों का स्थान देते हैं। वे हम सबके गौरव निधान हैं। वे हमारे समान पूर्वज हमारे जुड़ने का एक और आधार हैं।

उन सभी ने हमारी पवित्र मातृभूमि भारत वर्ष के ही गुणगान किये हैं। प्राचीन काल से सभी प्रकार की विविधता को ससम्मान स्वीकार कर साथ चलाने का हमारा स्वभाव बना; भौतिक सुख की परमावधि पर ही न रुकते हुए अपने अन्तरतम की गहराइयों को खंगालकर हमने अस्तित्व के सत्य को प्राप्त किया; विश्व को अपना ही परिवार मानकर सर्वत्र ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति व भद्रता का प्रसार किया। इसका कारण यह हमारी मातृभूमि भारत ही है। प्राचीन काल में सुजल सुफल मलयजशीतल, इस भारत जननी ने प्राकृतिक रीति से सर्वथा सुरक्षित अपनी चतुरस्रीमा में जो सुरक्षा व निश्चिंतता हमें दी उसी का यह फल है। उस अखण्ड मातृभूमि की अनन्य भक्ति हमारी राष्ट्रीयता का मुख्य आधार है।

प्राचीन समय से भूगोल, भाषा, पंथ, रहन सहन, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं के बावजूद समाज के नाते,

संस्कृति के नाते, राष्ट्र के नाते हमारा एक जीवन प्रवाह अक्षुण्ण चलता रहा है। इस में सभी विविधताओं का स्वीकार है, सम्मान है, सुरक्षा है, विकास है। किसी को अपनी संकुचितता, कट्टरता, आक्रामकता व अहंकार के अतिरिक्त कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। सत्य, करुणा, अंतर्बाह्य शुचिता व इन तीनों की साधना के अतिरिक्त कुछ भी अनिवार्य नहीं। भारत भक्ति, हमारे समान पूर्वजों के उज्वल आदर्श व भारत की सनातन संस्कृति इन तीन दीपस्तंभों के द्वारा प्रकाशित व प्रशस्त पथ पर मिलजुलकर प्रेम पूर्वक चलना यही अपना रव, अपना राष्ट्रधर्म है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाज को आवाहन का प्रारंभ से यही आशय रहा है। आज यह अनुभव आता है कि उस पुकार को सुनने समझने को अब सब लोग तैयार हैं। अज्ञान, असत्य, द्वेष, भय, अथवा स्वार्थ के कारण संघ के विरुद्ध जो अपप्रचार चलता है उसका प्रभाव कम हो रहा है। क्योंकि संघ की व्याप्ति व समाज संपर्क में - यानी संघ की शक्ति में लक्षणीय वृद्धि हुई है। दुनिया में सुने जाने के लिए सत्य को भी शक्तिशाली होना पड़ता है, यह जीवन का विचित्र वास्तव है। दुनिया में दुष्ट शक्तियाँ भी हैं, उनसे बचने के लिए व अन्यो को बचाने के लिए भी सज्जनों की संगठित शक्ति चाहिए। संघ उपरोक्त राष्ट्र विचार का प्रचार - प्रसार करते हुए सम्पूर्ण समाज को संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करने का काम कर रहा है। यही हिन्दू समाज के संगठन का काम है, क्योंकि उपरोक्त राष्ट्र विचार को हिन्दू राष्ट्र का विचार कहते हैं और वह है भी। इसलिए संघ उपरोक्त राष्ट्र विचार को मानने वाले सबका यानी हिन्दू समाज का संगठन, हिन्दू धर्म, संस्कृति व समाज का संरक्षण कर हिन्दू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए, "सर्वेषां अविरोधेन" काम करता है।

अब जब संघ को समाज में कुछ स्नेह तथा विश्वास का लाभ हुआ है और उसकी शक्ति भी है तो हिन्दू राष्ट्र की बात को लोग गम्भीरता पूर्वक सुनते हैं। इसी आशय को मन में रखते हुए परन्तु हिन्दू शब्द का विरोध करते हुए अन्य शब्दों का उपयोग करने वाले लोग हैं। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं। आशय की स्पष्टता के लिए हम हमारे लिए हिन्दू शब्द का आग्रह रखते रहेंगे।

तथाकथित अल्पसंख्यकों में बिना कारण एक भय का हौवा खड़ा किया जाता है कि हम से अथवा संगठित हिन्दू से खतरा है। ऐसा न कभी हुआ है, न होगा। न यह हिन्दू का, न ही संघ का स्वभाव या इतिहास रहा। अन्याय,

अत्याचार, द्वेष का सहारा लेकर गुंडागर्दी करने वाले समाज की शत्रुता करते हैं तो आत्मरक्षा अथवा आपत्तिका तो सभी का कर्तव्य बन जाता है। "ना भय दैत काहू को, ना भय जानत आप", ऐसा हिन्दू समाज खड़ा हो यह समय की आवश्यकता है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है। संघ पूरी दृढ़ता के साथ आपसी भाईचारा, भद्रता व शांति के पक्ष में खड़ा है।

ऐसी विन्ताएँ मन में रखकर तथाकथित अल्पसंख्यकों में से कुछ सज्जन गत वर्षों में मिलने के लिए आते रहे हैं। उनसे संघ के कुछ अधिकारियों का संपर्क संवाद हुआ है, होते रहेगा। भारतवर्ष प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। उसकी उस पहचान व परंपरा की धारा के साथ तन्मयतापूर्वक अपनी-अपनी विशिष्टता को रखते हुए हम सभी प्रेम सम्मान व शांति के साथ राष्ट्र की निरु स्वार्थ सेवा मिलकर करते चलें। एक दूसरे के सुख - दुःख में परस्पर साथी बनें, भारत को जानें, भारत को मानें, भारत के बनें, यही एकात्म, समरस राष्ट्र की कल्पना संघ करता है। संघ का और कोई उद्देश्य या स्वार्थ इसमें नहीं है।

अभी पिछले दिनों उदयपुर में एक अत्यंत ही जघन्य एवं दिल दहला देने वाली घटना घटी। सारा समाज स्तब्ध रह गया। अधिकांश समाज दुःखी एवं आक्रोशित था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करना होगा। ऐसी घटनाओं के मूल में पूरा समाज नहीं होता। उदयपुर घटना के बाद मुस्लिम समाज में से भी कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने अपना निषेध प्रगट किया। यह निषेध अपवाद बन कर ना रह जाए, अपितु अधिकांश मुस्लिम समाज का यह स्वभाव बनना चाहिए। हिन्दू समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसी घटना घटने पर हिन्दू पर आरोप लगे तो भी मुखरता से विरोध और निषेध प्रगट करता है।

उकसाना कोई भी और कैसा भी हो, कानून एवं संविधान की मर्यादा में रहकर सदैव सबको अपना विरोध प्रगट करना चाहिए। समाज जुड़े - टूटे नहीं, झगड़े नहीं, बिखरे नहीं। मन-वचन-कर्म से यह प्रतिभाव मन में रखकर समाज के सभी सज्जनों को मुखर होना चाहिए। हम दिखते भिन्न और विशिष्ट हैं, इसलिए हम अलग हैं, हमें अलगवाव चाहिए, इस देश के साथ, इस की मूल मुख्य जीवनधारा व पहचान के साथ हम नहीं चल सकते, इस असत्य के कारण "भाई टूटे धरती खोयी मिटे धर्मसंस्थान" यह विभाजन का जहरीला अनुभव लेकर कोई भी सुखी तो नहीं हुआ। हम भारत के हैं, भारतीय पूर्वजों के हैं, भारत की सनातन

संस्कृति के हैं, समाज व राष्ट्रीयता के नाते एक हैं, यही हमारा तारक मंत्र है।

स्वाधीनता के ७५ वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नवोत्थान के प्रारंभ काल में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें भारत माता को ही आराध्य मानकर कर्मरत होने का आवाहन किया था। १५ अगस्त, १९४७ को पहले स्वतंत्रता दिवस तथा स्वयं के वर्धापन दिवस पर महर्षि अरविन्द ने भारतवासियों को संदेश दिया। उसमें उनके पांच सपनों का उल्लेख है। भारत की स्वतंत्रता व एकात्मता, यह पहला था। संवैधानिक रीति से राज्यों का विलय होकर एकसंघ भारत बनने पर वे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। किन्तु विभाजन के कारण हिन्दू व मुसलमानों के बीच एकता के बजाय एक शाश्वत राजनीतिक खाई निर्माण हुई, जो भारत की एकात्मता, उन्नति व शांति के मार्ग में बाधक बन सकती है, इसकी उन्हें चिंता थी। जिस किसी प्रकार से जाए, विभाजन निरस्त होकर भारत अखंड बने यह उत्कट इच्छा वे जताते हैं। क्योंकि उनके अगले सभी स्वप्नों को - एशिया के देशों की मुक्ति, विश्व की एकता, भारत की आध्यात्मिकता का वैश्विक अभिमंत्रण तथा अतिमानस का जगत में अवतरण - साकार करने में भारत की ही प्रधानता होगी, यह वे जानते थे। इसलिए कर्तव्य का उनका दिया संदेश बहुत स्पष्ट है -

"राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय आता है जब नियति उसके सामने ऐसा एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य रख देती है, जिस पर अन्य सबकुछ, चाहे वह कितना भी उन्नत या उदात्त क्यों न हो, न्योछावर करना ही पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा समय आया है, जब उसकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं, जब अन्य सब उसी के लिए प्रयुक्त करना है। यदि आप पढ़ें तो उसी के लिए पढ़ो, शरीर, मन व आत्मा को उसकी सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो। अपनी जीविका इसलिए प्राप्त करो कि उसके लिए जीना है। सागर पार विदेशों में इसलिए जाओगे कि वहाँ से ज्ञान लेकर उससे उसकी सेवा कर सकें। उसके वैभव के लिए काम करो। वह आनंद में रहे इसलिए दुःख झेलो। इस एक परामर्श में सब कुछ आ गया।"

भारत के लोगों के लिए आज भी यही सार्वक संदेश है।

गांव गांव में सज्जन शक्ति। रोम रोम में भारत भक्ति।

यही विलय का महामंत्र है। दलों दिशा से कट्टे प्रयाण।

जय जय मेरे देश महान।।

भारत माता की जय

डार्क वेब पर चल रहा जेहादी एजेंडा



प्रो (डॉ) अविश कुमार द्विवेद

डार्क वेब देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। यह न केवल युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है बल्कि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इसका नेटवर्क देश में तेजी से पैर पसार रहा है। डार्क वेब के माध्यम से अन्य देशों में बैठे शरारती तत्व जेहादी एजेंडा संचालित कर रहे हैं। यह देश की सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बन कर उभरा है। आज डार्क वेब के माध्यम से ड्रग की तस्करी, असलहों की खरीद फरोख्त, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डाटा हैककर फिरीती मांगने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को इस संबंध में खास तैयारी करने के निर्देश दिए हैं लेकिन राज्यों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके गृह विभाग आईटी विशेषज्ञों से लैस नहीं हैं। ऐसे में सर्वाधिक अहम सवाल यह है कि सुरक्षा के मुंह की तरह बड़ी होती इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों के पास क्या ब्ल्यू प्रिंट है? यह समस्या क्या आतंकवाद से भी ज्यादा गंभीर चुनौती बनने वाली है? क्या राज्य आईटी विशेषज्ञों की टीम के बिना इस समस्या से निजात पा सकेंगे? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब इस आलेख में खोजने की कोशिश की गई है।

डार्क वेब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसके माध्यम से ड्रग तस्करी के साथ ही बच्चों की पोर्नोग्राफी, आतंकी संगठन—एके—47 सहित घातक असलहों की खरीद—फरोख्त, बड़ी कंपनियों का डाटा हैककर फिरीती मांगने की घटनाएं धड़ल्ले से हो रही हैं। डार्क वेब के ही जरिए बड़े ड्रग तस्कर विश्व के किसी भी कोने से भारत में बड़ी बड़ी ड्रग की खेपें भेज रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात और

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छापेमारी के दौरान ड्रग की बरामदगी की है। एजेंसी को इनमें अंतरराष्ट्रीय नेक्सस का पता चला है। ध्यातव्य है कि डार्कवेब के जरिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पोर्नोग्राफर इन साइट के माध्यम से देश के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं। बच्चे इस साजिश का शिकार भी हो रहे हैं। बच्चों को यू—ट्यूब पर डार्कवेब तक पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सभी राज्यों के आला पुलिस अधिकारियों को डार्क वेब के माध्यम से हो रहे अपराधों के बारे में चौक चौबंद होने के निर्देश दिए हैं। लेकिन यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देश के अधिसंख्य प्रदेशों की पुलिस डार्कवेब की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं है। उनके



समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस विभाग पूरी तरह से आईटी विशेषज्ञों से लैस नहीं है।

आईबी और अन्य एजेंसियों की पड़ताल के अनुसार, डार्क वेब पर अनेक साइटों के बारे में पता चला है। ये खुलेआम हेरोइन—स्मैक और कोकीन बेच रहे हैं। इनका नेटवर्क भारत में तेजी से बढ़ रहा है। भारत का पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान में संरक्षण पाए आतंकी संगठन डार्क वेब के माध्यम से जेहादी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं साथ ही क्रिप्टो करेंसी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लेन—देन कर रहे हैं।

यही नहीं, आतंकी संगठनों ने असलहे बेचने के लिए विश्वसनीय सिस्टम बना रखा है। आतंकी असलहा खरीदने वाले माफिया अथवा गैंग को विश्वास दिलाते हैं कि माल की डिलीवरी होने पर ही उनसे वे रकम लेंगे। इसके लिए वे खरीदार से कहते हैं कि कीमत

आमुक खाते में जमा कर दी जाए और जब माल उनको मिल जाए तो ही वे पैसा निकालने की अनुमति दें। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी की मदद भी ली जाती है।

इस बढ़ती समस्या के महेनजर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ डार्क वेब पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रदेश में डार्क वेब के माध्यम से होने वाले अवैध ड्रग कारोबार के खिलाफ ऐक्शन मोड में आ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री इससे बखूबी वाकिफ हैं कि इस काम को बिना आईटी विशेषज्ञों की टीम के अंजाम नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि उन्होंने गृह विभाग को ऐसे विशेषज्ञों से लैस करने की बात भी कही है। टीम में आईटी विशेषज्ञों के अलावा साइबर विशेषज्ञ और साफ्टवेयर डेवलपर होंगे। यही नहीं, एएनटीएफ कर्मचारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से अनुरोध कर टीम को दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वास्तविकता तो यह है कि डेटा की हैकिंग को रोक पाना इतना सहज नहीं है। हैकर्स भारतीयों के डेटा को अलग—अलग माध्यम से उड़ा लेते हैं। डेटा में रजिस्टर्ड ई—मेल, लोगों का पता और पासवर्ड, रजिस्टर्ड फोन नंबर, ट्रांसमिटेड ओटीपी इन्फॉर्मेशन, लॉगिन आईपी, व्यक्तिगत यूजर आईडी और ब्राउजर फिंगरप्रिंट इन्फॉर्मेशन शामिल है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हर राज्य की पुलिस को साफ्टवेयर विशेषज्ञों की टीम तैनात करनी होगी, जो पुलिस के साथ मिलकर आईटी विशेषज्ञ के रूप में डार्कवेब की मानीटरिंग करे। यह काम अकेले राज्य नहीं कर सकते। इस पर अंकुश केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ बिना तालमेल संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें संलिप्त लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर शीघ्र कठोरतम दंड दिलाने का काम करे ताकि इस काम में संलिप्त लोगों में भय पैदा हो और वे इससे दूरी बनाना शुरू कर दें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

वैश्विक परिवेश में भारत का भविष्य : आर्थिक विश्लेषण



डॉ. जौरत अग्रवाल

‘वो हृदय नहीं पाषाण है, जो सपने देखने से भी डरता है’

भारत के पूर्वजों ने लाल किले से 1857 में आजादी के सपने का बिगुल बजाया और मात्र 90 वर्षों में चुनौतियों का सामना करते हुये लाल किले की प्राचीर पर 1947 में तिरंगा फहरा दिया।

2022 में लाल किले से ही आजादी के 75 वर्ष उपरांत एक नये सपने का आगाज हुआ। वो है ‘एक विकसित राष्ट्र का सपना’ जिसमें हम भारत की आजादी के 100 वर्ष के भीतर अवश्य पूरा कर देंगे। सन् 2047 का भारत विश्व को नेतृत्व प्रदान करने वाला विकसित एवं उत्तरदायी राष्ट्र होगा। ये भावुकता में डूबे सपने की ललकार नहीं है वरन् आर्थिक सामाजिक नीतियों से परिष्कृत हुंकार है।

1989 का वो विचित्र सा दौर था जहां भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के सुन्दर भविष्य के सपने के लिए ‘कम्प्यूटर क्रांति’ का युवाओं से आह्वान कर रहे थे। वहीं अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो गरीबी, बेरोजगारी, और अशिक्षा की त्रासदी न झेल रहा हो। तब एक युवा के लिए भविष्य का सुन्दर सपना देखना अपराध सा प्रतीत होता था।

परन्तु नये दौर में अब ‘भारत’ युवा पीढ़ी के जोश व आकांक्षाओं का केन्द्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर अब पूर्ण विश्वास होता है कि 2047 का भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। जो सबका साथ-सबका विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये मात्र भावुकता पूर्ण सपने नहीं है, परन्तु आधुनिक आर्थिक, सामाजिक नीतियों की नींव पर सजे वो सपने हैं जो भारत को 2047 में ‘विश्व गुरु’ के पूजनीय स्थान पर ला

खड़ा करेंगे।

भारत की 75 वर्षों की उपलब्धियों व आधुनिक आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी नीतियों के आधार पर एक नए सशक्त राष्ट्र का सपना सबकी आंखों में तैर रहे हैं –

1. गरीबी मुक्त सबसे विशाल अर्थव्यवस्था।
2. योग, आयुर्वेद एवं उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्यंत किफायती स्वास्थ्य सेवा।
3. सुनियोजित, वैश्विक, सांस्कृतिक एवं मूल्य आधारित रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली।
4. पर्यावरण संरक्षित सतत विकास।

ये सपने सोयी आंखों से देखे जाने वाले सपने नहीं हैं बल्कि वास्तविकता के धरातल पर संजोए गए हैं—

1. गरीबी मुक्त विशाल अर्थव्यवस्था - सीआईआई (CII) के आकलन के अनुसार 2047 में भारत

विकास के बारे में पश्चिम की अलग अवधारणा है और हमारी अलग कल्पना है। हमें विकास की अनुकूल अवधारणा खड़ी करनी पड़ेगी। अंधानुकरण करके लोग जिन समस्याओं में फंस गए हैं, उनमें हम क्यों फंसे? हम उसके उत्तर खोजें। हमें उसमें फंसना नहीं है। आज दुनिया सबके विकास के साथ समन्वित और संतुलित विकास की बात कर रही है, ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ की बात कर रही है। हमारे पास पहले से ही यह सब विद्यमान है। हमने भूतकाल में अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
- मोहन भागवत (सरसंघचालक, रा. स्व. संघ)

+ 40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। भारत में जिस प्रकार संरचनात्मक व बुनियादी बदलाव तेजी से अपनाये जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब + 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखते हुए 2027-28 तक पूरा कर लेंगे और 2035 में भारत + 10 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

अगर आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कोविड-19 के उपरांत भारत की प्रगति दर सबसे अधिक है। मात्र 9.10 प्रतिशत की प्रगति दर होने से ही हम लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंच सकते हैं।

2047 का भारत गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, शिक्षित व स्वस्थ भारत होगा जो विश्व को उन्नत तकनीक, उत्पाद व सेवाएं निर्यात कर रहा होगा।

2. 2047 में भारत की शिक्षा प्रणाली - पुराने समय में भारत विश्व को ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति की शिक्षा-दीक्षा देने वाला प्रमुख देश रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसके सशक्त उदाहरण हैं। मैकाले का कथन कि –‘भारतीय शिक्षा-दीक्षा से परिपूर्ण है और उनको इसका बहुत गर्व भी है’ ये स्पष्ट दर्शा देता है कि भारत की शिक्षा-प्रणाली पिछले 200 वर्षों में ही छिन्न-भिन्न हुई है।

1947 की आजादी के उपरांत भारत ने शिक्षा के प्रसार में भी अभूतपूर्व विकास किया है। जहां 1950 में साक्षरता दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी वह अब 77.7 प्रतिशत हो चुकी है। अतः जल्द ही भारत 100 प्रतिशत का आंकड़ा प्राप्त कर लेगा इसमें कोई शक नहीं है। परन्तु खेद है कि भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार मुख्य तौर पर निराशाजनक ही रहा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत कम लोगों को मिल पायी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अगले 25 वर्ष भारत के लिये ‘शिक्षा का अमृत काल’ साबित होंगे। नवीन शिक्षा नीति भारत के शिक्षा-दीक्षा के स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराना चाहती है और विश्वगुरु के सपने को हकीकत में बदलने का विश्वास दिलाती है। नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य स्वस्थ, प्रसन्नचित, तकनीक व संस्कृति युक्त युवाओं की ऐसी सेना तैयार करना है जो विश्वस्तर पर आर्थिक-सामाजिक पराकाष्ठा स्थापित कर सके।

नयी शिक्षा नीति शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करेगी। पांचवी तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जायेंगी जिससे प्रत्येक युवा को अवसर प्राप्त हो सके। अब बच्चे 6 वी कक्षा के उपरांत ही इंटरनेट कर सकेंगे। अतः न कामगारों की कमी होगी, न कौशल विकास की। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), 2030 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ जायेगा जो अभी लगभग 28 प्रतिशत है। देश



को शोध एवं अनुसन्धान में तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जा रही है। नयी शिक्षा नीति ... संस्कृति पर नहीं वरन् रोजगार परक संस्कृति पर आधारित होगी।

वो दिन दूर नहीं जब भारत के प्रत्येक राज्य में आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, आईआईएससी जैसे संस्थान तीव्र गति से पनप रहे होंगे। आज भारत में पिछले 6-7 वर्षों में ही 16 नये आईआईटी, 7 नये आईआईएम, 8 नये एआईआईएमएस, 7 नये आईआईटी खोले गये हैं। जो स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि शिक्षा का क्षेत्र केवल मात्रात्मक नहीं वरन् गुणात्मक होता जा रहा है। 2047 में प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में से 20 भारत के होंगे। भारत विश्व को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी श्रमशक्ति प्रदान कर रहा होगा।

भारत ऋग्वेद के मंत्र 'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय च' के आधार पर ऐसी साम्य शक्ति का प्रचार-प्रसार कर रहा होगा, जिससे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को आत्म-सात करेगा और विकास में योगदान देगा।

3. योग, आयुर्वेद, एवं उन्नत तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवा- प्राचीन काल में प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित स्वास्थ्य प्रणाली ऐसे सिद्धान्त पर कार्य करती थी जिससे व्यक्ति बीमार ही न हो, और यदि रोगी हो भी जाता है तो सहज-सुलभ आयुर्वेद जल्द रोग को अत्यंत किफायती तरीके से दूर कर दे। परन्तु ब्रिटिश काल में यह प्रणाली ध्वस्त हो गयी।

यदि हम 1950 के आस-पास के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जन्म प्रत्याशा दर-35 वर्ष, शिशु मृत्यु दर- 200 शिशु प्रति हजार एवं मातृ मृत्यु दर 2000 मातृ प्रति एक लाख थी। जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से 2022 में सुधर कर जन्म प्रत्याशा दर 70 वर्ष, शिशु मृत्यु दर में 27 प्रति हजार व मातृ मृत्यु दर 110

प्रति लाख हो गयी है। भारत के कोने-कोने में बड़े-बड़े चिकित्सालय हैं, दवाई, टीकाकरण गांव में भी उपलब्ध है। परन्तु यह स्वास्थ्य प्रणाली अत्यंत खर्चीली है। भारत की 70 प्रतिशत आबादी बड़े अस्पतालों के खर्चे वहन नहीं कर सकती, स्वास्थ्य बीमा, व सरकारी सहायता सबको उपलब्ध नहीं है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इसका प्रारम्भ भी पिछले कुछ समय में हो चुका है।

'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' ने 60 प्रतिशत गरीबों को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी है। आयुष मंत्रालय की स्थापना ने पुरानी पद्धतियों को तीव्र गति से बढ़ाना शुरू कर दिया है। योग, विश्व में आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। टीकाकरण में भारत को महारत हासिल हो चुकी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम से स्वयं सिद्ध है। दवाईयों में भी भारत बड़ा निर्यातक देश बन कर उभरा है। चिकित्सा पर्यटन में भारत विश्व के प्रथम 10 देशों में शामिल हो गया है। ये सब 2047 के उस अमृत काल को रेखांकित कर रहे हैं कि भारत अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विकसित देशों की बराबरी ही नहीं करेगा, वरन् उनसे कहीं आगे निकलकर उन्हें उचित स्वास्थ्य सेवा को अपनाने में सहयोग देगा।

4. पर्यावरण संरक्षित सतत् विकास- पश्चिमी आचरण ने विकास के नाम पर सम्पूर्ण पृथ्वी का संतुलन खराब कर दिया है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने संसाधनों के अत्याधिक दोहन से जनित समस्याओं के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित किया। आज 30 वर्ष उपरांत अनेकों रणनीतियों, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार से पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रशस्त अवश्य हुआ है। परन्तु चुनौतियों की भरमार है। बाढ़, सूखा, बादल फटना, अत्यधिक गर्मी पश्चिम के समृद्ध

देशों में भी त्रासदी बन कर आयी है। विकास के नये पैमाने गढ़ने होंगे। यह स्पष्ट हो चुका है। भारत ने एक विकासशील देश होते हुए भी विकसित देशों के समकक्ष मापदंड निर्धारित किये हैं। जहां विश्व के विकसित देश 2050 में कार्बन जीरो का सपना देखते हैं वहीं भारत 2070 में कार्बन न्यूट्रल हो जायेगा। भारत ने विश्वव्यापी सौर ऊर्जा का जो अभियान छोड़ा है, वो ईंधन आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा।

ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक ईंधन, गैस आधारित प्रणाली से प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में अत्याधिक कमी 2030 में ही आ जायेगी। 2047 में भारत की नदियों का प्रवाह निरन्तर होगा, शुद्ध जल उपलब्ध होगा, भारत झीलों का देश बन कर उभरेगा, पानी का संकट सदा के लिए खत्म हो जायेगा। ये सपना नहीं वरन् कार्यक्रमों व तकनीक की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जो आज का युवा अवश्य देखेगा।

2047 का भारत एक महान विश्व गुरु होगा। जो उत्पाद और सेवाओं से अधिक विचारों को निर्यात कर रहा होगा। जिससे गरीब हो या अमीर सभी देश लाभान्वित होंगे।

आत्मनिर्भरता व शांति का मूलमंत्र लेकर विश्व न्याय व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। 900 करोड़ लोग भारत की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था, विचार शक्ति व तकनीकी ज्ञान को सहज उपलब्ध पायेंगे। क्योंकि भारत संकीर्ण राष्ट्रीय मानसिकता में नहीं वरन् बन्धुत्व के संदेश में आस्था रखता है। ऐसा शक्तिशाली भारत फिर से विश्व का प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगा।

(लेखक महाराजा अखिलेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंदूर एवं विश्वविद्यालय दिल्ली में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)

भविष्य का भारत : चुनौतियाँ एवं संभावनाएं



प्रो. (डॉ.) अखिलेश मिश्र

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लालकिले से आह्वान किया कि, सन् 2022 से 2047 की अवधि जो भारत के लिए अमृतकाल होगा में हम सभी भारत को विकसित एवं समृद्धिशाली राष्ट्र बनाने के लिए पंचप्रण (विकसित भारत, मन के भीतर गुलामी के अंश की समाप्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्य का इमानदारी से अनुपालन) लेना होगा। यह लेख इसी को ध्यान में रखकर भविष्य के भारत का एक ब्लू प्रिंट रखने का प्रयास है।

श्रीमद् भगवद् गीता में कहा गया है कि परिवर्तन शाश्वत है। हिन्दू धर्म एवं भारतीय समाज, न केवल सनातन है बल्कि, यह गतिशील एवं समन्वयकारी भी रहा है। समाज जीवन जिसमें अर्थ (चाणक्य के अनुसार "सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलं अर्थः") एक महत्वपूर्ण घटक है जो परिवर्तन हेतु उत्प्रेरक कारक, वातावरण एवं परिस्थितियाँ भी समय समय पर बदलते रहती हैं। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि, जिस समाज एवं संस्कृति ने युगानुसार अपनी उत्पादन एवं जीवन प्रणाली में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान नवप्रवर्तन को आत्मसात किया वो राष्ट्र एवं समाज विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा, जबकि समाज न केवल पिछड़ते गए बल्कि, समय के साथ धीरे-धीरे अप्रासंगिक भी होते गए। यदि विकास, तकनीकी उन्नयन एवं नवोन्मेष की दृष्टि से आकलन करें तो पाते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अब तक का काल काफी उपलब्धियों एवं असफलताओं का रहा।

चौथी औद्योगिक क्रान्ति के दौर में अर्थ एवं ज्ञानशक्ति का लम्बे समय तक केंद्र बने रहे अमेरिका, यूरोप, जापान, रूस, सिंगापुर कोरिया

जैसे विकसित देशों से हटकर नया केंद्र चीन, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम आदि की ओर होने वाला है। जिसका आधार नॉलेज इंटेन्सिव प्रोडक्ट एवं प्रोसेस होगा, जिसके लिए एक ओर जहाँ ज्ञान उद्योग को विकसित करने हेतु बड़े पैमाने पर भौतिक अधः संरचना एवं मानव संसाधन पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी वहीं, इसको आगे बढ़ाने के लिए युवा एवं नवोन्मेषी दिमाग रखने वाले उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित स्वरथ युवकों की आवश्यकता होगी। निःसंदेह आज के समय में भौतिक पूंजी की उपलब्धता में चीन, भारत से तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हो सकता है किन्तु, भारत जनसंख्या के जनांकिकी लाभ के दौर में अनुपातिक रूप से बेहतर युवा जनसंख्या अनुपात होने के कारण चीन से बेहतर स्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली

स्वदेशी आधारित अर्थनीति सबकी ही होनी चाहिए क्योंकि अर्थनीति में अर्थ-सुरक्षा स्वावलंबन के आधार पर होती है। जब तक हम स्वदेशी का अनुगमन नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक विकास होगा ही नहीं। लेकिन स्वदेशी क्या है? स्वदेशी यानी दुनिया से देश को बन्द कर लेना नहीं है। "आ नो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः" तो जो मेरे घर में बन सकता है, वह मैं बाजार में नहीं लाऊंगा। मेरे गांव के बाजार में जो मिलता है, उससे मेरे गांव का ट्रेजगार बनता है, मैं बाहर के गांव से बाजार से नहीं नहीं लाऊंगा। ऐसे क्रमशः जाते हैं, तो जो अपने देश में बनता है वह बाहर से नहीं लाता।

- मोहन भागवत (छरसंघपालक, ए. स्व. संघ)

केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 21 वीं सदी की चुनौतियों से निबटने एवं उपजे अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से बहु आयामी एवं बहुदेशीय नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निश्चय, एक महत्वपूर्ण एवं युगांतकारी कदम है।

काफी ना नुकुर के बाद अब पाश्चात्य विद्वान भी यह स्वीकारने लगे हैं कि यूरोप के आधुनिक ज्ञान की जननी भारत की धरती है। भारत के ऐतिहासिक रूप से आर्थिक सर्वोच्चता

की पुष्टि प्रो. एंगस मंडिसन के नेतृत्व में ओइसीडी द्वारा वित्त पोषित शोध से भी होती है। इस अध्ययन के अनुसार प्रथम ईसवी से लेकर छठी सदी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृहत्तर भारत का योगदान एक तिहाई से भी अधिक था जबकि पूरे पश्चिमी यूरोप का हिस्सा 10 से भी कम था। इतना ही नहीं, प्रथम औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा पूरे पश्चिमी यूरोप के हिस्से से भी अधिक था (सन्दर्भ हेतु केशव संवाद के फरवरी 2022 का अंक देखें)।

ज्ञातव्य है कि प्रथम औद्योगिकी क्रांति का दौर सन् 1760 से लेकर 1830 के मध्य माना जाता है जब उत्पादन पद्धति में प्रयोग होने वाली जैविक शक्ति (मानव श्रम एवं पशु की शक्ति) का स्थान जेम्सवाट द्वारा विकसित पानी एवं भाप की शक्ति ने लिया। इस नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए यूरोप में बड़े स्तर पर उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में मशीनीकरण किया गया। परिणाम स्वरूप यूरोप में बड़े-बड़े औद्योगिक क्लस्टर विकसित हुए तथा औद्योगिक समाज की संरचना विकसित हुई। यह समाज, सदियों से चली आ रही पुरानी परिवार पद्धति तथा स्थानीय आर्थिक लेने-देने की कृषिगत व्यवस्था से अलग था जिसमें समाज के विभिन्न घटकों के अंतरसम्बन्ध संकुचित हुए क्योंकि संबंधों का आधार लाभ एवं बाजार था। इसी का परिणाम रहा कि प्रथम औद्योगिक क्रांति के दौर में यूरोप में अतिलाभ, लिप्सा से ओत प्रोत पूंजीवाद के इर्द गिर्द बुने औद्योगिक समाज एवं दुनिया को शताब्दियों तक उपनिवेशवाद एवं शोषण का दंश भी झेलना पड़ा।

आर्थिक विकास के इतिहास में द्वितीय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत उत्पादन असेम्बली में बड़े पैमाने पर बिजली के प्रयोग से मानी जाती है। बिजली के प्रयोग ने उर्जा उत्पन्न करने में होने वाली न केवल ऊष्मा की हानि को कम किया बल्कि ग्रिड एनर्जी मिलने से उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा एवं मशीनों के आकार को सीमित कर उत्पादन की गति एवं उत्पाद गुणवत्ता बेहतर किया। चूंकि, यूरोप के उत्पादन का आधार, भाप उर्जा आधारित प्रथम औद्योगिक क्रांति था इसलिए द्वितीय औद्योगिक क्रांति का स्वामाधिक लाभ नये उत्पादन क्षेत्रों को मिला। इस दौर में उत्पादन की गति तेज होने एवं प्रतियोगिता के

कारण कीमतों में गिरावट के कारण बाजार पर कब्जे की होड़ हो गयी एवं अंतिम परिणिति दो विश्वयुद्ध एवं अनेको छोटे छोटे युद्धों के साथ मानवता को वृहद हानि के रूप में हुई।

तीसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का मूल, उत्पाद असेम्बली लाइन के विकेंद्रीकरण एवं मशीनों के आंकड़ों की सूचनाओं के डिजिटलकरण तथा उनके बेहतर प्रबंधन की आकांक्षा एवं कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग में है। जैसे जैसे सूचनाओं की सघनता एवं विस्तार बढ़ा, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नवोन्मेष के साथ इंटरनेट एवं नेटवर्किंग तकनीकी में उन्नतीकरण हुआ। Y2K (जिसमें वर्ष को केवल 2 डिजिट में लिखा जाता था जिस कारण वर्ष 2000 को 00 होने की समस्या हो सकती थी) बड़े स्तर पर डाटा फीडिंग का अवसर उत्पन्न हुआ जिसका स्वाभाविक लाम भारतीय युवाओं को मिला वही हार्डवेयर के क्षेत्र में चीन, कोरिया एवं अन्य देशों को मिला। उदासीकरण, वैश्वीकरण, कंप्यूटर के विस्तार एवं बाजार के एकीकरण ने निःसंदेह दुनिया की भौतिक सीमाओं को संकुचित किया तथा नारा लगने लगा कि दुनिया फ्लैट हो गयी है (सन्दर्भ हेतु Thomas L. Friedman की प्रसिद्ध पुस्तक "The World is Flat: The Globalized World in the Twenty-first Century" का अवलोकन करें)। व्यापार, वित्त, सूचना, तकनीकी एवं संसाधन के निर्वाह एवं उन्मुक्त प्रवाह को सुविधा जनक बनाने के लिए वैश्विक व्यवस्थाएं यथा, विश्वव्यापार संगठन (WTO), वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन (WIPO), मुक्त व्यापार क्षेत्र एवं क्षेत्रीय व्यापार संगठन इत्यादि नए कलेवर में सामने आये। मीडिया में नवोन्मेष (सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल प्लेटफार्म इत्यादि) एवं सरकारी नियामकों में शिथिलता के कारण मीडिया का विस्तार एवं उसकी पहुँच आम जनों तक बढ़ा। यह प्रक्रिया बढ़ ही रही थी कि चीन ने कुचक्र रचते हुए पूरे विश्व को कोविड 19 के संकट में धकेल दिया। कोविड के वैश्विक विस्तार के कारण जहाँ अनुमानतः 5 करोड़ से अधिक लोग असमय काल कवलित हुए वहीं, संसाधनों एवं मानवीय गतिशीलीकरण की निर्वाह प्रक्रिया थम सी गयी जिसके लिए विश्व जनमानस एवं सरकारें तैयार नहीं थी। दुनिया कोविड 19 से जैसे जैसे उभर ही रही थी कि चीन ने अवसर का लाम उठाते हुए 'साउथ चाइना सी' एवं पड़ोसी देशों को सीमा विवाद में उलझा दिया। रही सही कसर, रूस उक्रेन युद्ध एवं विकसित देशों की लोबिंग ने पूरी कर दी। इस विकट परिस्थिति

में भारत सरकार, अपनी सूझबूझ एवं कूटनीतिक चतुराई से अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के बिना उकसावे में आये हुए रूस एवं ईरान से इंधन समझौते कर न केवल सस्ता तेल प्राप्त करने में सफल रही बल्कि, देश को इंधन संकट एवं फ्यूल इन्प्लेशन से बहुत बड़े स्तर तक बचाने में सफल रही। जबकि कई देश आज भीषण उर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 के दौरान करीब 30 करोड़ लोगों की आय घटी एवं उनमें से बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और आज भयंकर मुखमरी का सामना कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के अगुवाई वाली भारत सरकार ने अपनी सूझ बूझ से तत्परता दिखाते हुए, बहुत कम समय में स्वदेशी, सस्ती एवं प्रभावी वैक्सीन को तैयार करा देश में टीकाकरण अभियान प्रारम्भ कर दिया एवं eligible population के सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इससे, देश में न केवल निश्चितता का वातावरण तैयार हुआ बल्कि, कई गरीब देशों को सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराकर वैश्विक जीवन एवं अर्थ हानि को कम किया।

कोविड के एपिसोड के बाद चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां अपने प्रोडक्शन बेस को चीन से बाहर ले जाना चाहती हैं जिसके लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता है। भारत, चीन की अपेक्षा इस समय सापेक्षिक रूप से बेहतर स्थिति में है क्योंकि, भारत न केवल एक प्रजातांत्रिक देश है बल्कि, देश में जनैकिकी लामांश का दौर 2050 तक बना रहेगा। वहीं चीन में 2030 के बाद बड़े स्तर पर वृद्धता (एजिंग पापुलेशन) का दौर शुरू हो जाएगा।

21वीं सदी में तकनीकी नवप्रवर्तन, ज्ञान में निरंतर प्रगति एवं प्रतियोगिता के कारण वैश्विक आर्थिक क्रम में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है कि आने वाली सदी ज्ञान की सदी होगी। कठोर पेटेंट कानूनों, उत्पादों के व्यवसायीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों से ज्ञान पर कुछ देशों एवं संस्थाओं का एकाधिकार भारत जैसे जनसंख्या बहुल देशों के लिए विकास अवसर एवं चुनौतियों दोनों खड़ा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास रादियों पुरानी किंतु विखरी ज्ञान की थाती का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

इंटरनेशनल पॉपुलेशन फंड के पूर्वानुमान के अनुसार भारतवर्ष, चीन की जनसंख्या को

पीछे छोड़ते हुए 2026 में दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का देश हो जायेगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि गरीबी सघन क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, आदि) जो पहले से ही संसाधनों की कमी जूझ रहे हैं एवं गरीब परिवारों, एवं वंचित सामाजिक समूहों में अधिक है। इसके अलावा देश में कुछ धार्मिक समूह तथाकथित 'गजवा ए हिन्द' एवं धर्मांधता से अनुप्राणित होकर, पिछले तीन दशक से गैर-अनुपातिक रूप से जनसंख्या में बढ़ोत्तरी कर जनैकिकी असंतुलन पैदा करने में लगे हैं। ऐसा प्रायः देखा गया है कि गरीब राज्य एवं संसाधनों से वंचित परिवारों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे इन्हें पोषणयुक्त भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, एवं रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार की बढ़ती मानवीय शक्ति में देश के विकास एवं संवर्धन का संकल्प कम, टकराव, निराशा एवं हताशा का तत्व अधिक होगा जिनको आसानी से देश विरोधी ताकतें गुमराह कर भटकाव की ओर ले जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि जनसंख्या का सही ढंग से विनियमन एवं प्रबन्धन नहीं किया जाएगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाम के बजाय राष्ट्र को 'डेमोग्राफिक डिजास्टर' का सामना करना पड़ सकता है। अतः परमपूज्य सर संघ चालक मोहन भागवत की चिंता एवं चेतावनी पर सभी सरकारों को ध्यान देने एवं सही नीति को बनाने एवं इमानदारी से लागू करने की जरूरत है। आज आवश्यकता है कि हम समय रहते देश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करें एवं चतुर्थ अद्योगिकी क्रांति का उचित उपयोग कर जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित कर 10 प्रतिशत विकास की लक्ष्य प्राप्ति में उपयोग करें। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत में बढ़ते स्वचालन (Automation) के कारण देश में 43 प्रतिशत रोजगार पर संकट हो सकता है, इसलिए हमारा उद्देश्य अंध तकनीकी प्रयोग के बजाय, एक हाइब्रिड मॉडल तैयार करना होना चाहिए जिसमें मानव शक्ति एवं तकनीकी संतुलन बना रहे। इसके अलावा देश में पर्याप्त रोजगार सृजन, गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्धता, पर्यावरण मित्र विकास को प्रोत्साहित करना एवं गरीबी, असमानता, पलायन, तकनीकी पहुँच अंतराल को कम कर करने पर जोर देना होगा।

(लेखक शृङ्गदयाल रत्नातकोत्तर महाविद्यालय गालियाबाद में प्राचार्य हैं)

भविष्य का भारत (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण)



डॉ. मनमोहन सिंह शिवोदिया

भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि भविष्य के भारत का चित्र एवं उसे साकार करने के संबंध में प्रत्येक भारतवासी की दृष्टि स्पष्ट हो। भारतवासियों के साथ ही दुनिया को भी यह स्पष्ट हो कि 'एकम् सत् विद्मः बहुधा वदन्ति' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे विचारों के सृजनकर्ता भारत राष्ट्र का स्वत्व पर खड़ा हो परम वैभव सम्पन्न होना मानवता सहित सम्पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी के व्याख्यानों के संकलन पर आधारित पुस्तक 'भविष्य का भारत' पाठकों को संक्षेप में भारत के भविष्य की दृष्टि समझाने में सहायक सिद्ध होगी। पुस्तक में भारत का भविष्य गढ़ने के निमित्त मूल विषयों पर चर्चा की गई है। संघ प्रमुख स्पष्ट रूप से कहते हैं कि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कौन, क्या कहता है, इस पर विश्वास मत कीजिए। यहाँ तक कि वह स्वयं की बातों पर भी विश्वास न करने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि, संघ एक खुला संघटन है, जिसमें न कोई औपचारिक सदस्यता है और न ही कोई आने का शुल्क है। वह मातृशक्ति सहित सभी से संघ में आकर उसे अंदर से देखने, समझने और फिर संघ के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान करते हैं। तदोपरान्त भारत राष्ट्र को अपने स्वत्व पर खड़ा करने और इसे परम वैभव सम्पन्न बनाने के लिए, शाखा के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और सामाजिक परिवर्तन हेतु संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों से जुड़ने का आग्रह करते हैं। भारत राष्ट्र को समझकर, उसे एक करने की दिशा में जो

भी छोटा-बड़ा काम अपनी पद्धति से करना चाहते हैं, वह उसे करने का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी हमारी शक्ति है हम करेंगे, जितनी आपकी शक्ति है उतना आप करो। लेकिन भारत राष्ट्र को हमें खड़ा करना है। यह आवश्यक है चूंकि सम्पूर्ण दुनिया को आज एक तीसरा रास्ता चाहिए जिसे देने की क्षमता केवल भारत में है। यह व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं विश्व कल्याण का कार्य है। भारतीय सभ्यता का मन्तव्य युद्ध के माध्यम से देश और जमीन जीतना नहीं अपितु संस्कारों द्वारा दिल जीतना है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अपने गीत में कहते हैं, "ए आमार देह जोदिन तोमार वैभवमय भंडार द्वारा अबरित छिलो विश्वजनाय सकलकामना पूर्ण करे से महादिने महाइतिहास जित्यजीवने वरण करे"। (हे महान देश! हे हमारे महान देश! जिस दिन तुम्हारे अकूत ज्ञान भंडार का द्वार सारे विश्व के लिए खुला होगा और उन सकल लोगों की कामना पूर्ण करने लगा, उस महान दिन का स्मरण करो, उसको अपने जीवन में वरण करो)। उनका यह आह्वान साक्षात् हम सबके सामने खड़ा है, जिसे पूरा करने की ताकत हम सबको मिलकर बनानी होगी। इसके लिए समाज को जोड़ने वाला एकमात्र सूत्र दुनिया में जो है, उसका आलंबन लेकर सम्पूर्ण समाज को इससे जोड़ना होगा। अपने कर्तव्यबोध पर खड़ा करना पड़ेगा और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर उनके सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि, इतिहास में हम यह लिखा देना नहीं चाहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण देश का उद्धार हुआ। हम यह लिखा देना चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी निर्मित हुई, जिन्होंने उद्यम किया और अपने देश को सम्पूर्ण दुनिया का गुरु बनाया। संघ प्रमुख उस पवित्र कार्य के आरंभ के आह्वान के साथ ही समाज में कर्तव्य बोध जाग्रत करने का आग्रह भी करते हैं।

शिक्षा में परंपरा और आधुनिकता के समन्वय तथा वेद, रामायण एवं गीता आदि के शिक्षा में समावेश संबंधी प्रश्न के जवाब में वह कहते हैं कि आज की दुनिया में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो लेने लायक है, वह लेते हुए अपनी परंपरा से जो लेना है उसका समावेश देश की शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए। उच्च

शिक्षा का स्तर घटने के संबंध में वो कहते हैं कि, शिक्षा का स्तर नहीं घटता है; शिक्षा देने और लेने वालों का स्तर घटता है। तिलक जी को उदघृत करते हुए वह तिलक जी द्वारा अपने बेटे को भेजे संदेश का वर्णन करते हैं। "जीवन में तुम्हें क्या पढ़ना है यह तुम विचार करो। तुम अगर कहते हो कि मैं जुते सिलने का व्यवसाय करता हूँ तो मुझे चलेगा। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारा सिला जूता इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि पुणे शहर का हर आदमी कहे कि जूता खरीदना है तो तिलक जी के बेटे से खरीदना है"। वो प्रश्न पूछते हैं कि, क्या आज हम अपने बच्चों के अंदर यह भाव भरकर विद्यालय भेजते हैं कि, जो मैं सीख रहा हूँ, वो मैं उत्कृष्ट करूँगा, उत्तम करूँगा तथा उसकी उत्कृष्टता में मेरी प्रतिष्ठा है? "ज्यादा कमाओ लेकिन कमाओ" का मंत्र देकर यदि हम बच्चों को विद्यालय भेजेंगे तो शिक्षा कितनी भी अच्छी हो वो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि पिताजी/माताजी ने कहा है। वह शिक्षक में छात्र के भविष्य को गढ़ने की सोच, योग्यता एवं दृष्टि होने के साथ ही अध्ययन की विषय वस्तु समुचित होने तथा शिक्षकों की प्रचुर संख्या होने को निर्णायक बताते हुए उन्हें शिक्षा तंत्र में अंतर्निहित करने का आह्वान करते हैं। साथ ही वह शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों से भी शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का प्रयास करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तर में वह कहते हैं कि हमें अपनी भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही अन्य किसी भाषा से शत्रुता अथवा ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। विदित है कि फ्रांस में फ्रेंच, इजराइल में हिब्रू, जापान में जापानी, रूस में रशियन, चीन में मंदारिन सीखकर जाना पड़ता है। जाहिर है इन देशों ने प्रयासपूर्वक यह सब किया है। हम भारतवासी ऐसे प्रयास क्यों नहीं करते? स्पष्टतः हम भारतीयों की किसी भाषा से शत्रुता नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई और भाषा। परंतु देश की उन्नति के लिए हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं के बारे में वह कहते हैं कि हमारे यहाँ अनेकों भाषाएँ हैं। एक-दूसरे को बेहतर जानने के लिए हमें यथासंभव दूसरी भाषाओं को भी सीखना चाहिए। अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं इसलिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की

बात चलती है। एक भाषा की बात हम देश जोड़ने के लिए करते हैं। अतः एक भाषा बनाने से यदि कटुता अथवा विरोध बढ़ता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसा करने के लिए लोगों का मानस कैसे तैयार करें? हिन्दी भाषी लोगों को भी किसी अन्य प्रांत की एक भाषा को सीखना चाहिए। इससे एक राष्ट्रभाषा बनाने और उसमें कारोबार करना आसान होगा।

संस्कृत संबंधी विषय पर वह कहते हैं कि भले ही आज संस्कृत विद्यालय कम होते जा रहे हैं परंतु यदि समाज का मानस तैयार होगा तो नई नीतियाँ निर्मित हो सकती हैं और नए संस्कृत विद्यालय खुल सकते हैं। समाज में यह सोच हो कि संस्कृत के माध्यम से ही अपनी परंपरा का साहित्य पढ़ा जा सकता है। ऐसा मानस बनने से अपनी विरासत का ठीक से अध्ययन हो सकेगा। साथ ही कंप्यूटर एवं गणनाओं में संस्कृत की सर्वाधिक उपयुक्तता भी लोगों के सामने पहुँच सकेगी। संघ प्रमुख भाषाओं में किसी बरीयता को निरर्थक बताते हुए कहते हैं कि सारी भारतीय भाषाएँ मेरी अपनी हैं। साथ ही रुचि और आवश्यकता है तो विदेशी भाषा सीख उसमें भी प्रवीण बनना चाहिए।

महिला सुरक्षा संबंधी विषय पर संघ प्रमुख ने महिलाओं को देखने की पुरुष की दृष्टि को इसके समाधान के रूप में रखते हुए भारतीय परंपरा में अंतर्निहित, 'मातृवत परदारेषु (दूसरों की पत्नी को अपनी माँ समान समझना)' को इसका समाधान बताया। वह उन भारतीय संस्कारों को पुरुषों में जगाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अपराधियों में कानून का डर न होने के संबंध में उन्होंने कहा कि कानूनों से ज्यादा समाज की धाक और संस्कारों के चलन का परिणाम होता है। कानून की यशस्विता समाज के मानस पर निर्भर करती है। **गाय एवं मंत्रालिखित** से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए वह कहते हैं कि, देश के छोटे किसानों के लिए गाय अर्थात् गाय का आधार बन सकती है। साथ ही गाय के सानिध्य एवं उनकी सेवा करने से आपराधिक प्रवृत्ति में कमी आने संबंधित जेलों की गऊशालाओं में हुए प्रयोगों के परिणामों को भी वह उदाहरण करते हैं। वह गऊपालन बढ़ने से अपराधों में कमी आने की संभावना भी बताते हैं। **धर्मांतरण** के छल, बल, धन से होने के बारे में संघ प्रमुख कहते हैं कि, यदि सभी मत पंथ समान हैं तो धर्मांतरण की आवश्यकता क्यूँ? यदि छल, बल, धन से धर्मांतरण होता है तो वह नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति न होकर कुछ और ही होता है। वह प्रलोभन आधारित धर्मांतरण के विरोध को

उचित बताते हैं। देश के अनेकों हिस्सों में बदलते **जनसांख्यिकीय स्वरूप** के संबंध में वह कहते हैं कि इस विषय को न केवल तात्कालिक संदर्भ में अपितु अगले पचास साल का प्रोजेक्सन मन में रख रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार की आवश्यकताओं एवं महिलाओं की सक्षमता, प्रबुद्धता, एवं स्वतंत्रता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेना होगा। सुविचारित नीति बनने के बाद उसका अनुपालन हो। तय करने के बाद जनता का मानस बनाना अन्यथा लोग कानून बनने पर स्वीकार करेंगे ऐसा आवश्यक



नहीं है। उन्होंने कहा कि **जनसांख्यिकीय** असंतुलन के लिए मतांतरण एवं घुसपैठ भी कारण हैं और ये देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाला विषय भी है अतः इसका बंदोबस्त होना चाहिए।

आरक्षण के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान अनुसार आरक्षण को संघ का पूरा समर्थन है। उनके अनुसार आरक्षण समस्या नहीं है बल्कि इस पर होने वाली राजनीति एक समस्या है। चूंकि आरक्षण समाज की स्वस्थता का विषय है, अतः समाज का जो अंग पिछले कालखंड में निर्बल हो चुका है, उसे ठीक करने के लिए जब तक आवश्यक हो, आरक्षण जारी रहना चाहिए। **समान नागरिक संहिता** के विषय में उन्होंने कहा कि संविधान के मार्गदर्शक के रूप में तथा देश की एकात्मता को सुदृढ़ करने के लिए समाज का मन बनाने तथा लागू करने का प्रयास होना चाहिए। समाज में यह सोच विकसित होनी चाहिए कि कोई अल्पसंख्यक—बहुसंख्यक नहीं है। हम सब एक देश के लोग हैं, एक दूसरे के भाई हैं और अलग प्रकार से

रहना हमारी विशेषता है। **चुनाव में नोटा** के प्रयोग पर उन्होंने इसका प्रयोग न करने की बात की और उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ के पक्ष में जाने का आह्वान किया। **संघ और राजनीति** संबंधित प्रश्नों के उत्तर में वो कहते हैं कि संघ नीति का समर्थन करता है किसी दल का नहीं। हमने एक ऐसी पद्धति बनाई है कि संघ में जो आता है, वह कैसा भी हो; जैसा हमको चाहिए, वैसा बनकर निकलेगा। संघ में मिलने की बात तो दूर, सब देना ही है। चुनावों में शमशान एवं कब्रिस्तान जैसे विषय उठाए जाने पर वह कहते हैं कि, यदि राजनीति लोक कल्याण के लिए न होकर केवल सत्ता के लिए होती है तब ही शमशान, कब्रिस्तान और भगवा आतंक जैसी बातें होती हैं। अतः राजनीति सत्ता के माध्यम से लोक कल्याण के लिए हो।

अल्पसंख्यकों के संबंध में वह कहते हैं कि संघ इस शब्द को नहीं मानता। संघ मानता है कि सब अपने हैं और जो दूर गए हैं, उनको जोड़ना है। परंपरा से, राष्ट्रीयता से, मातृभूमि से, पूर्वजों से हम सब लोग एक हैं। एक मानने का आधार पंथ, संप्रदाय, भाषा, जाति आदि नहीं अपितु मातृभूमि, संस्कृति, पूर्वज आदि हैं। **ग्राम विकास, स्वदेशी एवं बेरोजगारी** पर राय व्यक्त करते हुए संघ प्रमुख कहते हैं कि गाँव की वृत्ति जैसे प्रकृति के प्रति मित्रता, परस्पर सहयोग, सद्भाव आदि कायम रखकर गाँव का विकास होना चाहिए। स्वदेशी आधारित अर्थनीति देश के लिए आवश्यक है। आज उद्यमिता एवं स्किल ट्रेनिंग की ओर रुझान बढ़ा है। युवा विदेश से शिक्षा लेकर वापस आकर अपना काम/खेती आदि कर रहे हैं। स्वदेशी वृत्ति के बिना कोई अर्थतन्त्र अपने देश को सबल नहीं बना सकता। 'भविष्य का भारत' पाठकों को राष्ट्र प्रथम को आधार बनाकर देश के भविष्य का स्वप्न बुनकर उसे साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। ज्वलंत विषयों जैसे बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्मांतरण, समान आचार संहिता, आरक्षण, महिला सम्मान, आदि पर राष्ट्रीय नीति तय करने की दृष्टि से पुस्तक अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

लेखक एवं पुस्तक परिचय: 'भविष्य का भारत' नामक यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी द्वारा 'भविष्य का भारत' विषय पर 17, 18 एवं 19 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, दिल्ली में आयोजित व्याख्यानमाला का संकलन है। पुस्तक, विमर्श प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। (समीक्षक के निजी विचार)

(समीक्षक गौतमबुद्ध विज्ञानविद्यालय, गेट नोएडा में औद्योगिक विज्ञान विभाग में शिक्षक हैं)

विकसित देशों की तुलना में भारत में तेजी से कम हो रही है गरीबी



प्रह्लाद सबनानी

विकसित देशों के कुछ अर्थशास्त्रियों ने भारत के विरुद्ध जैसे एक अभियान ही चला रखा है और भारत के आर्थिक विकास को वे पचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रैल-जून 2022 तिमाही में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने जा रहा है। इस प्रकार भारत न केवल आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है बल्कि भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, फिर भी इन अर्थशास्त्रियों द्वारा मानव विकास सूचकांक में भारत को श्रीलंका से भी नीचे बताया जाना, आश्चर्य का विषय है। यह विरोधाभास इन अर्थशास्त्रियों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि श्रीलंका की हालत तो जग जाहिर है एवं आर्थिक दृष्टि से भारत एवं श्रीलंका की तुलना ही नहीं की जा सकती है। आर्थिक विकास के साथ मानव विकास भी जुड़ा है। भारत में आर्थिक विकास तो तेज गति से हो रहा है परंतु इन अर्थशास्त्रियों की नजर में भारत में मानव विकास में लगातार गिरावट आ रही है। यह एक सोचनीय विषय है।

अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक (एचडीआर) प्रतिवेदन 2021-22 जारी किया है। एचडीआर की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2020 में 130वें पायदान पर था और 2021 में 132वें पर आ गया है, ऐसा इस प्रतिवेदन में बताया गया है। मानव विकास सूचकांक का आंकलन जीने की औसत उम्र, पढ़ाई, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। कोरोना महामारी के खंडकाल में भारत का इस सूचकांक में निचले



स्तर पर आना कोई हैरान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। परंतु, वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के बीच भारत को एचडीआर रैंकिंग में लगातार नीचे जाता हुआ दिखाया जा रहा है। जबकि, इसी अवधि में चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, भूटान और मालदीव जैसे देशों की रैंकिंग ऊपर जाती हुई दिखाई जा रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में आज हम अनभिज्ञ नहीं हैं।

इसी प्रकार इन अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इनके अनुसार, भारत के 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमाते हैं। भारत की जनसंख्या यदि 140 करोड़ मानी जाय तो देश की कुल जनसंख्या के 16.42 प्रतिशत नागरिक 375 रुपए से कम कमा रहे हैं, जबकि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में इस सम्बंध में जारी किए गए आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आज भारत के ऊपर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी आते हैं। अगर इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी के आंकड़ें देखे तो कई चौकाने वाले खुलासे सामने आते हैं।

सबसे पहले अगर अमेरिका की बात की जाय तो अमेरिका की कुल आबादी के 11.4 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन

कर रहे हैं। जबकि अमेरिका को विश्व का सबसे अमीर एवं विकसित देश माना जाता है। चीन के सम्बंध में तो कोई वास्तविक आंकड़े सामने आते ही नहीं हैं, अतः चीन की बात करना ठीक नहीं होगा। जर्मनी में भी स्थिति अमेरिका जैसी ही है। कुल आबादी में से 15.5 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जापान के सम्बंध में वर्ष 2020 में आई एक खबर के अनुसार जापान में गरीबों की संख्या बढ़ रही है एवं मध्यमवर्गीय लोगों की संख्या कम हो रही है। जापान में 15.7 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

यह भी एक चौकाने वाली बात है कि विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में अमेरिका में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। जबकि विश्व की सबसे बड़ी उक्त चार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में सबसे कम आत्महत्याएं होती हैं। यह भी मानव विकास सूचकांक का एक अवयव है, परंतु मानव विकास सूचकांक में भारत की लगातार गिरती स्थिति ही दर्शायी जाती है।

अब भारत की बात करते हैं। भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 1947 में देश की आबादी 35

करोड़ थी जो आज बढ़कर लगभग 136 करोड़ हो गई है।

अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर (शोध पत्र) जारी किया है। इस शोध पत्र के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत में गरीबों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 22.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019 में घटकर 10.2 प्रतिशत पर नीचे आ गई है अर्थात् गरीबों की संख्या में 12.3 प्रतिशत की गिरावट दृष्टिगोचर है। अत्यंत चौकाने वाला एक तथ्य यह भी उभरकर सामने आया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या बहुत तेज गति से कम हुई है। जहां ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2011 के 26.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 11.6 प्रतिशत पर आ गई है अर्थात् यह 14.7 प्रतिशत से कम हुई है तो शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 7.9 प्रतिशत से कम हुई है। उक्त शोधपत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी बताया गया है कि वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच गरीबों की संख्या अधिक तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के दौरान गरीबों की संख्या 3.4 प्रतिशत से घटी है वहीं वर्ष 2015 से 2019 के दौरान यह 9.1 प्रतिशत से कम हुई है और यह वर्ष 2015 के 19.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 10 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के दौरान तो गरीबी 3.2 प्रतिशत से कम हुई है यह कमी पिछले दो

दशकों के दौरान सबसे तेज गति से गिरने की दर है। ग्रामीण इलाकों में छोटे जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छी रही है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2015 के 21.9 प्रतिशत से वर्ष 2019 में घटकर 11.6 प्रतिशत पर नीचे आ गई है, इस प्रकार इसमें 10.3

गांव का विकास होना ही चाहिए। गांवों का गांवपन कायम रखकर, गांवपन यानि मजबूतता का, शक्तों का नहीं। गांवों में स्कूल नहीं हैं, यह गांवपन नहीं है। विकास यहां पूरा होना चाहिए, लेकिन गांव की जो वृद्धि है, उसमें प्रकृति के प्रति मित्रता है, उसमें परस्पर सहयोग है, सद्भाव है, ये सारी बातें कायम रखकर गांव का विकास होना चाहिए। गांव का विकास में भारत का विकास है, ऐसा हम मानते हैं और ग्राम विकास के लिए अपने स्वयंसेवक काम भी करते हैं।

- मोहन भागवत (सरसंघवालय, रा. एच. संघ)

प्रतिशत की आकर्षक गिरावट दर्ज की गई है। उक्त शोधपत्र में यह भी बताया गया है कि बहुत छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 2013 और 2019 के बीच वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है वहीं अधिक बड़ी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने तो अपनी एक अन्य रिपोर्ट में भारत द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए

कहा है कि विशेष रूप से गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) को लागू किए जाने के चलते ही भारत में अत्यधिक गरीबी का स्तर इतना नीचे आ सका है और अब भारत में असमानता का स्तर पिछले 40 वर्षों के दौरान के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ज्ञातव्य हो कि भारत में मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है एवं इस योजना की अवधि को अभी हाल ही में दिसम्बर 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। उक्त मुफ्त अनाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत काफी सस्ती दरों पर (दो/तीन रुपए प्रति किलो) उपलब्ध कराए जा रहे अनाज के अतिरिक्त है।

इस प्रकार, विकसित देशों के अर्थशास्त्री मानव विकास सूचकांक को आंकते समय न केवल भारत के आर्थिक विकास को पूर्णतः नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी एवं आर्थिक असमानता पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी भी देश में यदि आर्थिक विकास होकर गरीबों की संख्या में कमी आएगी तो स्वामाविक रूप से उस देश के नागरिकों का भी विकास होगा ही।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हैं)

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल

प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं

केशव संवाद को सोशल मीडिया

पर FOLLOW करें।

FACEBOOK



Keshav Samvad




@keshavsamvad



@KeshavSamvad



samvadkeshav



भविष्य के भारत की गंभीर चुनौती है जनसांख्यिकीय बदलाव



डॉ. प्रदीप कुमार

जनसांख्यिकी असन्तुलन के सवाल पर लगातार चिंता और चर्चा देश के राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ आने वाले भविष्य के विकराल एवं भयावह चित्र की प्रस्तुति एक निश्चित राष्ट्रीय दायित्व और सकारात्मक सरोकार की तरह होती जा रही है। यदि हम भारत की धार्मिक आबादी के बदलते परिदृश्य की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो भी एक भयावह तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। भारतीय जनसंख्या के बदलते धार्मिक स्वरूप का भारत के ताजा इतिहास पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है और यह अभी भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले झगड़ों के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है।

2011 की जनगणना के पाथिक आधार पर

किये गये विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध सम्प्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अन्तर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असन्तुलन देश की एकता, अखंडता व सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है इसलिए देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असन्तुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाना देश हित में महत्वपूर्ण कदम होगा। विश्व का इतिहास साक्षी है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी समाज में सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन का कारक बनता है। इसके लिए किसी बाहरी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, भारत स्वयं 1947 में जनसांख्यिकी के असन्तुलन के कारण विभाजन की दुःखद त्रासदी को झेल चुका है; क्योंकि देश के कुछ विशिष्ट भागों में

हिन्दू-मुस्लिम अनुपात असन्तुलित हो गया था। इस असन्तुलनकारी निरन्तरता को इस 2011 की जनगणना ने और अधिक उजागर किया है, विभाजन के 57 साल बाद भी असन्तुलन की इस प्रक्रिया से देश के विभिन्न भागों में हम जूझ रहे हैं। बांग्लादेश से सटे हुए असम के छः जिलों तथा बंगाल के तीन जिलों में हिन्दू अल्पसंख्यक हो ही चुके हैं, साथ ही असम के चार जिलों में तथा बंगाल के सात जिलों में हिन्दू अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। ऐसा बांग्लादेश की ओर से हो रही घुसपैठ के कारण हो रहा है। असम में आई.एम.डी.टी. विधेयक इस घुसपैठ को रोकने की बजाय इसे बढ़ाने का ही काम कर रहा है।

नेपाल की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सभी जिले मुस्लिम जनसंख्या की तीव्र बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। इन जिलों में आज इनका अनुपात 20 से 68 प्रतिशत तक हो चुका है। यह वही परिक्षेत्र है जिसकी परिकल्पना अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत विभाजन के योजनाकार मोहम्मद अली जिन्ना ने बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को जोड़ने वाले मार्ग के रूप में की थी। ग्यारह राज्यों में ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30 प्रतिशत से ज्यादा है,

इसी प्रकार मुसलमानों की भी दशकीय वृद्धि दर नौ राज्यों में 30 प्रतिशत से अधिक रही है। इस जनसंख्या असन्तुलन के मुख्यतः तीन कारण हैं। प्रथम, समाज के सभी सम्प्रदायों के लिए समान जनसंख्या नियंत्रण नीति का ना होना; साम्प्रदायिक मतांतरण, बंगलादेश तथा पाकिस्तान से घुसपैठ है।

आज इन तथ्यों का दुष्प्रभाव समाज में विभिन्न प्रकार से प्रतिबिंबित हो रहा है, पश्चिम बंगाल के आठ सीमान्त जिलों में मुस्लिम बहुल 19 नए विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। यह भी महज संयोग नहीं है कि जहाँ हिन्दुओं की आबादी निरन्तर घटती जा रही है वे ही क्षेत्र आतंकवादी कार्यवाहियों से अत्यधिक ग्रस्त हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें सभी सम्प्रदायों के लिए समान जनसंख्या नियंत्रण की एक समग्र एवं प्रभावी नीति का विकास करें। सभी राज्य सरकारें मतांतरणरोधी प्रभावी कानूनों का निर्माण करें। केन्द्र और राज्य सरकारें घुसपैठ को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँ तथा केन्द्र सरकार घुसपैठियों को पहचानने, उनके नाम मतदाता सूची से काटने तथा उन्हें वापस भेजने की कार्यवाही करें।

विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में से था, जिसने वर्ष 1952 में ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परन्तु सन् 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। इस नीति का उद्देश्य 2.1 की 'सकल प्रजनन-दर' की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ऐसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन-दर का यह लक्ष्य समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा। परन्तु 2005-06 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण और सन् 2011 की जनगणना के 0-6 आयु वर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से 'असमान' सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है।

यह इस तथ्य में से भी प्रकट होता है कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अन्तर के कारण देश की जनसंख्या में जहाँ भारत में उत्पन्न मतपंथों के अनुयायियों का अनुपात 88 प्रतिशत से घटकर 83.8 प्रतिशत रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 प्रतिशत से बढ़ कर 14.23 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, देश के सीमावर्ती

प्रदेशों यथा असम, पश्चिम बंगाल व बिहार के सीमावर्ती जिलों में तो मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, जो स्पष्ट रूप से बंगलादेश से अनवरत घुसपैठ का संकेत देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उपमन्त्रु हजारीका आयोग के प्रतिवेदन एवं समय-समय पर आये न्यायिक निर्णयों में भी इन तथ्यों की पुष्टि की गयी है। यह भी एक सत्य है कि अवैध घुसपैठिये राज्य के नागरिकों के अधिकार हड़प रहे हैं तथा इन राज्यों के सीमित संसाधनों पर भारी बोझ बन सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तनावों का कारण बन रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में पांथिक आधार पर हो रहा जनसांख्यिकीय असंतुलन और भी गंभीर रूप ले चुका है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में उत्पन्न मत-पंथों को मानने वाले जहाँ 1951 में

जनसंख्या का विचार जैसे एक बोझ के रूप में होता है कि मुंह बढ़ेंगे तो खाने को तो देना ही पड़ेगा। रहने को जगह देनी पड़ेगी, पर्यावरण उपयोग ज्यादा होगा। लेकिन जनसंख्या कम करने वाले हाथ भी दती है। जनसांख्यिकीय संतुलन भी रहना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर जनसंख्या के बारे में एक नीति हो। जिसमें सारे अंग सुविचारित हों, अगले पचास साल तक की स्थिति की कल्पना कर नीति बनें और वह सब पर समाज रूप से लागू हो।

- मोहन भागवत (सरसंघवाचक, रा. स्व. संघ)

99.21 प्रतिशत थे, वे 2001 में 81.3 प्रतिशत व 2011 में 67 प्रतिशत ही रह गये हैं। केवल एक दशक में ही अरुणाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मणिपुर की जनसंख्या में इनका अनुपात 1951 में जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक था, वह 2011 की जनगणना में 50 प्रतिशत ही रह गया है। उपरोक्त उदाहरण तथा देश के अनेक जिलों में ईसाईयों की अस्वाभाविक वृद्धि दर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा एक संगठित एवं लक्षित मतांतरण की गतिविधि का ही संकेत देती है।

प्रकाशित जनगणना 2011 के पांथिक आँकड़ों से बहुत से चौंका देने वाले तथ्य प्रकाश में आए हैं। देश को तथा राष्ट्रवादी ताकतों को इन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए एवं राज्य और केन्द्र सरकारों को इन चिन्ताजनक सरोकारों की तरफ समुचित ध्यान देना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि

भारतीय मुसलमानों की दशकीय बढ़ोतरी जहाँ 24.60 प्रतिशत रही वहीं पाकिस्तान के मुसलमानों की आबादी 20 प्रतिशत वृद्धि दर और बंगलादेश की मात्र 14 प्रतिशत है। वास्तव में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय मुसलमान विश्व के 57 मुस्लिम देशों में सऊदी अरब को छोड़कर बाकी के 56 देशों में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला समुदाय है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 2011 की जनगणना के धार्मिक आँकड़ों के प्रकाशन पर अपनी टिप्पणी की है कि यदि मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर यही रही तो 2050 में भारत में हिन्दू पंथानुयायी अल्पसंख्यक होंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे। इस ओर देश के बुद्धिजीवी वर्ग तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का ध्यान जाना अति आवश्यक है क्योंकि किसी समुदाय वर्ग से संबन्धित विकास की योजनाएँ बनाते समय जनसंख्या के आँकड़ों को सामने रखना महत्वपूर्ण होता है। दुनियाँ के कुछ प्रमुख मुस्लिम देशों पर नजर डालें तो ईरान और मलेशिया में दशकीय वृद्धि दर 20 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 17 प्रतिशत, अल्जीरिया में 14 प्रतिशत, तुर्की में 13 प्रतिशत और ट्यूनीशिया में कुल 10 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि कई मुस्लिम देशों की आबादी भारत के हिन्दुओं से भी कम गति से बढ़ी है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि यदि मुस्लिम समाज अपने शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊँचा उठा कर देश की मुख्य धारा में आकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है उसे सर्वप्रथम अपनी बढ़ती आबादी को नियन्त्रित करने के लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी जिसे मुस्लिम समाज को खुद अपने अन्दर से खड़ा करना होगा। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमि खरीद के अधिकार से वंचित किया जाए।

(लेखक सत्यवती कालेज (सांघ्य), दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हैं)

पुरातन विरासत हस्तिनापुर



प्रो. (डॉ.) हरेन्द्र सिंह

महामात और रामायण ऐसे दो महान ग्रन्थ हैं, जिनकी कथाएं अखण्ड भारत के इतिहास के कण-कण में बरी हुयी है। इन कथाओं में ही मानव जीवन के चार युगों का वर्णन है। इन्हीं चार युगों में से मानव जीवन का तीसरा युग अर्थात् द्वापर युग विश्व के सबसे बड़े युद्ध का साक्षी है जिसका कारण उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर बना था या यूँ कहें कि इस युद्ध कि नीव हस्तिनापुर में ही पड़ी थी और इसी के फलस्वरूप हमें चरित्र निर्माण के सबसे बड़े और उत्तम शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता जैसे महान ग्रन्थ की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 16वें, 17वें और 18वें तीर्थकार का जन्म भी यहीं हुआ था। यहीं पर राजा श्रेयांस ने आदितीर्थकार ऋषभदेव को गन्ने के रस का दान दिया था। इसलिए इसको 'दानतीर्थ' भी कहते हैं। इसका संबंध शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, और अरहनाथ नामक तीर्थकारों से भी है, यहाँ इन के चार-चार कल्याणक हुए हैं।

देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पूर्व पवित्र माँ-गंगा नदी के तट पर बसे हस्तिनापुर का उल्लेख रामायण के साथ-साथ मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्राचीन लिपियों में भी मिलता है। हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की थी, जो कई सदियों की साक्षी रही। वहीं, दूसरी बस्ती करीब 90 ईसा पूर्व बसाई गई, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। इसके बाद तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक थी। जबकि यहां की अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं सदी तक रही। इस प्रकार हस्तिनापुर का इतिहास कई बार बना और बिगड़ा है। हस्तिनापुर शहर का एक बहुत ही अलौकिक

इतिहास रहा है। हस्तिनापुर शहर आज से लगभग 6000 साल पहले द्वापर युग में कुरुवंश राज्य की राजधानी हुआ करता था।

पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर की स्थापना का श्रेय 'हस्तिन' को जाता है, अर्थात् यह महाराज हस्ती का बसाया हुआ एक प्राचीन नगर है, इसीलिये इसे 'हस्तिनापुर' कहा जाता था। एक मान्यता के अनुसार राजा वृषभ देव ने अपने संबंधी कुरु को कुरु क्षेत्र का राज्य दिया था। इसी कुरु वंश में हस्तिन का जन्म हुआ, और उन्होंने ही गंगा तट पर हस्तिनापुर की नीव डाली थी हस्तिन के बाद कई वंशों ने हस्तिनापुर पर राज किया। महाराज हस्तिन के बाद अजामीढ़ यहाँ के राजा बने उनके बाद दक्ष राजा बने, दक्ष के बाद संवरण और फिर राजा कुरु ने हस्तिनापुर पर राज किया, राजा कुरु के वंश में शांतनु, और उनके पोते पांडू और धृतराष्ट्र ने भी हस्तिनापुर पर राज किया, उन्ही वंशों में एक कुरु के वंश में ही शांतनु और उनके पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पाण्डव और कौरव कहलाए। हिन्दू प्राचीन धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि यह नगरी प्राचीन काल में कुरु राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, जिसके शासक कौरव थे। दरअसल, महाभारत का युद्ध भी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ही हुआ था, जिसमें पांडवों ने कौरवों पर विजय पायी। कहा जाता है कि कौरवों की पराजय के बाद उत्तराधिकारी के रूप में पांडवों ने करीब 35 वर्षों से अधिक समय तक, जब तक कि कलयुग की शुरुआत नहीं हो गई थी, हस्तिनापुर पर शासन किया। हस्तिनापुर को सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक काल में हस्तिनापुर के राजा का नाम अधिशीम कृष्ण था। मुगल काल में हस्तिनापुर पर गुर्जर राजा नैन सिंह का शासन था।

प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस नगर के 'हस्तिनापुर', 'गजपुर', 'नागपुर', 'नागसाहवय', 'हस्तिग्राम', 'आसन्दीवत' और 'ब्रह्मस्थल' आदि नाम मिलते हैं। कहा जाता है कि हाथियों के बहुतायत के कारण यहाँ का प्रथम नाम 'गजपुर' था, पीछे राजा हस्तिन के नाम पर यह हस्तिनापुर कहलाया और महाभारत के युद्ध के पश्चात् यह नाग जाति का प्रमुख होने से 'नागपुर' या 'नागसाहवय' कहलाया। बौद्ध साहित्य में इस स्थान का उल्लेख 'आसन्दीवत' के रूप में मिलता है। जैन ग्रंथ 'वसुदेव हिंडि' में

हस्तिनापुर का 'ब्रह्मस्थल' नाम भी मिलता है।

महाकवि कलिदास ने अपने ग्रन्थ 'अभिज्ञान शाकुंतलम' में भी राजा दुष्यन्त की राजधानी हस्तिनापुर का उल्लेख करते हुए लिखा है कि,

'अनुसूये त्वरस्व, स्वरस्व, एतेऽस्तु हस्तिनपुरगामिनः ऋषयः शब्दाव्याले'

अर्थात् दुष्यन्त से 'गंधर्व विवाह' होने के पश्चात् शकुंतला ऋषि कुमारों के साथ कण्वाश्रम से दुष्यन्त की राजधानी हस्तिनापुर गई थी।

महाभारत में इस हस्तिनापुर नगर का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विभिन्न शस्त्रों द्वारा सुरक्षित होने के कारण इस नगर के अन्दर शत्रुओं का प्रवेश दुष्कर था। नगर के परकोटे में बने गोपुर (दरवाजे) ऊँचे थे। नगर का भीतरी भाग राजमार्गों द्वारा विभक्त था। सड़कों के दोनों किनारों पर महल और बाजार सुशोभित थे। राजमहल नगर के बीच में स्थित था। इसमें अनेक सरोवर और उद्यान थे। नागरिक धर्मनिरत, होमपरायण, यज्ञादि में श्रद्धा रखने वाले, वर्णाश्रम-व्यवस्था के पोषक और धन-धान्य से सम्पन्न थे। सूत-नागध और बन्दी अपने-अपने कर्म में निरत थे। इनके द्वारा नगर की शोभा इतनी बढ़ गई थी कि वह इन्द्रलोक के समान सुन्दर लगता था।

कहा जाता है कि महाभारत के समय हस्तिनापुर राज्य की उत्तरी सीमा वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल, दक्षिणी सीमा वर्तमान में हापुड़ जिले के पुष्पवती पूठ और पश्चिमी सीमा वर्तमान में बागपत जिले के बरनावा तक थी तथा पूर्व की ओर गंगा नदी प्रवाहित होती थी। अनुमान है कि गदमुक्तेश्वर यहां का एक उपनगर था और मेरठ या 'मयराष्ट्र' भी इसकी परिसीमा के भीतर स्थित था। मेरठ से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित 'मवाना' (मुहाना) नामक ग्राम को हस्तिनापुर का प्रमुख द्वार कहा जाता है। महाभारत के आदिपर्व में हस्तिनापुर के वर्धमान नामक पुरद्वार का उल्लेख है। राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात् शतश्रृंग से हस्तिनापुर आते समय रानी कुंती ने अपने पुत्रों सहित इसी द्वार से हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया था—

'सात्वदीर्घेण कालेन सम्प्राप्ताः कुरुजांगलम्, वर्धमानपुरद्वारमासत्वाद यज्ञ-द्विनी'

इस ऐतिहासिक नगर हस्तिनापुर में

महाभारत काल से जुड़े कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं। उत्खनन में हस्तिनापुर में भूमि में पांडवों के विशाल किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल के इस किले में 6 तल थे, जिनके अवशेष आज भी हस्तिनापुर में मौजूद हैं, पांडवों के किले के ये अवशेष ठीक प्रकार से देख भाल न होने की वजह से अब नष्ट होते जा रहे हैं, इस विशालकाय किले के अन्दर महल, मन्दिर और अन्य इमारतें थीं। इन अवशेषों को स्थानीय निवासी पांडव टीला या उलटा खेड़ा के नाम से पुकारते हैं। पांडव टीले के पास में प्राचीन श्पांडेस्वर महादेव मंदिर स्थित है, इस मंदिर की काफी मान्यता है। कहा जाता है यह वही मंदिर है, जहाँ पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा के लिए जाया करती थी। लगभग 5800 से भी अधिक वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है की यह वही जगह है जहाँ कौरवों और पांडवों ने वेदों और पुराणों की शिक्षा ली थी। मंदिर में स्थित शिवलिंग और पांच पांडवों की मूर्ति महाभारतकालीन है जिसका अनुमान उनकी कलाकृति से लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि यहां स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है। यह शिवलिंग जलामिषेक के चलते आधा रह गया है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष भी स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कुन्तीपुत्र भीम ने लगाया था। यही पर प्राचीन शीतल जल का कुआं आज भी स्थित है। यह पांडेस्वर महादेव मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर में विदुर का टीला बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है यह टीला लगभग 50-60 फीट ऊंचा है इस टीले को विदुर का निवास स्थान कहा जाता है। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, जो कि अपनी बुद्धि और अच्छी सलाह के कारण प्रसिद्ध थे, इसके अतिरिक्त वे कौरवों के बुद्धिमान मंत्री भी थे। अब इस टीले को आनंद गिरी चमत्कारिक आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहां पीपल का एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में ये मान्यता है कि ये कौरवों, पांडवों तथा विदुर द्वारा रोपित किया गया था, हस्तिनापुर में कर्णेश्वर मन्दिर भी विद्यमान है कर्ण मंदिर का निर्माण पांडेस्वर मंदिर के पास ही गंगा नदी की घाटी में हुआ था। कहा जाता कि इस मंदिर में कर्ण ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। कर्ण घाट मंदिर पर सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात, सवामन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। माना जाता है कि, महाभारत काल में गंगाजी, इसी घाट से होकर गुजरती थीं। लेकिन वर्तमान में गंगा जी का प्रवाह इस स्थान



से दूर हो गया है, और अब यहाँ पर गंगा के एक विलुप्त धारा बहती है इस विलुप्त धारा को बूढ़ी गंगाजी के नाम से जाना जाता है। कर्ण घाट से थोड़ा ही दूर, द्रौपदी घाट को बूढ़ी गंगा पुल के विपरीत दिशा में देखा जा सकता है, द्रौपदी घाट मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ रानी द्रौपदी स्नान करने के लिए आती थीं, और प्रतिदिन पूजा किया करती थीं।

महाभारत के युद्ध के समय हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा विशाल नगर था। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन इस प्रकार है—

**‘नगरं हस्तिनपुरं शनैः प्रविविद्युस्तदा।
पांडवानागतं अस्त्वात्वा नागरास्तु कुतुहालात्,
मंड्यांचकिरेतत्र नगरं नागसाह्वयम्।
मुक्तपुष्पावकीर्णं तज्जलसिक्तं तु सर्वशः, घृषितं
दिव्यपूपेन मंडनैश्चापि संवृतम्।
पताकोद्भित्तमाल्यमं च पुरमप्रतिमंबभौ,
शंबभेटीनिनादैर्यनागवादित्रिभिः स्वभिः। कौतूहलेन
नगरं दीप्यमानमिवाभवत्, तत्र ते पुरुषव्याघ्राः
दुःखशोकविनाशनाः।’**

पुराणों के अनुसार गंगा की बाढ़ के कारण यह नगर पूरी तरीके से विनष्ट हो गया था जिसके बाद पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशांबी चले गए। इसके अतिरिक्त विष्णुपुराण में भी उल्लेख है कि बलराम ने कौरवों पर क्रोध करके उनके नगर हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से खींच कर गंगा नदी में गिराना चाहा था, परन्तु बाद में उन्हें क्षमा कर दिया था, जिसके कारण हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ—सा प्रतीत होने लगा था—

**‘बलदेवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्वयम्
बाह्योपवनमध्येऽभून्विविद्युस्तत्पुरम्।’**

**‘अद्याप्याघूर्णिताकारं लक्ष्यते तत्पुरं द्विज, एष
प्रभावो रामस्य बलशौचो लक्षणः।’**

विष्णु पुराण के लिखे जाने तक गंगा के

प्रवाह के कारण इस सुन्दर नगर का काफी भाग नष्ट हो चुका था। विष्णु पुराण में ही एक अन्य प्रसंग के अनुसार पांडवों के एक मात्र उत्तराधिकारी परीक्षित के वंशज ‘निचक्षु’ या ‘निचक्नु’ ने बाद के समय में, गंगा के प्रवाह में इस राजधानी को नष्ट होता हुआ देखकर अपने देश की राजधानी वत्स देश की नगरी कोशाम्बी को बना लिया था—

**‘अधिसीमकृष्णान्निचक्नुः यो गंगया पक्षे
हस्तिनापुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यति।’**

हस्तिनापुर आज भी विकास से वंचित है, इसका कारण द्रौपदी का श्राप बताया जाता है। हस्तिनापुर वह स्थान है जहाँ शकुनि ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया था। जिसकी परिणति में द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन द्वारा किया गया और कालान्तर में महाभारत के युद्ध का कारण बना। कौरवों और पांडवों के बीच इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। लेकिन हस्तिनापुर का विकास आज तक नहीं हो पाया। उसकी वजह है द्रौपदी द्वारा दिया गया हस्तिनापुर को एक श्राप। चीरहरण के समय द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया था कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वह जमीन पिछड़ जाती है। उस श्राप का असर आज भी देखने को मिल रहा है। द्रौपदी के श्राप के कारण हस्तिनापुर आज तक भी विकास कि राह देख रहा है। द्रौपदी के श्राप के कारण महाभारत काल का यह शहर आज बहुत पीछे छूट गया है। यह श्राप 5500 वर्ष पुराना है, जिसका असर आज भी दिखता है।

(लेखक सरकार द्वारा ‘शिक्षक श्री’ विभूषित ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, प्रोफेसर एवं राष्ट्रवादी चिन्तक हैं)



प्रमोद भार्गव

नवाचार में ऊंची उड़ान

सूचकांक' ने यह जानकारी दी है। भारत को यह स्थान स्टार्टअप में बहतर माहौल बनाने के कारण मिला है।

यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) जारी करता है। यह बढ़त बीते सात साल में हुई है, अन्यथा इसके पहले 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। इतने कम समय में 43 पायदान चढ़कर 40वां स्थान हासिल करना बड़ी बात है। विश्व-व्यापी औद्योगिक-वैज्ञानिक आर्थिकी में नवाचार क्षमता का यह दखल अहम कड़ी है। दरअसल नवाचार वह प्रक्रिया है, जिसमें नई सोच व विचारों के साथ उद्यमशीलता गति पकड़ती है। 21वीं सदी में विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति की उपलब्धियों में नवाचार ही वह माध्यम है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से उन्होंने नवाचार के लिए न केवल माहौल रचा, बल्कि नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई संस्थाएं भी गठित कीं। इनमें राष्ट्रीय नवाचार परिषद,

अटल इनोवेशन मिशन और भारत समावेशी नवाचार कोष जैसी संस्थाएं वजूद में लाई गईं। हालांकि नवीन अनुसंधान और नवाचार की जितनी संभावनाएं भारत में हैं, उस नाते एक ऐसी संस्था की भी जरूरत है, जो ऐसे नवाचारियों को प्रोत्साहित करे, जो बिना कोई अकादमिक शिक्षा प्राप्त किए ही बेहद उपयोगी आविष्कारों के जन्मदाता बन गए हैं। भविष्य में ऐसा संभव होता है तो जमीन से जुड़े और ज्ञान परंपरा से आविष्कारों के जनकों की भी भूमिका नवाचार, विज्ञान और आविष्कार के क्षेत्र में रेखांकित होगी। यदि ऐसा होता है तो नवाचार का जो क्षेत्र महज 4 महानगरों बेंगलुरु, चैन्नई, दिल्ली और मुंबई में सिमट गया है, उसका विस्तार पूरे भारत में दिखाई देगा।

हालांकि भारत में अभी भी शोध और नवाचार पर निवेश कुल जीडीपी का एक प्रतिशत ही किया जाता है। जबकि चीन में यह 2.1 प्रतिशत, अमेरिका में यह 2.8 प्रतिशत दक्षिण कोरिया में 4.2 और इजरायल में 4.3 प्रतिशत तक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक

पक्षियों के पंख अपने आप में संपूर्ण रूप से विकसित होते हैं, लेकिन हवा के बिना कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता है। यही स्थिति भारत में नवाचारी प्रयोगधर्मियों के साथ रही है। उनमें कल्पनाशील असीम क्षमताएं तो थीं, लेकिन कल्पनाओं को आकार देने के लिए प्रोत्साहन एवं वातावरण नहीं मिल पा रहा था। आठ साल से सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वातावरण के निर्माण में अकल्पनीय काम किया है। इसी का परिणाम है कि 2021 में भारत प्रगति का बुनियादी आधार माने जाने वाले नवाचार में 46वें स्थान पर था, वह एक साल के भीतर ही छह सीढ़ियों की छलांग लगाकर 40वें स्थान पर आ गया है। नवाचार अर्थात् इनोवेशन का निर्धारण करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था वैश्विक नवाचार

सलाहकार परिषद् (पीएमईएसी) ने सलाह दी है कि भारत को नवप्रवर्तन, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी बनने के लिए इस मद में निजी क्षेत्र का खर्च भी बढ़ाना होगा। फिलहाल विश्व बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी, दवा उद्योग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को मान्यता मिल रही है। भारत कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक जैसे अत्यंत नई तकनीक में भी अनुसंधान करते हुए प्रगति कर रहा है। इसीलिए भारत की नवाचार के क्षेत्र में साख बनी है। नतीजतन ब्लूमबर्ग के वार्षिक नवाचार सूचकांक में भी भारत को विनिर्माण क्षमता विस्तार और सार्वजनिक संस्थानों में उच्च तकनीक का विस्तार करने के लिए रेखांकित किया गया है। भारत सरकार ने भी इस दृष्टि से देश में नवाचार की कार्य संस्कृति को जानने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत 2019 से नवाचार सूचकांक जारी कर रहा है। इस सूची में कर्नाटक देश के नवाचार सूचकांक में प्रथम पायदान पर हैं। तमिलनाडू, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। हरियाणा को यदि छोड़ दें तो घनी आबादी वाले हिंदी भाषी राज्य इस चुनौती को स्वीकारने में पिछड़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण विज्ञान, तकनीक और रोजगार कौशल के ज्ञान को अंग्रेजी में देना है। यदि नई शिक्षा नीति के माध्यम से विज्ञान व तकनीकी विषयों को उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषाओं में पढ़ाए जाने का सिलसिला शुरू होता है तो कालांतर में यह स्थिति बदल सकती है। फिलहाल 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस नीति के तहत पांच भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम जारी कर दिए हैं। परंतु अभी इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए जरूरी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि कृत्रिम बुद्धि के जरिए पुस्तकों, अकादमीय पत्रिकाओं और वीडियो एपों के जरिए पाठों को अनुवाद करने वाले कुछ उपकरण नवाचारियों ने निर्मित किए हैं, लेकिन इनके अनुवाद की गुणवत्ता संपूर्ण है अथवा नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की भी कमी है। अतएव इन क्षेत्रों में जल्द सुधार की आवश्यकता है। मध्य-प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली हैं।

हालांकि दुनिया में वैज्ञानिक और अभियंता

पैदा करने की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी साहित्य सृजन में केवल पाश्चात्य लेखकों का ही बोलबाला है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक आविष्कारों से ही यह साहित्य भरा पड़ा है। भारत में भी इसी साहित्य का पाठ्य पुस्तकों में अनुकरण है। इस साहित्य में न तो हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की चर्चा है और न ही आविष्कारों की। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि हम खुद न अपने आविष्कारकों को प्रोत्साहित करते हैं और न ही उन्हें मान्यता देते हैं। इन प्रतिभाओं के साथ हमारा व्यवहार भी कर्मोवेश उपहासपूर्ण अग्रद रहता है। हालांकि अब निरंतर ऐसी प्रामाणिक सूचनाएँ मीडिया में आ रही हैं, जिनसे निश्चित होता है कि प्राचीन भारत विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली

विविधता में एकता, समन्वय, त्याग, संयम, कृतज्ञता जैसे 'मूल-समुच्चय' का नाम हिन्दुत्व है। इसका आधार सत्य है और उसका अन्वेषण हमारे यहां किया गया। जब दुनिया सुख की खोज बाहर कर रही थी और बाहर हूँदते-हूँदते थक गई, उस समय हमारे पूर्वजों ने सुख के लिए अंतर में देखने का सुझाव दिया। भारतीय विचार में जड़-जगत के विज्ञाननिष्ठ अध्ययन के साथ अंतर जगत के आध्यात्मिक अध्ययन का भी प्रारम्भ हुआ और इसी अध्ययन के आधार पर हमारे पूर्वजों को तर्क और प्रत्यक्ष अनुभूति से अस्तित्व की एकता का सत्य प्राप्त हुआ।
- मोहन मागवत (सरसंघवाचक, ए. एच. संघ)

था। संस्कृत ग्रंथों से यही ज्ञान अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषाओं में अनुदित होकर पश्चिम पहुंचा और वहां के कल्पनाशील जिज्ञासुओं ने भारतीय सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में ढालकर अनेक आविष्कार व सिद्धांत गढ़कर पेटेंट करा लिए। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी वैज्ञानिक उच्च शिक्षित नहीं थे। बल्कि उन्हें मन्दबुद्धि होने का दंड देकर विद्यालयों से निष्कासित कर दिया गया था।

आविष्कारक वैज्ञानिक को जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होना जरूरी है। कोई वैज्ञानिक कितना भी शिक्षित क्यों न हो, वह कल्पना के बिना कोई मौलिक या नूतन आविष्कार नहीं कर सकता है। शिक्षा संस्थानों से विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी एक सीमा होती

है, वह उतना ही बताती व सिखाती है, जितना हो चुका है। आविष्कार कल्पना की वह शृंखला है, जो हो चुके से आगे की अर्थात् कुछ नितांत नूतन करने की जिज्ञासा को आधार तल देती है। स्पष्ट है, आविष्कारक लेखक या नए सिद्धांतों के प्रतिपादकों को उच्च शिक्षित होने की कोई बाध्यकारी अड़चन पेश नहीं आनी चाहिए। अतएव हम जब लब्ध-प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की जीवन-गाथाओं को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि न तो वे उच्च शिक्षित थे, न ही वैज्ञानिक संस्थानों में काम करते थे और न ही उनके इर्द-गिर्द विज्ञान-सम्मत परिवेश था। उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक द्वारापाल थे और लैसों की घिसाई का काम करते थे। लियोनार्दो विंची एक कलाकार थे। आईस्टीन पेटेंट कार्यालय में लिपिक थे। न्यूटन अव्यावहारिक और एकांतप्रिय थे। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। न्यूटन को मंदबुद्धि भी कहा गया है। थॉमस अल्वा एडिसन को मंदबुद्धि बताकर प्राथमिक पाठशाला से निकाल दिया गया था। इसी क्षीण बुद्धि बालक ने कालांतर में बल्ब और टेलीग्राफ का आविष्कार किया। फैंसाडे पुस्तकों पर जिल्दराजी का काम करते थे। लेकिन उन्होंने ही विद्युत-मोटर और डायोनामा का आविष्कार किया। प्रीस्टले पुरोहित थे। लेवोसिएर कर विभाग में कर वसूलते थे। संगणक (कंप्यूटर) की बुद्धि अर्थात् सॉफ्टवेयर बनाने वाले बिलगेट्स का शालेय पढ़ाई में मन नहीं रमता था, क्योंकि उनकी बुद्धि तो सॉफ्टवेयर निर्माण की परिकल्पना में एकाग्रचित्त से लगी हुई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक रोगों की पहचान कर दवा बनाने वाले आविष्कारक भी चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सक नहीं थे। आयुर्वेद उपचार और दवाओं का जन्म तो हुआ ही ज्ञान परंपरा से है। गोया, हम कह सकते हैं कि प्रतिभा जिज्ञासु के अवचेतन में कहीं छिपी होती है। इसे पहचानकर गुणीजन या शिक्षक प्रोत्साहित कर कल्पना को पंख देने का माहौल दें तो भारत की ग्रामीण घरती से अनेक वैज्ञानिक-आविष्कारक निकल सकते हैं। इस दिशा में एक अच्छी पहल आईआईटी मद्रास में 'सोच का पाठ' पढ़ाने के पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ की है। यदि शिक्षक विद्यार्थी के अवचेतन में पैठ बनाए बैठे इस कल्पनाशील सोच को पहचानने में सफल होते हैं तो इस पाठ्यक्रम की सार्थकता निकट भविष्य में सिद्ध हो जाएगी।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं)

भारत : सांस्कृतिक संदर्भ



डॉ. उर्वीजा शर्मा

एव देश प्रसूतस्य सकाशादय जन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिबेरु पृथिव्यां सर्व मानवाः।।

कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस देश (भारत) में जन्में लोगों के सामीप्य द्वारा पृथ्वी के सब लोगों ने अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ली। ऐसे अतीत के गौरव को समेटे, ज्ञान परम्परा की अजश धारा प्रवाहित करने वाली भारतभूमि एक नये युग के प्रवेशद्वार पर खड़ी है। जहां एक नया सूर्योदय मानो उसका स्तवन करने को खड़ा है। यह एक नया भारत है जो अपने सांस्कृतिक वैभव को पुनर्जीवित करने की कगार पर है। आवश्यकता है इतिहास के धूल में कहीं खोये हुए या ये कहिए जबरन छिपाये गये सांस्कृतिक धरोहरों, ऐतिहासिक सत्यों को पुनः जनमानस के समक्ष पूर्ण सत्यता के साथ रखने की। यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ दुराग्रहों के कारण, कुछ राजनीतिक विवशताओं के कारण तथा कुछ व्यक्तिगत स्वार्थपरता के कारण भारत की विश्व में सबसे महान संस्कृति को 'मिथक' कहकर झुठलाने का निरंतर प्रयास किया गया। किन्तु कहा जाता है कि सत्य कभी परास्त नहीं होता। इसी कारण आज वैज्ञानिक तथ्यों से भी भारत की धर्म एवं संस्कृति की गौरवशाली परंपरा सिद्ध हो रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण नासा द्वारा 'ऊँ' की ध्वनि को रवीकार किया जाना है। संस्कृत भाषा जो देवभाषा भी मानी जाती है वह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि व भाषा के रूप में स्वयंसिद्ध है। रामसेतु जैसी अनगिनत धार्मिक धरोहरें स्वयं ही प्रमाण के रूप में आज हमें सोचने पर विवश कर रही हैं। लार्ड मैकाले की



शिक्षा पद्धति से केवल अब तक शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी फौज बन चुकी है। भारत अब भविष्य का विश्वगुरु बनने की राह पर आगे कदम बढ़ा चुका है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भारत की ज्ञान-परम्परा यथा

एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादय जन्मनः,
स्वं स्वं चरित्रं शिबेरु पृथिव्यां
सर्वमानवाः। यह गर्वोक्ति फिर से हम कट
सर्कें इसके लिए सामर्थ्य संपन्न, ग्रीह
संपन्न, ज्ञान संपन्न, देश चाहिए और
संगठित होना पड़ेगा। विविधताओं के पुष्पो
को गुंठ कर बनाए गए सुन्दर हार से अपने
देश को सजाना पड़ेगा।

- श्रीहनु माणवत (सदस्यचालक, ए. एच. संघ)

ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान, व्याकरण, वैदिक गणित, चिकित्सा विज्ञान, में न जाने कितने अनसुलझे प्रश्नों के हल आसानी से उपलब्ध हैं। उन भारतीय को असम्य एवं गंवार कहकर सदैव उलाहना क्यों दिया गया?

पाश्चात्य संस्कृति के व्यामोह में हम उलझकर क्यों रह गए। अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों को पिछड़ा क्यों मानने लगे ? भौगोलिक संसाधन जो ईश्वर प्रदत्त थे उन्हें संरक्षित क्यों नहीं कर सके? आततायियों, लुटेरों, आक्रमणकारियों का सदैव महिमामंडन क्यों करते रहे? धार्मिक, जातीय, भाषायी, क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक विषमताओं में क्यों उलझे रहे। अपने ही इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों को क्यों विस्मृत करते चले गये ?

जिस दिन हम उक्त प्रश्नों पर विचार कर लेंगे तभी हम भारत के भविष्य को सहेज लेंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि हम कल, आज और कल के भारत का सिंहावलोकन करें। व्यक्ति कुल, समाज और राष्ट्र इन सब कड़ियों को संजोकर ही हम भविष्य का भारत बना सकते हैं। इसके लिए हमें भारत के पुनर्निर्माण कार्यों का प्रतिबिम्ब और मूल्यांकन करना होगा।

सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता में व्यक्ति के रूप में अपना योगदान निर्वारित करना होगा। परिवर्तन के प्रति तत्पर रहना होगा। नवीन सोच व विचारधाराओं तथा नवाचार का स्वागत करना होगा। स्वयं की मनोवृत्तियों का परिष्करण करना होगा। रूढ़ियों पर प्रहार कर नवीन मूल्यों की स्थापना करनी होगी। धार्मिक उन्माद, तुष्टिकरण की राजनीति, तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षता, जातिगत वैमनस्य तथा व्यक्तिगत लिप्साओं का त्याग करना होगा। अपने राष्ट्र के प्रति केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। आर्यभट्ट, वरहामिहिर, पाणिनी, अष्टाध्यायी, दधीचि, चरक, श्रीराम, श्रीकृष्ण, के महान चरित्र और दर्शन को आत्मसात करना होगा। मूल्यों के परामव को यदि हम रोक पाये, सामाजिक वैमनस्य को समाप्त कर सके, प्राणियों में सद्भावना वाले भाव को प्रत्येक धर्म व संप्रदाय का मूल भाव बना सके तो इस पवित्र भारतभूमि को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता।

(लेखक शम्भूदयाल पीली कॉलेज गाजियाबाद में (हिन्दी विभाग) एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत



अनुपमा अखावाल

लोकतंत्र के तीसरे और सबसे मजबूत स्तम्भ के रूप में उभरते सोशल मीडिया ने दुनिया को नजदीक लाकर उसे आमजन की मुट्ठी में भले ही समेट दिया हो परन्तु वर्तमान में, सोशल मीडिया एक प्रहरी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो सरहदों पर दुश्मनों से लोहा लेने की बजाय देश के अंदरूनी गद्दारों की पहचान उजागर कर उन्हें परास्त करने व आमजन में राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत कर रहा है। परन्तु विंता की बात यह है कि सोशल मीडिया के सिपाही जिन हथियारों (सोशल साइट्स) का इस्तेमाल कर दुश्मनों के कुचक्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं या कहे राष्ट्रभक्त जिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें से ज्यादातर एप्स भारत के पड़ोसी व शत्रु चीन और प्रतिद्वंद्वी देश अमेरिका के हैं। जोकि सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं का न केवल निज गोपनीय डाटा एकत्र कर उससे मोटा धन कमा रहे हैं बल्कि उस धन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने चीन की लगभग 270 सदिग्ध एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके आज भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सैकड़ों इस तरह की एप्स मौजूद हैं जिनमें से कुछ का विकल्प भारत ने ढूँढ़ लिया है।

भारत में हर दिन लगभग दस लाख, हर सेकेंड बारह लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं तथा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के मामले में भारत, दुनिया में दूसरे पायदान पर है। यहां की लगभग 80 करोड़ आबादी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही है। अतः कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भारत के घर-घर तक अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। यह जितना बड़ा ज्ञान का सागर है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक भी है। अभी तक विदेशी एप्स आमजन की निजता को भंग कर अप्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों के घरों में संधमारी कर, ग्राहकों के द्वारा स्वेच्छा से दी

गई जानकारी को बड़ी कम्पनियों को बेचकर न केवल देश के लिए खतरा पैदा कर रहे थे बल्कि गोपनीय जानकारी को बड़ी कम्पनियों के साथ साझा कर मोटा मुनाफा भी कमा रहे थे साथ ही विभिन्न ऑनलाइन खेलों से सम्बंधित एप्स बच्चों में लत का रूप लेकर या तो उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे या फिर बच्चों से मनमाफिक पैसा बसूल कर रहे थे। इसके अतिरिक्त दुश्मन देश ग्राहकों की गोपनीय जानकारी एकत्र कर देश की संप्रभुता व अखंडता के लिए खतरा बन गए थे। अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से आत्महत्या के कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए जहां चीनी लोन एप भारतीयों के साथ धोखाधड़ी व परेशान कर उनके अवैध वसूली कर रही हैं। साइबर सेल ने ऐसे 110 बैंक खातों को सील किया है।

परन्तु कोरोना काल में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश ने न केवल डिजिटल युग में प्रवेश किया बल्कि विदेशी एप्स की बैसाखी को छोड़कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी शुरू कर दी जिसके तहत भारत सरकार ने स्टार्टअप व एप इनोवेशन उद्यमियों से इनके विकल्प खोजने को कहा। 2021 में पूर्णतः स्वदेशी 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स सामने आईं, जो चाइनीज एप्स को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं। जैसे शार्ट वीडियो बनाने वाला एप 'टका टक' जो 'टिकटोक' को टक्कर देने में सक्षम है, ट्विटर को टक्कर देने वाला 'कू' तो 'शेयर वैंट' व्हाट्सएप के समकक्ष है। जबकि 'इन बुक इंडिया नेटवर्क' को फेसबुक की तर्ज पर तैयार किया गया है तथा 'मेक इन इंडिया फ्रेंडशिप' एप का इस्तेमाल फोटो वीडियो शेयर करने के अलावा फोटो का फ्रेम बनाने व ब्यूटी फिल्टर व फैंशन फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने, अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की जगह स्वदेशी एप नाविक (नेविगेशन विड इंडियन कांस्टेलेशन) तैयार किया है जिससे शीघ्र ही सभी स्मार्टफोन लैस होंगे। स्वदेशी होने की वजह से नाविक एप भारत में बेहतर पथ-प्रदर्शन कर सकती है। ये सभी स्वदेशी एप्स न केवल विदेशी एप्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च के अनुसार पिछले पांच वर्षों में भारत के इंटरनेट स्टार्टअप क्षेत्र में करीब 4.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया

गया जिसमें अकेले 2020 में लगभग 95 हजार करोड़ का निवेश हुआ। इस दृष्टि से डिजिटल व सोशल मीडिया कम्पनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है।

भारत की डिजिटल सोशल मीडिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता निश्चित ही क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हो रही है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं अपितु रोजगार सृजन व अन्य देशों पर निर्भरता को भी कम कर रहा है। भारत का पड़ोसी देश चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो केवल अपनी स्वदेशी सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि चीन की कोई भी सूचना सरकार की आज्ञा के बिना न तो देश से बाहर जाती है और न उपभोक्ताओं का डाटा लीक होता है और तो और चीन किसी भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को इस्तेमाल करने की इजाजत अपने नागरिकों को नहीं देता यहां गूगल से लेकर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप तक सब प्रतिबंधित हैं। चीन में नागरिक गूगल की बजाय टंपकन सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं जो चायनीज भाषा में है। इसी तरह सभी लोकप्रिय एप्स के विकल्प के रूप में चायनीज भाषा के स्वदेशी एप्स इस्तेमाल करने की उपभोक्ताओं को छूट है।

भारत को राष्ट्रहित व राष्ट्ररक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल प्लेटफार्म के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए नई स्टार्टअप व एप्स इनोवेशन कम्पनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर आर्थिक सहयोग करना होगा तथा अन्य विदेशी एप्स का स्वदेशी भाषा में विकल्प ढूँढ़ना होगा। स्वदेशी एप्स जो आमजन की चलन से दूर हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनका प्रचार प्रसार कर विदेशी एप्स की खामियों से आमजन को अवगत कराना होगा। तकनीकी क्षेत्र में, भारत आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह विदेशों में आईटी सेक्टर में कार्यरत लाखों युवाओं को न केवल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है बल्कि भविष्य में तकनीकी के क्षेत्र में बड़ा बाजार तैयार कर रहा है तथा देश में विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों परम्पराओं के लोगों को एक मंच प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। जिससे देश आर्थिक रूप से मजबूत तो बनेगा ही साथ ही आमजन की निजता के साथ हो रहा खिलवाड़ भी रुक जाएगा।

(समाजसेवी एवं लेखिका)

नारी शक्ति : समर्पण से सम्मान तक



डॉ. प्रियंका सिंह

सनातन सांस्कृतिक दृष्टि में नारी को विलक्षण शक्ति का पर्याय माना है वही प्रकृति को मां का स्वरूप। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु की पूजा-अर्चना हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों में निहित है। और यही कारण है कि हम पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी सकारात्मकता का एक स्वरूप है नारी का स्वरूप जो इतना व्यापक व सात्विक है कि उसके प्रत्येक रूप की पूजा होती है। निश्चित रूप से नारी शक्ति समर्पण का पर्याय है जो सदैव दूसरों के लिए समर्पित रहा है। उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। जहां वह मां के रूप में संरक्षण देती है वहीं वह दुष्टों के विनाश से भी पीछे नहीं हटती। वह शाश्वत प्रेम और सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी वृत्ति इतनी निश्चल है कि वह प्रत्येक परिस्थितियों में भी सामंजस्य बना कर रखती है। प्रेम व करुणा की भावना के साथ सहनशक्ति से वह ओतप्रोत है। अपने आत्मविश्वास में प्रबल नारी ने जो ठाना उसे करके दिखाया। वह स्वयं शक्ति स्वरूप है इसलिए उसे सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं बल्कि आवश्यकता है उसके समर्पण के उचित सम्मान की।

आज नारी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी है और प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। सहजता व सरलता के साथ कुछ कर गुजरने के आत्मविश्वास से लबरेज उसे अपनी शक्ति का अंदाजा है। तभी तो चाहे वह ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी महिलाएं सभी अपनी नेतृत्व करने की क्षमता और दक्षता को स्थापित करती जा रही हैं और सकारात्मक रूप से दोहरी भूमिका में नजर आ रही है। साथ ही अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। वह प्रत्येक आयाम में सामंजस्य स्थापित कर अपनी धमक व चमक के साथ प्रगतिशील हैं। आज यह देखते और पढ़ते हुए गौरवान्वित सा लगता है कि भारत में कई क्षेत्रों में लैंगिक असमानता कम हो रही है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं परंतु बहुत सकारात्मक है। जिस प्रकार

हिमालय के...उत्तुंग श्रृंगों पर शक्ति स्वरूप मां जगदंबा की प्रसन्न मुद्रा अंकित है उसी प्रकार भारतीय नारी भी प्रसन्नता पूर्वक ऊंची उड़ान भर रही है। भारत का विमान उद्योग देश की लैंगिक समानता की एक सफल कहानी बता रहा। 1989 में जब निवेदिता भसीन दुनिया की सबसे कम उम्र की कमर्शियल एयरलाइंस कैप्टन बनी तो उनके शुरुआती दिनों में क्रू ने कॉकपिट में इस प्रकार का व्यवहार किया जिससे यात्रियों को इसका एहसास ना हो कि विमान कोई महिला उड़ा रही है। आज लगभग 3 दशकों के बाद बदलते भारत के कुछ अलग ही दृश्य बयां कर रहे हैं। भारत में विश्व स्तर पर महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ वुमन



संघ का मातृशक्ति के सर्वर्ष में सुविचारित मत है कि अपने घर से लेकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वत्र मातृशक्ति जागरण का काम होना चाहिए। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। सार्विक जीवन के लिए दोनों को बराबरी से काम करना होगा। निर्णयों से लेकर दायित्वों तक में उनकी बराबरी से सहभागिता होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका भी होनी चाहिए।

- मोहन भागवत (सरसंघचालक, रा. स्व. संघ)

एयरलाइन पायलट के अनुमान के अनुसार भारत में 12.4 प्रतिशत महिलाएं पायलट हैं जबकि अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा विमान बाजार है वहां 5.5 प्रतिशत एवं यूके में 4.7 प्रतिशत महिला पायलट हैं। निश्चित रूप से लैंगिक समानता में भारत की विश्व में स्थिति अच्छी नहीं लेकिन इस क्षेत्र में महिलाओं की साझेदारी यह दर्शाती है कि उनका आत्मविश्वास घरम पर है और इससे अन्य देशों को भी सीखने की आवश्यकता है।

यह संभव हो पाया क्योंकि आउटरीच कार्यक्रमों से लेकर बेहतर कॉर्पोरेट नीतियों और मजबूत पारिवारिक समर्थन के द्वारा भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा। 1948

में गठित एनसीसी (राष्ट्रीय कैंडेट कोर) के एक हवाई विंग के माध्यम से उड़ान भरने को तैयार किया जा रहा। यह एक प्रकार का युवा कार्यक्रम है जहां छात्रों को माइक्रोलाइट विमान संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। महिलाओं के लिए महंगे कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण को और भी अधिक सुलभ बनाने के लिए कुछ राज्य सरकारें इसे सब्सिडी भी दे रही और होंडा मोटर कंपनी भारतीय फ्लाईंग स्कूल में 8 महीने के पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही हैं और नौकरी दिलाने में सहायता भी कर रही। निश्चित रूप से नारी शक्ति उस सर्वोच्च शक्ति स्वरूप मां जगदंबा का रूप है जो कभी निर्मल आकाश में जगमगाती है तो कभी समुद्र की अवरिल धारा सी उठती व शांत हो जाती है।

यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। आटोमोटिव क्षेत्र पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता रहा है उसमें महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, और बजाज ऑटो जैसी फर्म लैंगिक असमानता को कम करने में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। एमजी मोटर ने योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है जिसको दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। वहीं गुजरात के हलोल प्लांट में 2000 कर्मचारियों में 34 प्रतिशत महिलाएं हैं। पुणे में स्थित बजाज आटोमोटिव फॉर्म के चाकन प्लांट की यदि बात की जाए तो वहां वित्त वर्ष 2014 से 2020 तक महिला कर्मचारियों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस प्लांट में डोमिनार 400 और पल्सर आरएस 200 जैसी हाई एंड बाइक का निर्माण किया जाता है। विमान क्षेत्र और आटोमोटिव क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि आज की भारतीय नारी प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करती जा रही है और यह तथ्य इस बात को भी इंगित कर रहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में आधी आबादी की सहभागिता उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों की। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला युग मातृशक्ति का होगा। भारतीय नारी वैदिक काल से ही सशक्त थी आवश्यकता है उसकी शक्ति को पहचानते हुए उसकी समर्पण के सम्मान की। आने वाला काल खंड भारत का होगा जिसमें मातृशक्ति की भूमिका अहम होगी।

(लेखिका शम्भूदयाल पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

भारत की ज्ञान परम्परा : विश्वगुरु के रूप में



आशीष कुमार

भारत में ज्ञान की परंपरा सनातन और शाश्वत रही है। ज्ञान की परंपरा का विकास जिज्ञासा और उत्सुकता के भाव से होता है और तर्क के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में निजी एवं विश्व जीवन की समस्याओं का गहन विचार होता है, अनुभूति, वास्तविकता और अध्यात्म की प्रयोगशाला में जांच परीक्षण होता है, जो एक स्तर तक समाधान की स्थिति में पहुंचा देता है।

भारतीय ज्ञान की अवस्था अद्वैत की होती है। जब किसी से कहा जाता है कि आपको ज्ञान हो गया है तो इसका तात्पर्य कदापि सूचना संग्रह से नहीं होता है, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान हो जाना होता है, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। इसी ज्ञान परंपरा के आधार पर भारत को विश्व गुरु का सम्मान मिला। इस ज्ञान में विज्ञान और दर्शन की तमाम परतें सम्मिलित होती हैं, जोकि भारत को विश्व गुरु में स्थापित करती हैं। इसी ज्ञान परंपरा से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की महान जीवन पद्धति जन्म लेती है, जो मेरे और पराये के भेद परे है, जिसके लिए पूरा विश्व ही परिवार है और उसका कल्याण चिंतन ही जीवनशैली का हिस्सा। इसी के आधार पर भारत विश्व गुरु कहलाया और पुनः उसी महान गौरव को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है।

भारतीय संस्कृति में ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग जीवन पहेली के समाधान की दृष्टि से किया जाता है। जिसके पीछे मुमुक्षुत्व और विश्व के दुःखों से आत्मात्मिक निवृत्ति का भाव है। यहाँ ज्ञान का उद्देश्य महज ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि उसकी अनुभूति है, व्यावहारिक जीवन में आदर्शों की स्थापना है, मानव मात्र के कल्याण हेतु वैचारिक एवं कार्मिक प्रयास है। भारतीय ज्ञान परंपरा बुद्धि से अधिक अंतर्ज्ञान पर आधारित है।

भारतीय ज्ञान परंपरा के विपरीत पश्चिम की

ज्ञान परंपरा भौतिकवाद और प्रकृति के शोषण पर आधारित है। जिसका लक्ष्य भौतिक सुखों को किसी भी प्रकार प्राप्त करना है, जिसकी प्राप्ति की कीमत मानवता के साथ धोखा ही क्यों न हो। पश्चिम बौद्धिक तिगडमबाजी को ज्ञान मानता है। सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा, हेगल जैसे सभी दार्शनिकों ने बुद्धि की महत्ता पर जोर दिया है। जबकि भारतीय ज्ञान और दर्शन अध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ है, जिसका मूल 'जीवन कल्याण' है। भारतीय ज्ञान तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है। यह ज्ञान तत्त्व की व्याख्या मात्र से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वह तत्त्व की अनुभूति भी करना चाहता है। इस तरह ज्ञान आध्यात्मिक समाधान की ओर ले जाता है, जो अपनी चरम परिणति में अद्वैत अवस्था की सूचक होता है।

**विविधताओं से डरने की कोई बात नहीं।
विविधताओं को स्वीकार करो। सभी विविधताएं
सत्य हैं। विविधताओं का उत्सव मनाओ।
अपनी-अपनी विविधता पर पक्के रहो,
विविधता पर पक्के रहो, सबकी विविधता का
सम्मान करो। मिल-जुलकर साथ चलो। यह
दूसरा सम्बन्ध का मूल्य है। वह अपनी परम्परा
है। और सबके साथ मिलकर चलना है तो अपने
उपर बंधन लाना पड़ता है। इसलिए संयम का
तीसरा मूल्य है।**

- मोहन भागवत (संस्कृतवाचक, रा. स्व. संघ)

भारतीय ज्ञान परंपरा और पश्चिमी ज्ञान परंपरा में एक मौलिक अंतर है। पश्चिम बौद्धिक ज्ञान को साध्य माना जाता है, जबकि भारत में इसे साधन मात्र माना जाता है। आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से उच्च है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत का भाव रहता है। भारतीय ज्ञान की मुख्य विशेषता उसका व्यावहारिक स्वरूप है। पाश्चात्य ज्ञान से अलग भारतीय ज्ञान परंपरा आश्चर्य और उत्सुकता से अधिक जीवन दुःखों के शमन एवं निकारण के लिए है।

प्राचीन भारत ने दर्शन, गणित, भाषा, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, संगीत, सांख्यिकी, रेखा गणित, ज्योतिष आदि विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रों में विश्व को अनुदित किया है। प्राचीन भारतीयों द्वारा अविच्छिन्न विचारों और तकनीकियों का

आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत करने में अग्रणी योगदान रहा है।

प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थीं। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जयिनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र थे तथा यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रसिद्धि थी जिसमें आदि जैसे नाम प्रमुख थे। बोधायन, कात्यायन, आर्यभट्ट, चरक, कणाद, वराहमिहिर, नागार्जुन, अगस्त्य, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेकानेक महापुरुषों ने भारत भूमि पर जन्म लेकर अपनी मेधा से विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्धि हेतु अतुल्य योगदान दिया है।

ऋग्वेद की की ऋचाओं में कहा गया है कि 'आ नो भद्राः क्रतावो यंतु विश्वतः' सात्विक विचार हर तरफ से आने दो। स्वयं को किसी चीज से वंचित न करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो तभी भला होगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता को आज पूरा विश्व महसूस कर रहा है। इस ओर हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह एक वैचारिक क्रांति है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है।

अब पश्चिम के देश भारत की महान परंपराओं को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाते पर जोर देने लगे हैं। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और यहाँ की जीवनशैली को जानने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना कर रहे हैं।

भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं को जब विश्व अपना रहा है तो हमारे स्वयं के कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। हमें और सजगता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हमें और हमारी भाषी पीढ़ियों को भारत की प्राचीन प्रगतिशील परंपराओं को महत्व देना और अपनी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनना होगा। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, गुण, शक्ति एवं आदर्शों को ठीक रूप से पहचानना एवं सही दिशा प्रदान करना है।

(लेखक मीडियावर्क हैं)

मीडिया में तकनीक की चुनौतियां



अमित शर्मा

मीडिया लगातार बदल रहा है। ग्रीक दार्शनिक हेरेक्लिटस ने कहा था – “परिवर्तन ही स्थायी है।” यह उक्ति मीडिया पर शत प्रतिशत लागू होती है। पारंपरिक जनमाध्यमों से निकल कर मीडिया अपनी नयी राह बना रहा है। बदलती तकनीक मीडिया को नया रूप दे रही है। अभिव्यक्ति के तरीके लगातार बदल रहे हैं। दुनिया सिमट कर छोटी होती जा रही है। मोबाइल फोन ने जिस तरह से दुनिया में अपनी पैठ जमायी है, उससे ये जाहिर है कि भविष्य में मीडिया की कल्पना स्मार्टफोन के बिना करना मुश्किल होगा। आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया की करीब 83 प्रतिशत आबादी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। भारत दुनिया के उन पांच सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भारत में करीब 750 मिलियन लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक भारत की 1 बिलियन आबादी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही होगी। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि न्यू मीडिया, मोबाइल क्रांति के साथ ही सफलता के नये शिखर चढ़ेगा। न्यू मीडिया दरअसल मीडिया के सभी माध्यमों को अपने अंदर समेट लेता है। वो चाहे शब्दों का माध्यम हो, या फिर श्रव्य माध्यम हो, या इससे भी आगे बढ़कर दृश्य-श्रव्य माध्यम हो। आसान शब्दों में कहें तो आपकी किताब आपके स्मार्टफोन के अंदर है। आप रेडियो की तरह इसे सुन सकते हैं और टीवी की तरह देख भी सकते हैं। अब तो बड़े पर्दे से कनेक्ट कर मोबाइल की स्क्रीन भी बड़ी की जा सकती है।

न्यू मीडिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि

दर्शक सिर्फ उपभोक्ता नहीं रह गया है। वो उत्पादन भी कर सकता है। अगर किसी के पास खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता है तो न्यू मीडिया उसे कंटेंट प्रोड्यूस करने के भी अवसर प्रदान करता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के मामले में न्यू मीडिया सभी माध्यमों से अलग है।

लेकिन बदलती तकनीक ने जहां नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं नयी चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। न्यू मीडिया ने जहां एक ओर अभिव्यक्ति के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित अभिव्यक्ति ने नयी समस्याओं को भी जन्म दिया है। अमर्यादित भाषा एक बड़ी समस्या बन कर उभर रही है। फेक न्यूज की समस्या सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आती है। पत्रकारिता के



पारंपरिक माध्यमों में पूर्ण सत्यापन के बाद ही खबरें दिखायी जाती थी। लेकिन अब गेटकीपिंग जैसी परंपरा न्यू मीडिया से गायब दिखायी देती है। सच से ज्यादा अब झूठ वायरल होता है। मीडिया पर लोगों का भरोसा अब कम हुआ है। खबरों को जांचना और परखना अब पूरी तरह दर्शकों पर ही छोड़ दिया गया है।

इन चुनौतियों के साथ बदलती तकनीक कई ऐसी चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही हैं जो हमारे चेतन स्तर से ज्यादा हमारे अचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही हैं। ये चुनौतियां बहुत ही गंभीर हैं लेकिन अब तक इन चुनौतियों के प्रति हम लापरवाह ही बने हुए हैं।

इनमें जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है उसे नाम दिया गया है – नोमो फोबिया का। यानि नो मोबाइल फोबिया। ये वो डर है जो मोबाइल न होने की कल्पना मात्र से मन में घर करने लगता है। ये डर अब दबे-छुपे आपके जीवन में भी दस्तक देने लगा है। आप

मोबाइल के इतने आदि होने लगे हैं कि मोबाइल पास न होने का डर ही मन में निराशा और बेवैनी भर देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका फोन अगर आपके पास नहीं हो तो आप के अंदर एक खालीपन भरने लगता है। धीरे-धीरे ये खालीपन, अवसाद और चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। आपको घबराहट होने लगती है और आप तनाव में घिर जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप के अंदर है और वक्त रहते अगर आप सचेत नहीं हुए तो ये जल्द ही फोबिया का रूप ले लेगा। मोबाइल का एडिक्शन सम्य दुनिया के सबसे खतरनाक एडिक्शन में माना जा रहा है। एक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि मोबाइल इस्तेमाल करने का नशा 21वीं सदी का सबसे बड़ा नॉन ड्रग एडिक्शन

है। आपको पता भी नहीं चलता और आप कई मानसिक समस्याओं से घिर जाते हैं। ये आपके दिमाग की तार्किक क्षमता को भी कम करता है। आप एक गुलाम की तरह मोबाइल के इशारे पर चलने लगते हैं। इस बात में भी संदेह नहीं कि मोबाइल फोन हमारे सामाजिक ताने-बाने पर असर डाल रहा है। माना जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन इस हकीकत को मोबाइल झुठलाने पर लगा है। ये लोगों में एकाकीपन बढ़ा रहा है। आप को ये समझना जरूरी है कि मोबाइल आपकी मुट्ठी में दुनिया जरूर दे रहा है। लेकिन ये दुनिया वास्तविक नहीं बल्कि आभासी है। बदलते दौर में मोबाइल फोन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। फिर भी मोबाइल ही आपकी दुनिया नहीं है। आप भले ही अपने स्मार्टफोन के बिना जिन्दगी की कल्पना नहीं कर पाते लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्मार्टफोन जिन्दगी नहीं है। तकनीक के खतरों को समझ कर इसका इस्तेमाल किया जाए तब तो तकनीक आपके लिए लाभदायक है। लेकिन इस चुनौती को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप एक ऐसे भ्रमजाल में फंसे जा रहे हैं जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा।

(लेखक टेक्निका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, इंटरप्रैक्स विश्वविद्यालय, दिल्ली में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

मीडिया, प्रोपेगंडा और वैश्विक फलक पर उभरते भारत की चुनौतियाँ



डॉ. अक्षय के. सिंह

विकास के प्रतिमानों पर उर्ध्वगामी राष्ट्र को वैश्विक फलक पर शक्ति संतुलन के अपरिहार्य आयामों को समंजित करना उसके राष्ट्रहित की विशिष्ट आवश्यकता होती है। इकीसवीं सदी को एशियाई सदी के रूप में पहचाना जायेगा और इसके केंद्र में भारत का होना स्वयंभावी है। भारत के विकास की यात्रा में पिछले आठ वर्षों ने नयी पटकथा लिखी है। भारत के पुनरुत्थान के आंतरिक एवं बाह्य कारकों को वर्तमान राजनितिक व्यवस्था ने जिस कौशल के साथ संतुलित किया है विश्वसमाज इसे सौत्साह अनुकरणीय मानता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में यथार्थवादी सिद्धांतकारों के अनुसार राष्ट्रों का शक्ति-संवर्धन साध्य भी है और साधन भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी राष्ट्र का शक्ति-सोपान पर ऊपर आना मुख्यतया तीन बातों का द्योतक है। (1) उसके राष्ट्रीय हित का सम्बर्धन यथोचित रूप में सम्पादित होना (2) राष्ट्रों को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक एवं भू-रणनीतिक तत्वों को राष्ट्रहितानुसार उपयोगी बनाना; और (3) सार्वभौमिक वैश्विक सरोकारों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होना।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वैश्विक शक्तियों के व्यवहार और मीडिया के बीच की अन्योन्याश्रयता विगत सात दशकों में विविध रूप में दृष्टिगत रही है। मुख्यतया शीतकाल में दो प्रमुख महाशक्तिओं और उनके अलायन्स द्वारा रणनीतिक कारणों से मीडिया का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक रूप में किया गया। सकारात्मक रूप में इमेज-मेकिंग के लिए विचारधारात्मक (आईडियोलॉजिकल) घरातल पर मित्रवत राष्ट्रों को एकजुट रखने और अपने विचारधारा को विस्तारित करने के लिए खास कर दोनों महाशक्तियाँ करती थीं। वही नकारात्मक रूप में मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगंडा के रूप में होता रहा था। यद्यपि की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्नलिस्ट चार्ल्स

मास्टरमैन के नेतृत्व में प्रथम विश्वयुद्ध के समय ग्रेट ब्रिटेन के वॉर प्रोपेगंडा ब्यूरो (वेलिंगटन हाउस) से लेकर हाल के समय में लिंकन ग्रुप के नेतृत्व में इराक युद्ध में अमेरिका द्वारा प्रायोजित ब्लैक प्रोपेगंडा जिसमें इराक की सरकारों को बदनाम करने के लिए किया गया तक जारी है।

आज का भारत एक नए आवरण में विश्व घरातल पर उभर कर आ रहा है। इस उभरते भारत का विस्तृत स्वरूप तीन आयामों में प्रस्तुत किया जा सकता है। (1) भारत आर्थिक रूप से परचेचिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की तृतीय अर्थव्यवस्था है जो की दुनिया की 7.5 प्रतिशत है और जिसके विकास की रफ्तार (2015-2018) दुनिया में सबसे तेज रही है। दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्व (सबसे युवा एवं दक्ष कार्यशक्ति, सबसे बड़े बाजार में से एक और पारदर्शी नीति)

जब हम अविध्य के भारत की कल्पना करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अगर किसी आदर्श दिग्धति की कल्पना करता है तो एक ही प्रकार की कल्पना करता है। हमको कैसा देश चाहिए ? हमको सामर्थ्य सम्पन्न देश चाहिए। उस सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है उसकी अच्छी बातें भी दुनिया नहीं सुनती, यह वास्तविकता है।

- मोहन भागवत (सरसंघचालक, छ. स्व. संघ)

इसे 21वीं शदी की सबसे संपोषणीय और स्थायी आर्थिक व्यवस्था बनाता है (2) भारत का राजनैतिक नेतृत्व एक विलक्षण हाथ में है जिसने दुनिया ने 21 वीं सदी के सबसे बड़े संकट के समय देखा है, 140 करोड़ जनता के जीवन को कोरोना के संकट से बचा ले जाना और विश्व मानवता के हित में सर्वश्व आहूत करने के संकल्प के साथ खड़ा रहना भारत के तरफ विश्व को आशावान नजरों से देखने के लिए मजबूर करता है। (3) दुनिया आज एक घोर राजनैतिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, इस बीच भारत की मजबूत लोकतान्त्रिक बुनियाद विश्व के नाजुक चुनौतिये से निपटने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है।

वर्तमान परिस्थिति में मीडिया का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के द्वारा कई उद्देश्यों

के लिए किया जाता है। भारत विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में धीरे-धीरे प्रतिस्थापित हो रहा है। समकक्ष राष्ट्रों के बीच हितों का टकराव एक सतत प्रक्रिया है, अतः इस प्रतिस्पर्धा में हर प्रकार के दांव-पेंच का इस्तेमाल होना स्वाभाविक है। मीडिया का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में भारत विरोधी राष्ट्रों द्वारा वृहत पैमाने पर हो रहा है। इस उपक्रम में भारत की अंदरूनी भारत-विरोधी तत्वों का इस्तेमाल बाहरी शक्तिओं द्वारा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर 'दी सोरोस फाउंडेशन' पश्चिमी देशों के प्रोपेगंडा का आधार है तो 'दी पोलिस प्रोजेक्ट' पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित। चीन का स्टेट मीडिया 'दी ग्लोबल टाइम्स' आक्रामक, कटु पर झूठी रिपोर्ट के माध्यम से गलत तस्वीर पेश कर भारत के हितों को चोट पहुँचाने वाली ऐसी ताकतों में से एक है जो प्रोपेगंडा का सहारा लेती है वह वस्तुतः चीन के स्ट्रेटेजिक वारफेयर का हिस्सा है। जिस ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ ने भारत के विरुद्ध कोरोना पर भ्रामक और मिथ्या रिपोर्ट छपी थी उसी जर्नल ने कोरोना से एक साल पहले कश्मीर के मुद्दे पर अपने एडिटोरियल में भारत के खिलाफ लिखा था। आश्चर्य तो यह है की एक मेडिकल जर्नल पोलिटिकल रिपोर्टिंग करता है परन्तु सच तो यह है की हेलेना वेंग जिसने भारत के खिलाफ कोरोना पर एडिटोरियल रिपोर्ट किया था वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नजदीकी रही थी और एक समय चीन सरकार के पीपल्स मेडिकल पब्लिशिंग हाउस की सीनियर एडिटर थीं। 'हिन्दुस फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था' जिसने डिस्मैटलिंग ग्लोबल हिन्दुत्वा का आयोजन अमेरिका में किया था वह कई देशों के लोगो का भारत के विरुद्ध एक सुनियोजित प्रोपेगंडा था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उभरते राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियों में प्रोपेगंडा को एक अहम् चुनौती माना गया है पर भारत अपनी योग्य राजनीतिक कौशल, उन्नत और जिम्मेदार कूटनीतिक प्रयास, भारतबंधी लोगों के भारत के प्रति स्नेह, पुनराकर्षण और दायित्व भाव के वजह से एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर भारतीय हित को विकसित और संवर्धित करने के लिए कृतसंकल्पित है।

(लेखक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स के प्रमुख हैं)

युवाओं के लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित करने में मीडिया की भूमिका



प्रधान्त्रिपाठी

भारतीय समाज में मीडिया के विकास के साथ-साथ इसने भारतीय सामाजिक परिवेश को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा इसके माध्यम से किस प्रकार एवं कितना परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन समाज के किसी एक भाग में अधिक प्रभावशील है। इस प्रभावशीलता का प्रभाव सूचना प्रसारण तथा उसकी ग्रहणशीलता पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसमें परिवर्तन आने का सबसे बड़ा कारण सूचना प्रसारण के संसाधनों का विस्तार है। जिसका परिणाम यह है कि यह वृहद समाज सूचना प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संकुचित होकर भूमंडलीय आधार पर एक केन्द्र में संचालित हो गया है।

किसी भी देश की युवा पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण मानव संसाधन होती है तथा इस पीढ़ी के माध्यम से देश के संकटों का निवारण आसानी से किया जा सकता है। यह पीढ़ी प्रत्येक देश में परिवर्तन एवं विकास ला सकती है। विकासशील देशों में तो युवाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनकी सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति में एक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित युवा शक्ति का महत्व मानव शरीर में प्रयाहित होने वाले रक्त जैसा है। भारतीय युवा हमारे देश की आशा एवं भविष्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन का मुख्य आधार उस समाज में उपयोग किये जाने वाले संसाधन तथा सूचना एवं जानकारी देने तथा प्राप्त करने के साधनों का विकास तथा विस्तार है।

मीडिया कहते या सुनते ही हमारे सामने सबसे पहले समाचार पत्र-पत्रिका, रेडियो एवं टेलीविजन जैसे सूचना संसाधन दृष्टिगोचर होने लगते हैं जहां कुछ समय पूर्व तक सूचना को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं जाना पड़ता था या जानवरों का सहारा

लेते थे, जिसमें सूचना को उसके गन्तव्य स्थल तक पहुँचाने में अधिक समय लगता था। समय साथ प्रारंभ में धीरे-धीरे परंतु बाद में तेजी से सूचना माध्यमों का विकास हुआ। जिसमें सूचना को बड़े माध्यम के रूप में हमारे सामने अतिविस्तृत रूप में तथा कम लागत मूल्य में समाचार पत्र तथा पत्रिका ने जगह ली। जिसके साथ ही वर्तमान में विश्व भर में सूचना के इतने संसाधन कम लागत मूल्य पर उपलब्ध हैं जिनसे पलक झपकाते ही विश्वभर की आवश्यकता अनुसार सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी मीडिया का विकास अतितीव्र अवस्था में आ पहुंचा है जिसमें हम पलक झपकाते ही तमाम सूचना प्राप्त कर सकते हैं और यह सब संभव हुआ है।

न्यू मीडिया या वेब बेस्ड मीडिया के फलस्वरूप और यह वही मीडिया है जिसने विश्व को एक गाँव में बदल दिया है, राज्यों की सरहदों को खत्म कर दिया है देश के प्रत्येक व्यक्ति को संवाद का मंच दे दिया है तथा विश्वभर की छोटी से छोटी सूचना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा दिया है और यही नहीं संचार के प्राचीन माध्यमों को समय एवं आवश्यकता अनुसार बना दिया है।

मनुष्य सदा से ही सामाजिक तथा जिज्ञासु है। वर्तमान में मनुष्य की इस जिज्ञासा को शांत करने का सबसे बेहतर माध्यम मीडिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिकी के असाधारण विकास से दूरदर्शन के कार्यक्रमों में बहुत सुधार और परिवर्तन आया है। कम्प्यूटर के प्रवेश से दूरदर्शन तथा वीडियो कंसैट आदि के निर्माण में अद्भुत क्रांति हो गयी है। अपनी शुरुआत में प्रिंट मीडिया हमारे देश में एक मिशन के रूप में था। उनका उद्देश्य सामाजिक धेतना को और अधिक जागरूक करने का था। इंसान की भाषायी अथवा कलात्मक अभिव्यक्ति तथा स्थानों तक पहुँचाने की व्यवस्था को ही मीडिया का नाम दिया गया है। पिछली कई सदियों से प्रिंट मीडिया इस मायने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। जहां हमारी लिखित अभिव्यक्ति होती है तथा बाद में छायाचित्रों को शामिल करने पर दृश्य अभिव्यक्ति भी प्रिंट मीडिया के द्वारा संभव हो सकी है। यह मीडिया बहुरंगी कलेवर में और भी प्रभावी हुई, बाद में

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी साथ-साथ अपनी जगह बनाई, जहां पहले तो श्रुत्य अभिव्यक्ति को रेडियो के माध्यम से प्रसारित करना संभव हुआ बाद में टेलीविजन के माध्यम से श्रुत्य-दृश्य दोनों ही अभिव्यक्तियों का प्रसारण संभव हो सका। प्रिंट मीडिया की अपेक्षा यहां की दृश्य अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी हुई क्योंकि यहां चलायमान दृश्य अभिव्यक्ति भी संभव हुई। आधुनिक युग में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। जिससे विभिन्न प्रकार के नवीन मूल्यों का जन्म हुआ।

इस प्रिंट, दृश्य एवं श्रुत्य अभिव्यक्ति से युवा वर्ग सदैव प्रभावित रहा है। चाहे वह 20 वीं शताब्दी का हो या 21 वीं शताब्दी का क्यों न हो। इसने युवाओं को सदैव ही जानकारी प्रदान करने का गुरुत्तर दायित्व निभाया है। वही टेलीविजन, रेडियो एवं सिनेमा ने इन्हें हमेशा, मनोरंजन के साथ आधुनिक जीवन जीने का सलीका भी सिखाया। वर्तमान में इसी संदर्भ में एक श्रृंखला और जुड़ गई है और यह है सोशल मीडिया। भारत में वर्तमान में लगभग 60 प्रतिशत युवा है, और इन युवाओं को जोड़ने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। इसका क्रेज दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। जो युवाओं की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा हो गया है। इस अहम हिस्से ने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक चार में तीन व्यक्ति सोशल मीडिया का किसी न किसी रूप में प्रयोग करता है। इसी के अनुसार 35 प्रमुख शहरों के आँकड़ों के आधार पर यह भी बताया है कि 77 प्रतिशत उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग मोबाइल द्वारा करते हैं। इसमें भी युवाओं की भूमिका प्रमुख इंटरनेट से लेकर थ्री जी मोबाइल तक युवा सोशल मीडिया के माध्यम से देश - दुनिया की सरहदों को पार कर अपने सपनों को लम्बी उड़ान के साथ पूरा कर रहे हैं।

वर्तमान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं की सकरात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित किया है। शिक्षा एवं रोजगार के लिए नये अवसरों को

चयन करने से लेकर प्रदान करने तक के अवसर प्रदान किये हैं। बस सोशल साइट्स पर जाइये जिज्ञासा को व्यक्त कर सर्व पूरा कर दीजिये। सामने सारे सवालों के जवाब मिल जायेंगे। कुछ समय पूर्व तक किसी सूचना को ध्यान में रखने तथा दूसरे को बताने के लिए लिखना पड़ता था परंतु आज बस एक पिक ले लो और सेव कर लो अपने फोन में रख लो तथा उसी रूप में दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचा दो। यही नहीं नोट पेड के फार्म में सारी जिज्ञासा तथा खुद से संबंधित दस्तावेज भी अब अपने पास अपने मोबाइल या मेल आईडी में सहज कर रख लो जब जैसे जरूरत हो तब उस अनुसार उसका उपयोग कर लो। यही नहीं ब्लागिंग के माध्यम से युवा अपनी समझ, ज्ञान, पिपासा, जिज्ञासा, भण्डार, कौतुहल को निकाल रहे हैं तथा सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से दुनिया भर में अपनी समान मानसिकता के लोगों को जोड़कर सामाजिक दायित्व – सरोकार को पूरा कर रहे हैं।

मीडिया का सबसे अधिक प्रभाव 17 से 26 वर्ष के युवाओं तथा 4 से 16 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलता है। मीडिया का सामाजिक जागरूकता में योगदान सदैव अमूल्य रहा है। इसके माध्यम से समाज में छोटी से छोटी सूचना से लेकर बड़ी से बड़ी सूचना जन-जन तक पहुंचाना, सामाजिक सुरक्षा – सरोकार, राष्ट्रहित, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं समाज में व्याप्त कुरीति, अंधविश्वास जैसे सामाजिक परिवर्तनों में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है परंतु इसी के साथ में जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसा ही मीडिया के साथ भी है। इसके भी अच्छे सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं।

युवाओं द्वारा सोशल साइट्स पर दिनभर में कई बार स्टेट्स अपडेट करना घण्टों तक मित्रों के साथ चॉटिंग करना आदतों का एक नशा जैसा हो गया है। इन सोशल साइट्स के द्वारा अश्लील सामग्री और भड़काव उत्तेजक संदेशों को भी प्रसारित – किया जा रहा है। साथ ही कहीं न कहीं हमारी प्राइवसी भी खत्म होती नजर आती है। इसके माध्यम से कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिली है। वर्तमान में युवाओं में एक बड़ी भाषायी समस्या भी देखने में आ रही है, जो है व्यक्तिगत संवाद जिससे वे सामाजिक रूप से प्रभावी संवाद नहीं कर पा रहे। साथ ही युवाओं में पश्चिमी सभ्यता को अपनाना, उनका आधुनिक होना प्रतीत कराता है। जिससे हमारे देश के युवाओं की जीवन शैली प्रभावित हो रही है।

जिसमें देशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, स्मोकिंग और शराब पीने साथ नशा करना, बोलचाल सभी कुछ शामिल है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आदत के कारण युवाओं में एकाग्रता में कमी, डिप्रेशन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बेचोनी जैसी कई समस्यायें भी बढ़ रही हैं।

बच्चों में सामाजिक वेतना जागृत करने हेतु मीडिया सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहा है। यह अपनी प्रभावी प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ दिशा देता है बल्कि दिशा निर्देशों के माध्यम से स्वयं को संचालित करने के लिए प्रेरित भी करता है। इसके माध्यम से ही बच्चे आज हमारी संस्कृति से इतने रूबरू हुए हैं कि वह भारतवर्ष की हर चीज को जानते तथा और जानने के लिए उत्सुक हैं।

दिल्ली साइक्रियेटिक सेन्टर डीपीसी के निदेशक एवं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ सुनील मित्तल बताते हैं कि 'सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अधिक समय रहने के अलावा अधिक समय तक टेलीविजन देखना बच्चों, किशोरों एवं युवाओं में डिप्रेशन झुंझलाहट एवं अनेक अन्य मनोवैज्ञानिक समस्यायें पैदा करते हैं।' वे इन कार्यक्रमों को हकीकत में देखना और जीना पसंद करते हैं। साथ ही वर्तमान में बच्चों में इस वजह से अकेले रहने की प्रवृत्ति में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही बढ़ती न्युक्लियर फैमलीज के कारण भी बच्चों अपने मनोरंजन के लिए एक इसी माध्यम पर आश्रित हैं। इसके साथ ही बच्चे आउटडोर गेम खेलने के प्रति इतनी रुचि नहीं रखते जितनी कि इन माध्यमों द्वारा वर्तमान में प्रचलित खेल जिन्हे कम्प्यूटर एवं मोबाइल पर खेला जाता है, उसे खेलने के प्रति रखते हैं। इससे इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ा है। साथ ही छोटे-छोटे बच्चों में कई प्रकार की इस उम्र में न होने वाली बीमारियों ने भी अपनी घुसपैठ कर ली है। वर्तमान में बच्चों अपनी उम्र से पहले मैथ्योर हो रहे हैं चाहे वह शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर क्यों न हो।

समाज में मीडिया संवाद – वहन का कार्य करता है। समाज में समाचार पत्र-पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो एवं इन्टरनेट की सशक्त भूमिका एवं सशक्त स्वतंत्र स्थिति से ही उस समाज या राष्ट्र की प्रगति एवं उन्नति संभव है। भारतवर्ष में भी बच्चों की महत्ता को समझा गया तथा राष्ट्रीय बाल नीति 1974 और अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 में बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना में बच्चों को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण निधि माना गया। राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार 'एक राष्ट्र का भविष्य उनके विकास पर

निर्भर करता है। शिक्षित बच्चा कल का क्रियाशील एवं बुद्धिमान नागरिक है।'

इस प्रकार भारतवर्ष में युवाओं को देश की आशा एवं भविष्य का प्रतिनिधि समझा गया। उन्हें इस देश के एक सशक्त संसाधन के रूप में देखा जाता है। किसी भी प्रकार की बुराई एवं सामाजिक समस्या के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए युवाओं का उपयोग किया जाता रहा है तथा इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इसलिए यह महसूस किया जाता रहा है कि युवाओं की शक्तियों, उनकी गतिशीलता तथा उनकी आशाओं एवं इच्छाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों एवं क्रियाओं में लगाया जाये। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ही संघर्ष नहीं था अपितु सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रयासों का एक अंग था। इस आन्दोलन में भारतीय युवाओं ने कक्षाओं का बहिष्कार, आन्दोलनों का आयोजन इत्यादि वैध साधनों का प्रयोग करते हुए किया तथा विदेशी शासन का विरोध किया। नगर में रहने वाले युवकों ने इस भूमिका को पसन्द किया। राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस पुनीत कार्य में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

परंतु पैसे की होड़ में जहाँ समाचार पत्र अपराधिक गतिविधियों से भरे पड़े हैं, वहीं सकारात्मक खबरों का प्रतिशत केवल नाममात्र का ही है। वहीं वर्तमान में टीवी चैनल्स की संख्या विगत कुछ वर्षों में इतनी तादात में हो गयी है कि जिसने अपनी टी.आर.पी. को बढ़ाने के लिए हर प्रकार की खबरों को शामिल कर रहा है। छोटी-छोटी सी बातों पर कुछ लोगों को बैठकर बहस करायी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप समाज पर उसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं छोटी-छोटी खबरों को नाटकीय रूप देकर इतना बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है, कि सृजनात्मकता पूरी तरह नष्ट हो जाती है।

परंतु यह हमें ही तय करना है, कि इन सूचना माध्यमों द्वारा हमें क्या ग्रहण करना है। यह सूचना माध्यम हमें क्या बताये तथा किस प्रकार बताएं। ताकि यह हमारे आने वाले समय के समाज निर्माता हमारे युवा एवं बच्चों को राष्ट्र एवं समाज हित में सही दिशा की ओर अग्रसर कर सके तथा इन माध्यमों द्वारा सही सूचना प्राप्त कर उसका सही दिशा में दोहन कर अपना तथा राष्ट्र का विकास कर सकें।

(लेखक, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय नई-दिल्ली एवं राष्ट्रीय उप-सचिव ब्लूम राइट एलॉसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली)

फिल्म मीडिया और समाज



प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव

कहा जाता है किसी देश को जानना है तो इसकी फिल्में देखो। यह कितना सही है या नहीं, यह संवाद का विषय हो सकता है। लेकिन संभवतः इतना सब मानेंगे कि फिल्में समाज की कोशिका अर्थात् व्यक्ति के व्यवहार को तय कर रही हैं। वह क्या खाये, क्या पहने, कहीं घूमे, यह लगाम बरसों से फिल्मों ने थाम रखी है। यहां तक की समाज के सोच की दिशा भी फिल्में तय कर रही हैं। कह सकते हैं कि ये आज समाज को अच्छा या बुरा संस्कार दे रही हैं। या यूँ कहें की फिल्में समाज में नैरेटिव या विमर्श तय करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

क्यों है फिल्में अहम : सवाल उठता है कि फिल्म में इतना विशेष क्या है? पहले तो इस माध्यम की चर्चा कर लें। फिल्म अहम इसलिए है क्योंकि इसने अनेक अन्य माध्यमों को अपने में आत्मसात कर लिया है। लेखन कला स्क्रिप्ट या पटकथा के रूप में इसका आधार है। स्थापत्य कला सेट डिजाइनिंग के माध्यम से इसमें प्रविष्टि लेती है। संगीत और नृत्य तो आरम्भ से भारतीय फिल्मों की अहम पहचान रही है। व्यक्तित्व कला संवादों के रूप में स्थान पाती है तो अभिनय के बिना तो फिल्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त तकनीक आधारित कलाएं जैसे सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग आदि सब सम्मिलित रूप से एक फिल्म को आकार देती हैं। अर्थात् एक फिल्म इन सबका सम्मिलित रूप होता है। अतः इसका प्रभाव अत्यधिक होता है।

इसके अतिरिक्त सिनेमा का माध्यम 'बिगर दैन लाइफ' कहा जाता है। सिनेमा हाल अर्थात् अति विशाल कक्ष, अति विशाल छवियां, गूँजती ध्वनियाँ। दूसरी तरफ कक्ष का अन्धकार

आपको एकाकी कर देता है। आप सम्मोहित से भागते-दौड़ते चित्रों को देखते, रहते हैं आपकी आँखें उन भागती छवियों का अनुगमन करती रहती हैं। पुस्तकों को पढ़ते समय आपके पास रुक कर चिंतन करने का समय होता है। फिल्म वह अवसर नहीं देती और अनवरत आपके अंतर्मन पर एक प्रभाव अंकित करती चली जाती हैं। आज फिल्म ओटीटी/मोबाइल आदि पर देखने के अवसर भी उपलब्ध हैं। वे सिनेमा हाल जैसा वातावरण तो नहीं देते लेकिन एकांत में देखने के कारण इनका प्रभाव भी मनोमरिष्ठक पर अति व्यापक होता है।

सिने यात्रा और सामाजिक सरोकार : सौ साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब भारत में फिल्में आयी। ब्रिटिश सत्ता का दौर था। मिशनरियों



के लिए भी धर्मान्तरण का सुनहरा अवसर था। बर्थ ऑफ क्राइस्ट फिल्म का प्रदर्शन हो रहा था और एक नवयुवक षड़यंत्र समझने के साथ स्वयं से प्रश्न कर रहा था भारत भूमि पर देवी देवताओं और महापुरुषों पर फिल्में क्यों नहीं। संकल्प लिया, कर्मयोग का तप किया, लोकमान्य तिलक और राजा रवि वर्मा का सहयोग मिला और राजा हरिश्चंद्र, कालिय दमन और गंगावतरण जैसी अनेक फिल्में परदे पर ही नहीं समाज के मनोमरिष्ठक पर छा गयी। वह थे भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के।

फिर अछूत कन्या जैसी फिल्मों ने अस्पृश्यता जैसी समस्याओं के खिलाफ माहौल बनाया। 'दूर हटो ऐ दुनिया वालो' जैसे गीत लोगों में चेतना भरने लगे। आजादी के बाद भी लगभग डेढ़ दशक तक फिल्मों में सामाजिक

चेतना की प्रधानता थी। पर 1962 में चीन युद्ध के बाद सिनेमा ज्यादातर पलायनवादी हो गया और राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों की बजाय प्रेम प्रधान फिल्मों की प्रधानता हो गयी। सत्तर के दशक में युवाओं के आक्रोश को एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने परदे पर उभारा। यह वही दौर था जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान किया था। नब्बे के दशक में उदारीकरण की आंधी में बहुत कुछ उड़ गया पर आज बायोपिक के दौर में फिर संस्कृति आधारित फिल्मों का समय लौटता सा नज़र आता है।

सॉफ्ट पावर है सिनेमा : समाज फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का जरिया समझता है। पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिल्में सॉफ्ट पावर मानी जाती हैं जो गृह नीति से लेकर विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हॉलीवुड की फिल्मों को ही लीजिये। वे दिखाती हैं कि दुनिया पर जब खतरा आएगा एक अमेरिकी सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन ही उसे बचाएगा, शीत युद्ध के वक्त अधिकांश फिल्मों में सोवियत संघ विलेन था। इन फिल्मों के प्रसार के साथ अमेरिकी फिल्में अमेरिकी दृष्टिकोण का परोक्ष प्रचार कर रही थीं। जवाब में सोवियत संघ भी ऐसी फिल्मों का निर्माण कर रहा था। इन सब से इतर भारतीय फिल्म उद्योग अधिकांशतः पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने गाने में लगा था। पर वक्त अब बदल रहा है। बाहुबली, आरआरआर और पीएस वन जैसे फिल्में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारतीय संस्कृति की सशक्त छवि गढ़ रही हैं।

क्या कर सकते हैं हम : फिल्में हमें एक नए लोक में ले जाकर नए जीवन को जीने का अवसर देती हैं। तो फिल्मों का आनंद लेना लाभ का सौदा है। शर्त बस यह है की फिल्मों का अवांछित प्रभाव हम पर न पड़े। इसलिए फिल्मों की कथावस्तु और प्रस्तुति की अनवरत समीक्षा की आवश्यकता है। साथ ही पुराने फिल्मकारों को प्रोत्साहित कर और नए फिल्मकारों को सामने लाकर फिल्म निर्माण में सृजनत्मकता की एक बड़ी लकीर खींचने की आवश्यकता है।

(लेखक केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में संस्कृति और मीडिया अध्ययन विभाग में अध्यक्ष हैं)

नए भारत की नई पत्रकारिता



डॉ. राम शंकर

भारतीय पत्रकारिता सत्य, शिव, सुंदरम् की अभिव्यक्ति है। लोकहित और लोककल्याण की भावना ने मानवीय चेतना को उदात्त बनाया है और यहीं से पत्रकारिता का जन्म होता है। जनजीवन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को सम्यक् रूप से रेखांकित करने के कारण ही इसे समाज का दर्पण माना गया, किंतु आजकल केवल नकारात्मक पक्ष को उजागर करना मानो पत्रकारिता का युगधर्म बन गया है। समाज के रचनात्मक और सर्जनात्मक कार्य को पत्र-पत्रिकाओं में कम महत्त्व दिया जाता है। समाज में नैतिकता के इस का अवमूल्यन का यह भी एक कारण है। पूंजीपतियों के इशारे पर की जा रही पत्रकारिता निश्चित रूप से इसके लिए जवाबदेह है।

पत्रकारिता सामाजिक सरोकार से कटती जा रही है। मामला यही पर थम जाता तो भी बहुत वितनीय नहीं था। स्थिति तो अब ऐसी हो गई है कि पत्रकारिता घुन की तरह समाज को भीतर से कमजोर करने लगी है। लाभ केंद्रित पत्रकारिता ने अपने पांव पसार लिए हैं। पत्रकारिता में एडवर्टरियल और पेड न्यूज के कारण भी समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। विज्ञापन को समाचार के रूप में परोसने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसके लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। समाचार आज पत्रकार के कुत्सित मरिचक में उपजता है। वह भूल गया है कि पत्रकार सामाजिक सरोकार के न्यासी के रूप में सूचना और समाचार का केवल संवाहक और संप्रेषक होता है, उत्पादक नहीं। इसलिए सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता खंडित हो रही है।

सत्य का उद्घाटन पत्रकारिता का लक्ष्य और आधारशिला है। जब इसी पर प्रश्न-चिह्न लग जाए तो सामाजिक जीवन की अहलिकाएँ कैसे खड़ी हो सकती हैं? इसलिए सत्य का

साक्षात्कार ही नए भारत की पत्रकारिता का सत्य है। इसके बिना भारतीय पत्रकारिता की शाश्वतता की कल्पना नहीं की जा सकती। सत्य की खोज पत्रकारिता का दूसरा नाम है। तथ्यों के आधार पर पत्रकार सत्य की खोज करता है। इसीलिए पत्रकारिता को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि तथ्यों के माध्यम से सत्य की यात्रा ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता के कारण उसकी महत्ता, गुरुत्व और गुत्वाकर्षण है। पत्रकारिता की आत्मा में सत्यता का निवास होता है, जो कुछ संस्थानों से निकलने वाले पत्रों को छोड़ दिया जाय तो लगभग दिखाई नहीं दे रहा है।

पत्रकारिता पूंजीपतियों के लिए धन कमाने और समाज एवं सरकार पर धौंस जमाने का हथियार बन गई है। पूर्वग्रह के कारण समाचारों के साथ विचारों का समावेश



किया जाता है, ताकि उनका हित-साधन हो सके। समाचारों और विचारों के नाम पर आज बड़े पैमाने पर न केवल घालमेल हो रहा है, अपितु विश्लेषण के नाम पर पत्रकारिता को कलंकित किया जा रहा है। इसके कारण पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जन-जीवन के केवल नकारात्मक पक्ष को उजागर करने के कारण भी सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता धूमिल होती जा रही है।

विभिन्न संस्थानों के पत्रकार समाचार के नाम पर निम्न कोटि का लेख लिख देते हैं। उन्हें दोनों में अंतर का ज्ञान ही नहीं होता है। तथ्यों की तटस्थ व्याख्या और विश्लेषण के सिद्धांत की उन्हें जानकारी ही नहीं होती है और 5-10 वर्षों में जब तक उसकी समझ इस विषय पर विकसित हो पाती है, तब तक वह

लाखों पृष्ठों को काला कर चुका होता है। इस प्रकार समाज का बहुत अहित हो जाता है। कुछ पत्रकारों में तो समाचार और विचार में घालमेल करने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे अपने पक्ष में दलील भी देने लगते हैं। इसके कारण पत्रकारिता की निर्व्यक्तता प्रभावित हो रही है। नतीजतन पत्रकार को आजकल पक्षकार की संज्ञा से भी अभिहित किया जा रहा है, जो पत्रकारिता में बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है।

विगत कुछ दशक में दुनिया में और भारत में भी पत्रकारिता का नव माध्यम संवाद, सूचना और अनुभव विस्तारण के एक शक्तिशाली पटल के रूप में उभरा है। पत्रकारिता के नए माध्यम आने से पत्रकारिता की दशा और दिशा दोनों बेहतर हो रही है। पत्रकारिता के माध्यम से आने वाले किसी भी संदेश का समाज पर

व्यापक असर पड़ता है, जिसके जरिए मानवीय व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे में समाचार पत्रों या टीवी चैनलों द्वारा एक विशाल जनसमूह तक भेजे जाने वाले किसी संदेश का उद्देश्य क्या है और यह किससे प्रेरित है? या यह कहां कि यह पत्रकारिता किसके लिए करना है यह सवाल काफी मायने रखता है।

पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य में संदेशों को विभिन्न तरीके से जनसमूह के समक्ष पेश करने की होड़ मची है। लगातार यह प्रयास हो रहा है कि संदेश कुछ अलग तरीके से कैसे प्रकाशित प्रसारित हो। इस होड़ ने प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे समाचारों के प्रस्तुतीकरण का तरीका थोड़ा रोचक जरूर लगता है, लेकिन यह बनावटी है। इसके पीछे होने वाले तथ्यों के तोड़ मरोड़ और सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति ने कई विकृतियों को जन्म दिया है, जो उद्देश्य विहीन पत्रकारिता के दायरे में आता है। नए भारत की पत्रकारिता में लेखन को यदि संस्कृति, भारतीयता तथा अभ्युदय केंद्रित तथा लोक मानस के कल्याण केंद्रित कर दिया जाय तो निश्चित ही भारतीय पत्रकारिता समाज केंद्रित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

(लेखक बाबू जगजीवन राम पीठ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, म. प्र. में शोध अधिकारी हैं)

सामाजिक समरसता के निर्माण में मीडिया की भूमिका



प्रो. पूनम कुमारी

भारत जैसे विविधता वाले देश में, लोगों को एक दूसरे से बांधे रखने में, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राज्य और देश के विकास में सामाजिक समरसता बेहद जरूरी है। सामाजिक समरसता से तात्पर्य है, समाज के सभी वर्गों के लोगों में प्रेम भाव उत्पन्न करना एवं सामाजिक समस्याओं का निदान करना। मीडिया बहुत हद तक समाज को सही आकार और उद्देश्य प्रदान करने में मददगार साबित होता है। आज की मीडिया देश की दिशा और दशा को तय करने की क्षमता रखती है। मीडिया द्वारा समाज को संपूर्ण विश्व में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है। समाज में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर कर व्यापक समरसता के निर्माण में मीडिया का योगदान अतुलनीय है।

क्योंकि देश बड़ा है, आबादी अधिक है, रंग रूप, खानपान, जीवनशैली आदि सभी प्रदेशों की अलग अलग हैं फिर भी मीडिया की कोशिश हमेशा यही होती है कि वह वही दिखाता है जो एक बड़ी आबादी देखना चाहती हैं। कहीं न कहीं मीडिया लोगों में एकमत का निर्माण कर लोकतंत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। तकनीकी विकास ने मीडिया के स्वरूप में बदलाव किया है और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास को भी जगाने का काम किया है। इतना ही नहीं मुख्यधारा से दूर सुदूर गोंव-देहात में बसने वाले लोगों को भी मुख्यधारा से जोड़ कर लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ होने का दायित्व बखूबी निभाया है।

मीडिया कितना प्रभावशाली है, इसका अंदाजा हम कई उदाहरणों से लगा सकते हैं जैसे कि जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा था, तब मीडिया में कार्यरत कई लोग, हम आप तक पल पल की

खबर अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचा रहे थे, दिल्ली से जब मजदूरों का पलायन हो रहा था तब उनकी बातों को लोग और सरकार के सामने रखने वाला मीडिया ही था। इतना ही नहीं निर्भया के पक्ष में लाखों युवक जो सड़कों पर उतरे उसे न्याय दिलाने के लिए, यहाँ भी कहीं न कहीं मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

हाँ ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मीडिया कई बार राजनैतिक और अराजक तत्वों के दबाव में आकर कुछ खबरों को अनदेखा और अनसुना कर देती है। पर ये मीडिया ही तो है जो आम आदमी के अधिकारों की भी बात करता है।

पहले तो मीडिया के दो ही रूप थे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। पर जबसे डिजिटल मीडिया का दौर आया लोगों के अंदर बदलाव



आना शुरु हुआ, लोग अपने अधिकारों की बात करने लगे और एक कारवां बनता गया। जो कभी संकोच करते थे उन लोगों को भी डिजिटल मीडिया ने एक आवाज दी अपनी बात दुनिया के सामने रखने की। आज वे भी लोग पत्रकार हैं जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है और उनमें से कई लोग तो अपने काम को बखूबी कर भी रहे हैं। ये डिजिटल मीडिया की ही देन है, जो समाज के हर वर्ग को अपनी बात रखने का समान अधिकार दे रहा है। यह बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, राज्य एवं देश के आधार पर भेदभाव किए सभी को समानता का एहसास दिलाता है।

सामुदायिक रेडियो जैसा मीडिया का सशक्त माध्यम जो विलुप्त होती सभ्यता, संस्कृति, भाषा, समुदाय इत्यादि को फिर से जीवित कर मुख्यधारा से जोड़ने के हर संभव प्रयास कर सामाजिक समरसता को ही तो बढ़ा रहा है। आज भी देश के ज्यादातर सामुदायिक

रेडियो समुदाय विशेष द्वारा ही चलाये जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। अंततः कुल मिलाकर मीडिया देश में सामाजिक एकता और भाईचारा को बढ़ाने की ही बात करता है।

मीडिया ने सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा लोगों में देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर मीडिया का साथ नहीं होता तो पोलियो और एड्स जैसी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना सरकार के लिए एक बहुत कठिन कार्य होता। अभी हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मीडिया के विभिन्न आयामों द्वारा देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का आह्वान किया था। साथ ही उन्होंने कहा— यह महोत्सव उन सभी स्वतन्त्रता के दीवानों को समर्पित है जिनके दम पर देश को स्वतन्त्रता मिली, साथ ही उन्होंने यह महोत्सव इन पचहत्तर सालों में उन सभी सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक जीर्णोद्धार करने वालों को समर्पित किया जिन्होंने देश को अविकसित देश से विकासील देश की श्रेणी में लाने का कार्य किया। उनके इस मीडिया के माध्यम से प्रसारित आह्वान पर लोगों ने इस महोत्सव को पर्व की तरह मनाया।

देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मीडिया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखता है ताकि लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें और सामाजिक शांति भी कायम हो। मीडिया अपनी भूमिका द्वारा समाज में शांति, सौहार्द, समरसता और सौजन्य की भावना से लोगों को अभिभूत करता है। मीडिया किसी भी राष्ट्र की आंख, कान व मुंह होता है, और मीडिया जो भी सोचता है, लिखता है या बोलता है तो उससे पूरे समाज पर असर पड़ता है। इसलिए मीडिया का भी दायित्व बनता है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करे। सामाजिक समरसता के लिए लोगों के अंदर भाईचारा, प्रेम, सौहार्दता, सहिष्णुता होनी चाहिए और मीडिया की जवाबदेही होती है कि सामाजिक समरसता के इन घटकों का ध्यान रखे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाये।

(लेखिका स्कूल ऑफ जर्नालिज्म एंड मास कम्युनिकेशन्स आई एम एस गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती आदिवासी जाति की पाबी बेन रबारी



मोनिका चौहान

भारत की संस्कृति सेवा, समर्पण और शांति के धागों से बनी है। परोपकार की सुगंध बहुत तेजी से फैलती है। आज के समय में जहां अपनी जरूरतों को पूरा करने में मानव लगा हुआ है और अपनी परेशानियों से जुझ रहा है वहां दूसरों पर परोपकार करना, उनकी मदद करना, दूसरों का दुख बांटना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भारत के अपने कर्मवीरों को देखकर हम यह आसानी से कह सकते हैं कि भला होना और हिंदुस्तानी होना एक ही बात है। क्योंकि त्याग, परोपकार, भलाई करना, नेकी करना, यह हिंदुस्तानियों के डीएनए में बसता है। भारत के हर नागरिक में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी हुई है। व्यवसाय के क्षेत्र में उभरता एक ऐसा नाम जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात है। जो सभी भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है वो नाम है पाबी बेन रबारी। उन्होंने भारत की हस्त कला को विदेशों तक पहुंचाया। वह देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक जाना माना और विख्यात नाम है। जब कोई महिला अपने हुनर को अपने सशक्तिकरण का माध्यम बना लेती है तो वह अपने साथ-साथ समाज व देश को भी सशक्त बनाती है। पाबी बेन की कहानी शुरू हुई एक रूप में पानी भरने से।

पाबी बेन का जन्म गुजरात के कच्छ जिले के कुक्कड़सर गाँव में वर्ष 1984 में हुआ। वह देवरिया रबारी समुदाय से हैं जो खानाबदोश मवेशियों और ऊंट चरवाहों की एक आदिवासी

जाती है। उनकी शिक्षा कक्षा चार तक हुई। जब वह मात्र 5 वर्ष की थी तो पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने परिवार का लालन पालन किया। पाबी बेन ने मां की मदद के लिए एक रूप में गांव वालों के लिए पानी भरना शुरू किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने नमक के बर्तन के कारखाने में काम करना शुरू किया और अधिक कमाई के लिए मिट्टी की 'लिप्पन' कला की। उन्होंने काम के साथ-साथ अपनी मां व दादी से रबारी कढ़ाई भी सीखना शुरू कर दिया। कढ़ाई में रुचि होने के कारण



उन्होंने जल्द ही अपने लिए रबारी कढ़ाई के कपड़े व पुरुषों के लिए शाल बनाना शुरू कर दिया। पाबी बेन का विवाह 17 वर्ष की आयु में पशु पालक लक्ष्मण से हुआ। शादी के बाद वह अपने पति के साथ जंगल में रहती थी। लेकिन पर्यावरण से तालमेल न होने के कारण जल्द ही वह अपने पति के साथ भद्रोई गांव में बस गई। जहां पर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और पति ने भी उनका साथ दिया।

उनके समुदाय में एक प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने पति के घर दहेज के रूप में कढ़ाई के टुकड़े ले जाती थीं। इसके कारण लड़कियों को दहेज के लिए अपने माता-पिता के घर रहना पड़ता था। कभी-कभी लड़कियों की उम्र 35 वर्ष तक हो जाती थी। जब गांव के बुजुर्गों को लगा कि इस तरह के दहेज के कारण लड़कियों के विवाह की उम्र ज्यादा हो रही है तो उन्होंने 90 के दशक में कढ़ाई पर

प्रतिबंध लगा दिया। पाबी बेन कढ़ाई की परंपरा को जीवित रखना चाहती थी और उन्होंने भुज स्थित कला रक्षा ट्रस्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया। यह ट्रस्ट कला संरक्षण के लिए काम करने वाला एक संगठन है। पाबी बेन ने इस संगठन के साथ 12 वर्षों तक काम किया। 1998 में पाबी बेन रबारी महिला समूह में शामिल हुईं और जल्द ही मास्टर कारीगर के रूप में जानी जाने लगी। इस कला को जीवित रखने के लिए अपने समुदाय की महिलाओं को जोड़ा और 'हरी जरी' नामक तैयार तत्व के मशीन अनुप्रयोग के साथ एक नई कला का अविष्कार किया जो बाद में पाबी जरी के नाम से लोकप्रिय हो गया। पाबी जरी का पहला प्रोडक्ट एक शॉपिंग बैग था जो बहुत लोकप्रिय हुआ। यह बैग विदेशों में भी सैपल के रूप में ले जाया गया और वहां यह बैग इतना पसंद किया गया कि विदेशों से भी पाबी बेन को बड़े ऑर्डर मिलने लगे।

2001 के गुज भूकंप के बाद कक्ष की अर्थव्यवस्था को इस पारंपारिक हस्तकला के कारण बल मिला और कई कंपनियों ने वहां निवेश करना शुरू कर दिया। पोशाक वह हस्तकला को बढ़ावा मिला और व्यापारियों को काम मिलना शुरू हो गया। पाबी बेन ने अपना खुद का ब्रांड और वेबसाइट 'pabiben.com' स्थापित की जिसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ग्राहक हैं। पाबी बेन को पहला आर्डर अहमदाबाद के एक स्टोर से ₹70000 का मिला जिसने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने समुदाय की करीब दो लाख महिलाओं को रोजगार दिया। महिला कारीगर पर्स, बैग, टॉयलेट किट, दरी, फाइलें व रजाई जैसे उत्पादकों का उत्पादन कर रही हैं। उन्हें अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत सी परेशानियों का सामना करने के पश्चात भी पाबी बेन आज एक सफल उद्यमी के रूप में जगत विख्यात है।

(लेखिका शिक्षिका है)



पत्रकारिता में लगे खाज को कोढ़ में बदलने से पहले ईलाज की जरूरत



आशीष कुमार 'अंधु'

पत्रकार आज राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और राजनेता पत्रकार बन गए हैं। उद्योगपति मीडिया समूह चला रहे हैं। पता ही नहीं लगता कौन पत्रकार है, और कौन राजनीति में है?"

द ट्रिब्यून के संपादक हरीश खरे की इस टिप्पणी से पत्रकारिता की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति असहमत नहीं होगा। वास्तव में यह पत्रकारिता का संक्रमण काल है। जहां कोई हल्की सी भी रोशनी दिखती है तो पत्रकारिता में विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर का यह विश्वास फिर से एक बार जागृत हो जाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ

है। परिवर्तन बाकी है। समाज का विश्वास फिर से पत्रकारिता पर कायम होगा। वह दिन अब अधिक दूर नहीं है।

हाल में ही अपने रिपोर्टर अभिषेक गौतम की प्रशंसा में नवभारत टाइम्स दिल्ली के संपादक सुधीर मिश्रा की यह फेसबुक पोस्ट उसी उम्मीद का उदाहरण है, जो हर उस पत्रकार के अंदर बची है। जो पत्रकारिता से प्रेम करता है। जिसके लिए आज भी पत्रकारिता कोई रोजगार नहीं है। वह पत्रकारिता को औजार समझ रहा था लेकिन मीडिया घराने के मालिकों ने उसे पैसा कमाने का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। सुधीर मिश्रा अपने रिपोर्टर अभिषेक की शानदार रिपोर्टिंग के लिए लिखते हैं - 'रेलवे के ठेके लेने वाली विशालकाय लॉन्ड्री में छह दिन तक पैतालिस डिग्री में जिस्म तपा कर सच निकालने वाले अभिषेक गौतम की देश भर में चर्चा हो रही है। खासतौर पर मीडिया हाउसेज में। सोशल मीडिया पर देश के बड़े-बड़े संपादकों, अफसरों, नेताओं, पत्रकारों और आम लोगों ने नवभारत गोल्ड के स्टिंग ऑपरेशन

को साझा किया और सराहना की। इससे यह समझ आना चाहिए कि जब लोग मीडिया और पत्रकारों के बारे में तरह-तरह की नकारात्मक उपमाओं, अपशब्दों और आलोचनाओं से हमलावर होते हैं तो यह उनकी पत्रकारिता से नाराजगी नहीं होती, यह उनकी विवशता और गुस्सा है क्योंकि उन्हें अपने टीवी चैनलों और दूसरे मीडिया माध्यमों से वह नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत है। हर तरह की खबर पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को चाहिए होती है लेकिन सबसे ज्यादा उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई। कुछ लोगों को नेताओं के भाषणों, सियासी हलचलों में दिलचस्पी हो सकती है लेकिन आटा, दाल, चावल, यात्रा, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की सेहत से ज्यादा नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी खबरें चाहिए। बीते 28 साल के करियर में तो मैंने यही जाना और सीखा कि एक खबरनवीस की जिंदगी में आम लोगों की खुशी, दुख और तकलीफ की समझ और उनके प्रति संवेदना सबसे जरूरी है। अलग अलग अखबारों में ऐसे बहुत से सहयोगी और जूनियर साथी मिले

जिनके जज्बे को हमेशा सराहता हूँ। सच कहूँ तो ऐसे कई युवा हैं जो अभिषेक की ही तरह साहसी, संवेदनशील और बेहतर समझ के पत्रकार हैं। गालियों के दौर में अभिषेक को मिल रही यह सराहना उन्हें भी प्रेरणा दे ही रही है कि बिना किसी खेमेबंदी और सियासत में उलझे हुए भी वह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाज को प्रेरित करे। मैंने जितने भी अखबारों में काम किया है, वहाँ नब्बे प्रतिशत पत्रकार पूरी सच्चाई से अपना काम करना चाहते थे और चाहते हैं, बस उन्हें सच्चा काम करने का माहौल देने की जरूरत है।

आम तौर पर संपादक वर्ग प्रशंसा करने में थोड़ा कंजूस माना जाता है लेकिन इस टिप्पणी में उदारता दिखाई देती है। वैसे अभिषेक ने काम भी काबिले तारीफ किया है। जिसकी वजह से पत्रकारों के बीच भी उसे खूब सारी शुभकामनाएँ और प्रशंसा मिली। रेल के एसी कोच के टिकट सामान्य श्रेणी की टिकटों से महंगे हैं, फिर भी उसमें मिलने वाली चादरें और तकियों के गंदे होने की शिकायतें लगातार आ रही थी। वे इतने गंदे थे कि आप बीमार पड़ जाएँ। इस बात की पड़ताल करने के लिए अभिषेक ने उस कारखाने में एक मजदूर की तरह प्रवेश किया, जहाँ रेलवे अपनी चादर धुलवाता है। वहाँ छह दिनों तक काम किया। वहाँ की स्थिति देखकर स्टिंग का विचार आया फिर जो कल तक सबसे छुपाकर चल रहा था, अभिषेक ने उसे सबके सामने ला दिया।

अब बात थोड़ी पत्रकारिता के भविष्य की कर लेते हैं। बीते बीस सालों में पत्रकारिता बहुत बदली है। पहले किसी भी संस्थान में संपादक नाम की सत्ता होती थी। जिसे हम मीडिया में प्रकाशित अथवा प्रसारित सामग्री के लिए जिम्मेवार मानते थे। बीते दो दशकों में हुआ यह कि मीडिया के संस्थानों से धीरे धीरे संपादकों को विदा किया जाने लगा और उनकी जगह प्रबंधक बिठाए गए। जिन्हें कन्टेन्ट की समझ चाहे थोड़ी कम थी लेकिन उन्हें बिजनेस की समझ पूरी थी। उन्हें यह भी पता था कि खबर छापने से अधिक पैसे ना छापने के मिलते हों तो खबर को ना छापना सही निर्णय है। यह बिल्कुल 2006-07 का वह समय था, जब स्व. प्रभाष जोशी, राम बहादुर राय जैसे वरिष्ठ पत्रकार पेड़ न्यूज के खिलाफ अभियान चला रहे थे। यह वह समय था जब टीवी पत्रकार और बाद में आम आदमी पार्टी के नेता रहे आशुतोष गुप्ता ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान में छात्रों को साफ शब्दों में बताया कि यदि वे पत्रकारिता से समाज बदलने का कोई सपना लेकर माखनलाल में

पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने अभिभावकों का पैसा बर्बाद किए बिना उन्हें वापस घर लौट जाना चाहिए। पत्रकारिता एक्टिविस्ट के लिए नहीं है। पत्रकार होना भी दूसरी नौकरियों की तरह ही है।

मतलब जैसे कुछ लोग मोबाइल की शॉप खोलते हैं, कुछ लोग रिसल एस्टेट का काम करते हैं, वैसे ही कुछ लोग मीडिया की पढ़ाई करके पत्रकार बन जाते हैं। आशुतोष ने कहा था कि यदि पत्रकारिता में आकर आप मूल्यों और सामाजिक सरोकार की बात करते हैं अथवा परिवर्तन लाना चाहता है तो आपने गलत पेशा चुन लिया है।

यह बात पत्रकारिता के छात्रों को अकेले आशुतोष गुप्ता नहीं समझा रहे थे। यह बात मीडिया के छात्रों को मीडिया में आने से पहले ठीक प्रकार से समझा दी गई कि आप एक नौकरी के लिए खुद को तैयार कीजिए। सिस्टम को बदलने के लिए कोई भी मीडिया संस्थान आप पर निवेश नहीं करेगा। संपादकों को कैम्पस सेलेक्शन के दौरान उन लड़कों को ही छांटना है जो मीडिया हाउस के मालिक के दूसरे कारोबारों को बढ़ाने में टूल की तरह खुद को खपाने के लिए तैयार हो।

वर्ष 2012 आते आते संपादक को हटाकर प्रबंधकों को बिठाने वाले संस्थानों में मालिकों ने सारा काम अपने हाथ में ले लिया। वह पत्रकारों की भर्ती से लेकर संपादकीय निर्णयों में भी हस्तक्षेप करने लगे। पेड़ न्यूज के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी उस पर कोई ईमानदार बहस प्रारंभ हो, उसकी जगह फेक न्यूज ने ले ली। पत्रकारिता में फेकट चेकर नाम की एक नई प्रजाति का जन्म हुआ।

2012-13 में सोशल मीडिया की ताकत को सत्ता में बैठे लोगों ने महसूस किया। एक ऐसी ताकत धीरे-धीरे खड़ी होने लगी थी जो राजनीतिक सत्ता और मीडिया की सत्ता दोनों को चुनौती दे रही थी। सोशल मीडिया ने आम आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सशक्त किया। जिसे आजादी समझ कर आम आदमी सोशल मीडिया पर जी रहा था, उसे लेकर मुख्य धारा की मीडिया में आजादी या अराजकता के नाम पर बहस चल पड़ी। मई 2014 में जब भारत में केन्द्र की सरकार बदली तो मीडिया विश्लेषणों में बार बार यह बात आई कि इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का चमत्कार तो था ही लेकिन कांग्रेस के तख्ता पलट में बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की थी।

वर्ष 2010 के आस पास की बात है, यह

खबर आई कि एक संयुक्त संपादक को सवा करोड़ रुपए के पैकेज पर नियुक्ति मिली है। उन्हीं दिनों ग्रामीण विकास की पत्रिका सोपान स्टेप के लिए Rural&Urban Disparities पर केन्द्रित कवर स्टोरी की थी। वह अंतर समझ आ रहा था, जहाँ एक तरफ राजस्थान के बारां में एक सहरिया जनजातीय परिवार पांच-सात सौ रुपए में पूरे महीने जीवन यापन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी मुम्बई में 15000 करोड़ की लागत से अपना घर एंटीलिया बना रहे थे। मुकेश अंबानी से क्या शिकायत की जाए, वे तो व्यवसायी व्यक्ति हैं। पत्रकारिता में जब 10,000 से लेकर 15,000 के मासिक वेतन पर ठीक-ठाक से संस्थान अपने यहाँ पत्रकारों की नियुक्ति कर रहे हो और उसी दौरान कोई दस लाख रुपए मासिक वेतन एक मीडिया संस्थान से ले और इतने बड़े अंतर को देखते हुए भी उसे इस वेतन को लेकर कोई चिंता ना हो। पत्रकारिता कर रहे सबसे अंतिम पायदान पर खड़े पत्रकार को लेकर कहीं कोई विमर्श ना हो तो मुझे लगता है कि समाज को मार्ग दिखाने से पहले भारतीय पत्रकारिता के विषय में थोड़ा ठहर कर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है।

रांची, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार विनय चतुर्वेदी ने एक बार कहा था— शोषण के खिलाफ सबसे अधिक मुखर वर्ग पत्रकारों का है और समाज में सबसे अधिक शोषण उसी का हो रहा है। विडम्बना यह है कि वह दूसरों के शोषण पर कलम चला सकता है लेकिन अपने शोषण पर खामोश रहना ही उसकी नियति है। पत्रकारिता को अपने अंदर चल रहे कई सवालियों को आने वाले समय में हल करना है। जब तक वह अपनी उलझनों को दूर नहीं करेगा। उसके आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। यदि सोशल मीडिया ने समानांतर मीडिया के तौर पर अपनी जगह बनाई है तो यह जगह बनाने का अवसर मीडिया ने ही दिया है। मीडिया में धीरे धीरे ग्राउंड स्टोरी की जगह कम होती जा रही है।

मीडिया को भी यह समझना होगा कि उसकी सारी ताकत उस वक्त तक है, जब तक समाज का उस पर विश्वास है। फेक न्यूज और पेड़ न्यूज जैसी खाज जो उसे लगी है, उसे कोढ़ में बदलने से पहले उसका ईलाज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही भविष्य की पत्रकारिता से समाज कोई उम्मीद रख पाएगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)



मीडिया की लक्ष्मण रेखा



डॉ. अरविन्द कुमार पाल

रामायण के एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार वनवास के समय सीता माता के आग्रह के कारण भगवान् राम मायावी स्वर्ण मृग के आखेट हेतु उसके पीछे गये। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई दी, तो सीता माता ने लक्ष्मण जी से जाने को कहा। भगवान् लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि यह सब किसी की माया है, पर सीता माता न मानी। तब विवश होकर जाते हुए भगवान् लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर अपने धनुष से एक रेखा खींच दी कि किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। तपस्वी के वेश में आए रावण के झाँसे में आकर सीता माता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उनका अपहरण कर ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता माता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण

रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि, किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है, वरना बहुत हानि उठानी होगी।

मीडिया में लक्ष्मण रेखा का होना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है, विशेष कर सोशल मीडिया के सन्दर्भ में। जैसे सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को लांघा तो रावण ने उनका अपहरण कर लिया था, ठीक उसी प्रकार अगर मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो समाज में अनेकों विषमताओं को जन्म देता है जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया जिस तरह से आधा अधूरा ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहा है और समाज में लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है, इससे सोशल मीडिया की साख पर प्रश्नचिन्ह उठना लाजमी है। सोशल मीडिया तथ्यों को इस तरीके से पेश कर रहा है कि लोग अदालतों के फैसले से पूर्व ही अपनी एक अलग राय बना ले रहे हैं। समाज में असंतोष फैल रहा है। सोशल मीडिया ट्रायल इतना ज्यादा होने लगा है कि अब सोशल मीडिया पर जजों के निर्णय से पूर्व, उनके महाभियोग की मांग से लेकर उनकी प्रोफाइल तक को खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया जिस तरह से अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है उसकी विश्वशनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति और इनके खतरों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में मीडिया को आगाह किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया, चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल हो या फिर सोशल मीडिया, को किसी भी स्थिति में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल करते समय 'अपनी भाषा, मर्यादा, संयम और किसी भी जांच में हस्तक्षेप के अज्ञाने प्रयास में' अदृश्य सीमा रेखा नहीं लांघनी चाहिए। अन्यथा वह समय दूर नहीं है जब न्यायपालिका संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आ रही मीडिया के लिये विशेष परिस्थितियों या मामलों के संबंध में 'कोई लक्ष्मण रेखा' ना खींच दे।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ होते हैं विधायिका, न्याय पालिका, कार्यपालिका और मीडिया चौथा स्तम्भ होता है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में इन सभी स्तम्भों का बहुत बड़ा योगदान होता है इनमें अगर कोई भी अपनी सीमाएं लाँघता है तो उसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया टी.आर.पी. व पेज व्यूज, सब्सक्रिप्शन, हिट्स, पे पर क्लिक के खेल में मशगूल रहेगा तब तक मीडिया से यह अपेक्षा करना कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा यह

कहना बेगानी होगी।

एक सुनहरे भविष्य की कल्पना और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की एक अहम् भूमिका होती है जिसका निर्वहन करने के लिए भारत सरकार को भी कुछ कड़े और ठोस कानून बनाने होंगे। मीडिया की जिम्मेदारी तय करनी होगी तभी एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। बीते कुछ सालों में जिस तरह से आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण खबरों को प्रस्तुत करने में कई बार मीडिया अपनी मर्यादा भूल जाता है जिससे समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लोगों में भी अब मीडिया लिटरेसी बढ़ी है जिससे लोग अब मीडिया को और बेहतर ढंग से समझते हैं और खबरों के हिसाब से पक्ष और विपक्ष का भी अंदाजा लगा लेते हैं। मीडिया की प्रस्तुति के कारण से समाज उसके किस व्यक्ति विशेष, किस राजनितिक पार्टी, किस कॉर्पोरेट हाउस को वो सपोर्ट कर रहा है और किस का वो विरोध कर रहा है इसका अंदाजा आसानी से लगा लेता है। इसलिए मीडिया को अगर अपनी गिरती साख को बचाना है तो आइने की तरह कार्य करना होगा जैसा दिखा वैसा दिखाया, जैसा सुना वैसा सुनाया।

अगर हम बात करें टेलीविजन चैनल की तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना 2008 में की, जिसका उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में प्रसारित होने वाले विभिन्न टीवी चैनलों की सामग्री की निगरानी करना है जैसे प्रोग्राम कोड, विज्ञापन कोड, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधान सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं।

वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र चौबीसों घंटे लगभग 900 टीवी चैनलों को रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत बनाए गए कोड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा उल्लंघन की निगरानी और जांच करता है। ईएमएमसी उल्लंघनों पर रिपोर्ट को रिकॉर्ड की गई विलप के साथ स्कूटीन कमेटी को देता है, जो जांच करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र आगे की कार्रवाई के लिए अपने निष्कर्षों को अंतर-मंत्रालयी समिति और अन्य निकायों को अग्रोषित करता है।

लोकतान्त्रिक प्रणाली में विचारों को

अभिव्यक्त करने की आजादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी निरंकुश नहीं है। जैसे-जैसे सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा है, उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा लोगों तक पहुंची है लोगों को स्वस्थ विचार अभिव्यक्त करने के लिए अनेक मंच मिले हैं। लेकिन बहुत से तत्व इन मंचों का इस्तेमाल अपने नापाक इशारों को अंजाम देने के लिए करने लगे हैं। लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए आकाश तो मिला लेकिन कुछ लोग इस आकाश को विषाक्त करने में जुट गए। इसलिए यह जरूरी भी है सोशल मीडिया के लिए कोई न कोई लक्ष्मण रेखा खींची जाए। अंततः सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर सीमाएं खींच दी हैं। इन दिशा-निर्देशों को लेकर बहस जरूर होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन इस बात पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए कि क्या किसान आंदोलन के दौरान 'किसान नरसंहार' जैसे हैशटैग, ट्रेंडिंग के कारण ट्विटर पर भारत के विरुद्ध मुहिम छेड़ना, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना नहीं है, हिंसा को बढ़ावा देना, भ्रम का मायाजाल बुनकर देश के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना क्या स्वीकार किया जा सकता है? यह भारत ही क्यों किसी भी देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाल ही की घटनाओं ने भारत की एकता और अखंडता के संबंध में सोशल मीडिया कम्पनियों के दिग्गजों की भूमिका भी ईमानदार नहीं रही। सोशल मीडिया कम्पनियों के साथ अनैतिक काम करने वाले मुद्दों का एक लम्बा इतिहास जुड़ा है।

अमेरिका में कैपिटल हिल की हिंसा के बाद हजारों सोशल मीडिया हैंडल्स बैं किए गए। कई लोगों पर एक्शन हुआ। लेकिन अगर रेगुलेशन को लेकर देखा जाए तो अमेरिका सोशल मीडिया के सेल्फ रेगुलेशन का पक्षधर है अमेरिका में टीवी-रेडियो, इंटरनेट आदि पर नियमन के लिए तो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं है जो सोशल मीडिया को लेकर तय कर सके कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। हालांकि हाल में कई विवादित मुद्दों पर इन सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों को अमेरिकी संसद के सामने पेश होकर सफाई देनी पड़ी है। हालांकि, सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में संचार सम्यता

अधिनियम की धारा 230 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि एक 'इंटरैक्टिव कंप्यूटर सेवा' को तीसरे पक्ष की सामग्री का प्रकाशक या बक्ता नहीं माना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से धारा 230 को पूरी तरह से निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है।

न्यूजीलैंड में मस्जिद शूटिंग की घटना के लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू की गई। इससे पहले 2015 में आए ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने को कहने का अधिकार ई-सेफ्टी कमिश्नर को दिया गया। जिसमें बाद में 2018 में रिवेंज पोर्न पर सख्त एक्शन के प्रावधानों को भी जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया में इन नियमों की मांग 2014 की उस घटना के बाद से हो रही थी जिसमें साइबर बुलिंग से परेशान होकर कैरलॉट डेवसन नाम की टॉप मॉडल ने खुदकुशी कर ली थी।

रूस में बना इमरजेंसी रूल एजेंसियों को ये अधिकार देता है कि वे किसी आपात स्थिति में 'वर्ल्डवाइड वेब' को रिवच ऑफ कर सकें। रूस का 2015 का डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये अनिवार्य करता है कि रूस के लोगों से जुड़े डेटा को रूस में ही सर्वर में स्टोर करना होगा। वहीं, अगर चीन का मामला देखा जाए तो वहां ट्विटर, गूगल और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक हैं। इनके विकल्प के तौर पर चीन ने Weibo, Baidu and WeChat जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं।

भारतीय सोशल मीडिया 2022 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं और इसके साथ ही इतना बड़ा दायरा होने की वजह से इसमें लोगों को प्रभावित करने की बहुत शक्ति है ऐसी शक्ति जिसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता है। दुनिया भर के देशों ने अपनी बेलगाम शक्ति को सीमित करने के लिए इन प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के महत्व को अमल में लाया है। लेकिन एक संप्रभु राज्य और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत को हर कीमत पर मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में भी सोचना होगा।

(लेखक शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

भारतीयता की मूल भावना का संवर्धन और मीडिया



मोहित कुमार

भारतीयता आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है। सनातन संस्कृति और धार्मिक आस्था भारतीयता की मूल पहचान है। भारतीय संभ्यता में वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा का समावेश किया गया है। विश्व में भारतीयता की पवित्रता जप, तप, यज्ञ, हवन और पूजा पाठ से समायोजित की जाती है। भारत भूमि को तपो स्थली का दर्जा इसीलिए दिया गया है चूंकि यहां भगवान ने अनंत लीलाओं से मानव जीवन का कल्याण किया है। साथ ही अनेक साधु संतों ने हजारों वर्ष कठोर तप किया। भारतीयता की मूल भावना के संवर्धन को मीडिया दृष्टि से समझा जाए तो लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिये मीडिया को "चौथे स्तंभ" के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद रो, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से जनता तक पहुँचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्त्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह—व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। आज के जीवन में मीडिया एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। अगर हम देखें कि समाज किसे कहते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि लोगों की भीड़ या असाध्य मनुष्य को हम समाज नहीं

कह सकते हैं। समाज का अर्थ होता है संबंधों का परस्पर ताना-बाना, जिसमें विवेकवान और विचारशील मनुष्यों वाले समुदायों का अस्तित्व होता है। मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि सूचना के माध्यम सम्मिलित होते हैं। मीडिया ने जहाँ जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है, वहीं लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना एवं राजनैतिक कुचक्र के जाल में फँसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। व्यक्तिगत या संस्थागत निहित स्वार्थों के लिये यलो जर्नलिज्म को अपनाया, ब्लैकमेल द्वारा दूसरों का शोषण करना, चटपटी खबरों को तवज्जो देना और खबरों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरें प्रकाशित करना, घटनाओं एवं कथनों को द्विअर्थी रूप प्रदान करना, भय या लालच में

भारतीय विचार में जड़-जगत के विज्ञाननिष्ठ अध्ययन के साथ अंतर जगत के आध्यात्मिक अध्ययन का भी प्रादुर्भाव हुआ और इसी अध्ययन के आधार पर हमारे पूर्वजों को तर्क और प्रत्यक्ष अनुभूति से अस्तित्व की एकता का सत्य प्राप्त हुआ। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभूति रखने वाले महान पुरुषों की यह परंपरा तब से आज तक देश में पूर्णतया विद्यमान है। हम केवल तर्क या सिद्धांत की बात नहीं करते।

- मोहन मागवत (सरसंघवाचक, श. स्व. संघ)

सत्तारूढ़ दल की चापलूसी करना, अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा और महिमामंडन करना और किसी दूसरे की आलोचना करना जैसे अनेक अनुचित कार्य आजकल मीडिया द्वारा किये जा रहे हैं। हमारे लेख में सभी मीडिया हाउसों पर टिप्पणी नहीं की जा रही है, हमारी टिप्पणी में ऐसे मीडिया हाउसों को समाहित किया गया है जो वास्तविकता एवं साक्ष्यों को परे रखकर व्यापारिक दृष्टि से खबरों की महत्ता को तरासते हैं। मीडिया की दुर्भाग्यता का व्याख्यान जितना किया जाए कम है। अवसरवादी मीडिया हाउस दुर्घटना एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और साहस से संबंधित खबरों को नजरअंदाज

करना आजकल मीडिया का एक सामान्य लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। मीडिया अपनी खबरों द्वारा समाज के असंतुलन एवं संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। मीडिया अपनी भूमिका द्वारा समाज में शांति, सौहार्द, समरसता और सौजन्य की भावना विकसित कर सकता है। सामाजिक तनाव, संघर्ष, मतभेद, युद्ध एवं दंगों के समय मीडिया को बहुत ही संयमित तरीके से कार्य करना चाहिये। राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं एकता की भावना को उभारने में भी मीडिया की अहम भूमिका होती है। शहीदों के सम्मान में प्रेरक उत्साहवर्द्धक खबरों के प्रसारण में मीडिया को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिये। मीडिया विभिन्न सामाजिक कार्यों द्वारा समाज सेवक की भूमिका भी निभा सकता है। भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं के समय जनसहयोग उपलब्ध कराकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। मीडिया को सदप्रवृत्तियों के अभिवर्धन हेतु भी आगे आना चाहिये। मीडिया की बहुआयामी भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनों भूमिकाओं में सामने आया है। अब समय आ गया है कि मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग जनहित में करे और समाज का मागदर्शन करे ताकि वह भविष्य में भस्मासुर न बन सके। भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के मन में 'भारतीय' होने का भाव जितना अधिक होगा वो अपना भला बुरा भारत की उन्नति में देखेगा। उनकी किसी गतिविधि से भारत का अहित होगा तो वे नहीं करेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपने आप को भारत का एक अंश, भारत माता का पुत्र मानने की कवायद करेंगे। ऐसी स्थिति आने पर कोई भी राजनेता जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर देश को नहीं बांट सकेगा।

वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा : संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की विशाल भावना भारतीयता में समाविष्ट है।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

विश्व कल्याण की अवधारणा —

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित दुःख



भाग्यवेत ।।

भारतीय वाङ्मय में सदा सबके कल्याण की कामना की गई है। उसे ही सार्वभौम मानवधर्म माना गया है। मार्कण्डेय पुराण में सभी प्राणियों के कल्याण की बात की गई है।

विश्व को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प : 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्' (सारी दुनिया को श्रेष्ठ, सम्य एवं सुसंस्कृत बनाने का यह संकल्प भारतीयता के श्रेष्ठ उद्देश्य को व्यक्त करता है।)

त्याग की भावना – ईशावास्योपनिषद् के प्रथम श्लोक में ही भारतीयता में त्याग की भावना स्पष्ट है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य शिवद्धनम् ।।

सहिष्णुता: सहिष्णुता से तात्पर्य सहनशक्ति व क्षमाशीलता से है। धैर्य, विनम्रता, मौन भाव, शालीनता आदि इसके अनिवार्य तत्त्व हैं। भारतीयता का यह तत्त्व भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से अलग करता है। यही कारण है कि भारत की कमी भी अपने राज्य विस्तार की इच्छा नहीं रही तथा सभी धर्मों को अपने यहां फलते-फूलने की जगह दी।

अहिंसात्मक प्रवृत्ति – अहिंसा से तात्पर्य हिंसा न करने से है। कहा गया है कि 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान मानो। भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी ने विश्व को अहिंसा का पाठ

पढ़ाया। महाभारत में भी कहा गया है कि मनसा, वाचा तथा कर्मणा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे ऋषियों ने अहिंसा को धर्म का द्वार बताया है। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है।

आध्यात्मिकता : आध्यात्मिकता भारतीयता को अन्य संस्कृतियों के गुणों से अलग करती है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव ही आध्यात्मिकता है। भक्ति, ज्ञान व कर्म मार्ग से आध्यात्मिकता प्राप्त की जा सकती है। यह आत्मा के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। पुरुषार्थ चतुष्टय आध्यात्म में संचालित, प्रेरित व अनुशासित होता है।

एकेश्वरवाद की अवधारणा : "एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति" इस्लाम ने भी ईश्वर के एक होने की बात की है परन्तु उसी सांस में यह भी कह दिया कि उसका पैगम्बर मौहम्मद है तथा उसके ग्रंथ कुरान में भी आस्था रखने की बात कही। यही बात ईसाइयत में है। भारत में ईश्वर को किसी पैगम्बर व ग्रंथ से नहीं बांधा है।

सर्वधर्म सज्जभाव : भारत में सभी धर्म राज्य की दृष्टि में समान हैं। पूजा की सभी पद्धतियों का आदर करो तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरतो। धर्म, मजहब, पंथ एक नहीं हैं। इस्लाम व ईसाइयत को पंथ/मजहब कह सकते हैं जबकि हिंदू धर्म 'जीवन पद्धति' है।

कहा भी गया है कि— "धारयते इति धर्मः"

धर्म की इस परिभाषा में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। भारतीय दृष्टि से लोग अलग पंथ/मजहब/पूजा पद्धति में विश्वास करते हुए इस धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। जीवन के प्रति संश्लिष्ट दृष्टि – चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के प्रेरक तत्त्व।

धर्म राज्य/राम राज्य की अवधारणा : राजा या शासन लोकहित को व्यक्तिगत रुचि या अरुचि के ऊपर समझे। महाभारत में निर्देश है कि जो राजा प्रजा के संरक्षण का आश्वासन देकर विफल रहता है तो उसके साथ पागल कुत्ते का सा व्यवहार करना चाहिए।

राष्ट्रीयता : भारतीयता राष्ट्रीयता की सशक्त भावना पैदा करने का ही दूसरा नाम है। राष्ट्रीयता में केवल राजनीतिक निष्ठा ही शामिल नहीं होती बल्कि देश की विरासत और उसकी संस्कृति के प्रति अनुशक्ति की भावना, आत्मगर्व की अनुभूति आदि भी शामिल है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय वीरों, महापुरुषों, राष्ट्रीय नैतिकता तथा मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना भी राष्ट्रीयता का एक अंग है। मानव जीवन की गुणवत्ता के संवर्द्धन तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा एक मूलभूत तत्त्व है।

(लेखक न्यून 24 में प्रोड्यूसर है)

कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला



नीलम भागी

कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी गोवर्धन पूजा के सातवें दिन गोपाष्टमी पर्व (1 नवम्बर) के रूप में मनाया जा रहा है। यह उत्सव श्री कृष्ण और उनकी गायों को समर्पित है। इस दिन गौधन की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा करने की रस्म महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी के समान है। हमारे परिवारों में तो गाय परिवार का मुख्य सदस्य है, तभी तो फेमली फोटोग्राफ में होती है। गंगा के लिए गोपाष्टमी को गुड़ साँफ का दलिया बनता था और उसके दूध से खीर बनती जो इस दिन गोपाला के भजन कीर्तन का प्रसाद होता है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का महत्व बहुत अधिक था। उनकी गौसेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। महानगरों में गाय घरों में नहीं पलतीं लेकिन गोपाष्टमी पर उनकी पूजा जरूर की जाती है।

दक्षिण भारत में भी कार्तिक मास के पावन अवसर पर काकड़ आरती का प्रारंभ परम्परानुसार शरदपूर्णिमा के दूसरे दिन से होता है। (देवोत्थान) एकादशी के अवसर पर काकड़ आरती को भव्य स्वरूप दिया जाता है। तुलसी सालिगराम का विवाह उत्सव (5 नवंबर) को मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरास राक्षस पर शिव की विजय का उत्सव है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, सरोवर एवं गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।

सामाजिक समरसता का प्रतीक 'वन भोजन' भी कार्तिक मास में आयोजित किए जाते हैं। इसमें कुछ लोग मिलकर अपनी सुविधा के दिन, अपना बनाया खाना लेकर प्राकृतिक परिवेश में एक जगह रख देते हैं।

मेले तो पूरे देश में कहीं न कहीं लगते ही हैं और पशुओं के भी लगते हैं। लेकिन कार्तिक

पूर्णिमा से शुरू होने वाला पुष्कर का ऊँट मेला विदेशी सैलानियों को भी आकर्षित करता है। इस बार पुष्कर मेला 31 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवम्बर को समाप्त होगा। कई किलोमीटर तक यह मेला रेत में लगता है जिसमें खाने, झूले, लोक गीत, लोक नृत्य होते हैं।

जैन का धार्मिक दिवस प्रकाश पर्व है। वंगाला (11 नवंबर) मेघालय में गारो समुदाय द्वारा फसल कटाई से सम्बन्धित वंगाला उत्सव है। गारो भाषा में 'वंगाला' का अर्थ 'सौ ढोल' है। वर्षा अधिक होने के कारण सूर्यदेवता (सलजोंग) के सम्मान में गारो आदिवासी अक्टूबर-नवम्बर में 'वांगला' नामक त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार लगभग एक हफ्ते तक मनाया जाता है। मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परा से सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य देवता फसल के अधिदेवता भी माने जाते हैं। रंगीन वेशभूषा में सिर पर पंख सजाकर अंडाकार आकार में खड़े होकर ढोल की ताल पर नृत्य करते हैं।

रण उत्सव (1 नवंबर से 20 फरवरी) गुजरात का रण उत्सव अपनी रंगीन कला और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तीन महीने तक मनाये जाने वाले इस उत्सव में कला, संगीत, संस्कृति के साथ इसमें बुनकर, संगीतकार, लोक नर्तक और राज्य के श्रेष्ठ व्यंजन निर्माताओं के साथ कारीगर भी आते हैं। इस दौरान कलाकार रेत में भारत के इतिहास की झलक पेश करते हैं।

सोनपुर मेला (6 नवंबर से 7 दिसम्बर) गंडक नदी के तट पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। चंद्र गुप्त मौर्य, अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुँवर सिंह ने भी यहाँ से हाथियों की खरीद की थी। सन् 1803 में राबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े के लिए अस्तबल बनवाया था। यहाँ घोड़ा, गाय, गधा, बकरी सब बिकता था। पर आज की जरूरत के अनुसार यह आटो एम्पो मेले का रूप लेता जा रहा है। हरिहर नाथ की पूजा होती है। नौका दौड़, दंगल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह मेला 15 किमी. तक फैल जाता है।

बूंदी महोत्सव (11 से 13) राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में छोटा सा बूंदी अपनी ऐतिहासिक

वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके खूबसूरत दर्शनीय स्थलों और प्रसिद्ध मंदिरों में हनुमान जी मंदिर, राघाई कृष्ण मंदिर, नीलकंठ महादेव बूंदी के कारण यह छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। इसमें किलों का भी मेला है। बूंदी उत्सव में बिना किराी शुल्क के सांस्कृतिक गतिविधियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं और रंगारंग कार्यक्रमों का आनन्द उठाने के लिए दुनिया भर से लोग हड़ौती पहुंचते हैं। राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के साथ खरीदारी कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा की रात में महिला पुरुष दोनों पारंपरिक वेशभूषा पहनकर चंबल नदी के तट पर दिया जला कर, आशीर्वाद लेते हैं।

श्री राम जानकी विवाह उत्सव (28 नवम्बर) 'विवाह पंचमी' श्री राम और सीता जी की शादी की वर्षगांठ को हम उत्सव की तरह मनाते हैं। सीतामढ़ी से जनकपुर नेपाल यात्रा के दौरान मैंने इन दिनों महसूस किया कि ज्यादातर गीत जानकी विवाह या उनकी विदाई के सुनने को मिले।

तेलुगु स्कंद षष्ठी सुब्रमण्यम षष्ठी (28 नवंबर) को कुमार षष्ठी भी कहते हैं। दक्षिण भारत तमिल हिन्दुओं में इसे प्रमुख त्यौहारों में से एक माना जाता है। भगवान स्कंद जो शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश के बड़े भाई हैं को मुरुगन, कार्तिकेयन, सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संतान प्राप्ति खुशहाली के लिए व्रत रखा जाता है। सभी षष्ठी भगवान मुरुगन को समर्पित हैं, लेकिन चंद्र मास कार्तिक के दौरान शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु छ दिनों का उपवास रखते हैं। जो सूर्यसंहारम के दिन चलता है। सूर्यसंहारम के अगले दिन को तिरु कल्याणम के नाम से जाना जाता है।

कार्तिक मास में तीर्थस्थान पर स्नान करते हैं। धर्म और लोककथाओं के बाद उत्सव की एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति कृषि है। धार्मिक स्मरणोत्सव और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है। रवि की फसल की बुआई हो जाती है फिर बड़ी श्रद्धा और उत्साह से उत्सव मनाते हैं। इन सभी उत्सवों में प्रकृति वनस्पति और जल है।

(लेखिका, जर्नीलिस्ट, ब्लॉगर, ट्रेवलर)

BHAURAV DEVRAS SARASWATI VIDYA MANDIR



- Rich Library
- Atal Tinkering Laboratory
- Well Equipped Laboratories
- Sports Activities
- Studio for Smart Education
- Huge Hall
- Easy Transport options from most suburbs
- Unique & Innovative Programs
- Modern Resources & Technologies



H-107, Sector-12, NOIDA

E-Mail: bdsvidyamandir@gmail.com

Contact No. 0120-2536903, 9910665195

**GAU**
NATURALS



Az Gir Cow Ghee
Natural & Farm Fresh

Beyond Nutrition

For Booking call:

9667222465

9999194648

fssai

Reg. No. 22721702000122